लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

Parliament Library
19-6-92
26-11-83

सत्यमेव जयते

[खंड 48 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 17—शुक्रवार, 26 नवम्बर, 1965/5 अग्रहायण, 1887 (शक)

No. 17—*Friday*, 26 *November*, 1965/*Agrahayna* 5, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
476	टेलीविज़न सेटों का निर्माण	Manufacture of T.V. Sets	1479–81
477	विदेशों में प्रदर्शनियां	Exhibitions Abroad	1481–84
478	कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Textile Mills	1484–86
480	औद्योगिक प्रतिनिधि मण्डल की अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के देशों की यात्रा	Visit of Industrial Delegation to African and East European Countries	1486–88
481	रेलवे वर्कशाप में प्रोत्साहन योजना	Incentive Scheme in Railway Workshops	1488–89
483	आसाम के लिये बड़ी लाइन सम्पर्क	Broad Gauge Rail Link for Assam	1490–91
484	ब्रिटिश वाणिज्यिक निर्माताओं से हथियार	Arms from British Commercial Manufacturers	1491–96

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
479	रोलर फ्लोर मिलिंग मशीन का देश में निर्माण	Indigenous Manufacture of Roller Flour Milling Machinery	1496–97
482	पाकिस्तान में भारतीय बैंकों का बन्द किया जाना	Closure of Indian Banks in Pakistan	1497
485	कोयले के भंडार	Stocks of Coal	1498
486	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हानि	Loss to N.C.D.C.	1498
487	स्कूटरों का उत्पादन	Production of Scooters	1499
488	कोककर कोयले का उत्पादन	Production of Coking Coal	1499–1500
489	कोयला खानों के लिये विश्व बैंक ऋण	World Bank Loan for Collieries	1500
490	नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal	1500–01

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

I — LokSabha/66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
491	पाकिस्तान द्वारा भारतीय उद्योगों का जब्त किया जाना	Confiscation of Indian Industries by Pakistan	1501
492	राजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण और नियुक्ति	Transfer and posting of Gazetted Officers	1502
493	चेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापारिक और आर्थिक सहयोग	Trade and Economic Collaboration with Czechoslovakia . .	1502
494	ट्यूबों और पाइपों का निर्माण	Manufacture of Tubes and Pipes .	1502–03
495	हथगोलों का पाया जाना	Recovery of Hand grenades	1504
496	राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात तथा आयात	Exports and Imports by S.T.C.	1504
497	मीटरगेज लाइनों को ब्राडगेज लाइनों में बदलना	Conversion of M.G. into B.G. Lines	1505
498	"बागे कराची" से उतारा गया माल	Cargo Unloaded from "Garden of Karachi"	1505
499	पाकिस्तान द्वारा माल का रोक लिया जाना	Impounding of Cargo by Pakistan	1505–06
500	जूते बनाने के कारखाने	Shoe Manufacturing Factories	1506
501	गदाधरपुर स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर	Collision of trains at Gadadharpur Station	1506
502	मैसर्ज जैसप एण्ड कम्पनी	M/s Jessop & Company	1507
503	पूना-मिरज मीटरगेज लाइन	Poona-Miraj Metre Gauge System	1507
504	भारी इंजीनियरी निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	1508
505	बरेली के निकट रेलगाड़ी में डकैती	Train Dacoity Near Bareilly	1508–09

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

1312	सपरेटा पाउडर	Skimmed Milk Powder .	1509
1313	केरल में बडगरा स्टेशन पर सुपर एक्सप्रेस गाड़ियों का रुकना	Stoppage of Super Express Trains at Badagara, Kerala . .	1509
1314	काकिनाडा और हावड़ा के बीच के लिये रेलवे बोगी	Bogey Between Kakinada and Howrah	1509–10
1315	नाप-तोल की मीट्रिक प्रणाली	Metric System of Weights and Measures	1510
1316	तूम (स्लूस) तथा जलपाश द्वारों (लाक गेट) का निर्माण	Manufacture of Sluice and Lock Gates	1510–11
1317	दग्ध मेग्नेसाइट का निर्माण	Manufacture of Burnt Magnesite .	1511

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1318	न्यूज़ीलैंड से भारत के लिये ऊन का अंशदान	Contribution of Wool to India from New Zeland . . .	1511
1319	उत्तर प्रदेश में कांच और कांच के सामान का निर्माण	Manufacture of Glass and Glass-ware in U. P.	1511–12
1320	केरल से तेपिओका का निर्यात	Export of Tapioca from Kerala .	1512
1321	कृषि औज़ारों का आयात	Import of Agricultural Implements	1512
1322	रूई का वायदा व्यापार	Forward Trading in Cotton	1512–13
1323	रेलवे स्टेशनों पर सैनिकों के लिये भोजन व जलपान की व्यवस्था	Catering for Troops in Stations	1513
1324	डीज़ल इंजनों से चलाई जाने वाली रेल गाड़ियां	Trains run with diesel Locomotives	1513–14
1325	पूर्वोत्तर रेलवे में अपराध	Crimes on N.E. Railway .	1514
1326	उत्तर प्रदेश में उद्योग	Industries in Uttar Pradesh .	1514–15
1327	उत्तर प्रदेश के लिये टीन और सीमेंट का नियतन	Allotment of Tin and Cement to U. P.	1515
1328	जनता एक्सप्रेस गाड़ियां	Janta Express Trains .	1515
1329	अबोहर-फाजिल्का रेलवे लाइन	Abohar-Fazilka Rail Link . .	1515–16
1330	रेलवे इलेक्ट्रिक वर्कशाप, दिल्ली से रैफ्रिजरेटरों की चोरी	Theft of Refrigerators from Railway Electric Workshop, Delhi	1516
1331	चाय का निर्यात	Export of Tea	1516
1332	पूर्व रेलवे पर एक मालगाड़ी का लूटा जाना	Looting of a Goods Train on Eastern Railway	1517
1333	चाय बागान	Tea Plantations	1517
1334	मैसूर में रेशम उद्योग	Silk Industry in Mysore . .	1517–18
1335	पालनी पहाड़ियों में एल्यूमिनियम के भण्डार	Aluminium Deposits in Palni Hills	1518
1336	छोटी कोयला खानों का परस्पर मिलाया जाना	Amalgamation of Smaller Collieries	1518
1337	मध्य प्रदेश में कपड़े के कारखाने	Textile Mills in Madhya Pradesh .	1518–19
1338	आस्तियों तथा दायित्वों के विवरण	Returns of Assets and Liabilities .	1519
1339	उत्तर रेलवे के वित्तीय सलाहकार एवम् मुख्य लेखाधिकारी के कार्यालय के क्लर्क	Clerks in the Office of F.A. & C.A.O., N. Railway . .	1519
1340	नागालैंड में कागज़ बनाने का कारखाना	Paper Mill in Nagaland .	1520
1341	हार्ड कोक सम्बन्धी कार्यकारी दल	Working Group on Hard Coke	1520
1342	धातु-कार्मिक कोयले की कमी	Shortage of Metallurgical Coal	1520–21

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1343	सरकारी क्षेत्र की कोयला खानें	Public Sector Collieries .	1521
1345	रामकृष्णपुर, हावड़ा में रेलवे गोदाम	Railway Godowns in Ramakrishnapur, Howrah . .	1521
1346	दिल्ली डिवीजन में आय से अधिक सम्पत्ति के मामले	Cases of Disproportionate Assets in Delhi Division	1522
1347	दिल्ली स्टेशन से भेजे गये फल तथा सब्जियां	Fruits and Vegetables Booked from Delhi Station . . .	1522
1348	रेलवे व्यापार विभाग के कर्मचारी	Empoyees of Railway Commercial Department	1523
1349	चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण	Medical Equipment . .	1523
1350	आसाम में कागज तथा सीमेंट का निर्माण	Manufacture of Paper and Cement in Assam	1523
1351	इलैक्ट्रोड का निर्माण	Manufacture of Electrodes .	1524
1353	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	H.M.T. Limited .	1524
1354	केरल में औद्योगिक बस्ती	Industrial Estate in Kerala	1525
1355	मिर्जापुर जिले में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Mirzapur District	1525
1356	दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा अर्जित भूमि	Land Acquired by S. E. Railway .	1525
1357	मैंगनीज अयस्क	Manganese Ore .	1525–27
1358	कृषि औजारों का निर्माण	Manufacture of Agricultural Implements	1527–28
1359	रेलवे योजनायें	Railway Schemes . .	1528–29
1360	रायगुड़ा (उड़ीसा) में उपरिगामी पुल	Over Bridge at Rayagada (Orissa)	1529
1361	रूरकेला इस्पात संयंत्र की आय	Earnings of Rourkela Steel Plant .	1529
1362	बारगढ़ में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory of Bargarh	1530
1363	औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licences . .	8530
1364	मद्रास-विल्लुपुरम रेलवे लाइन का विद्युतिकरण	Electrification of Madras-Villupurum Railway Line . .	1530–31
1365	पटसन के मूल्य	Price of Jute	1531
1366	रेशम का आयात	Import of Silk . .	1531
1367	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को घाटा	Losses Incurred by Hindustan Steel Ltd.	1531–32
1368	सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल	Over Bridge on Sarai Rohilla Rly. Station	1532
1369	भारतीय खान ब्यूरो का भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में विलय	Merger of Indian Bureau of Mines with Geological Survey of India	1532–33

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1370	केरल के जिलों का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Kerala Districts	1533
1371	लखनऊ में रेलवे रिसर्च डिजाइन्स एण्ड स्टैण्डर्ड आरगेनाइजेशन का कार्यालय	Office of Railway Research Designs and Standard Organisation, Lucknow . .	1533
1372	रेलवे में अधिकारियों की पदोन्नति सम्बन्धी प्रक्रिया	Procedure for Promoting Officers on Railways	1533–34
1373	पुर्जों का निर्माण	Manufacture of Components	1534–35
1374	मध्य प्रदेश में रेशम उत्पादन का विकास	Development of Sericulture in M. P.	1535
1375	विद्युत संयंत्र	Power Plants	1535–36
1376	हथगोला विस्फोट	Hand Grenade Explosion	1536–37
1377	सिडनी में तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	Third International Sydney Trade Fair	1537
1378	बख्तियारपुर में रेल पुल	Railway Bridge at Bakhtiarpur	1537
1379	त्रिपुरा के चाय, पटसन तथा तिलहन उद्योग	Tea Jute and Oilseed Industries of Tripura	1538
1380	इस्पात कारखानों के लिये विदेशी मुद्रा का कोटा	Foreign Exchange Quota for Steel Plants	1538
1381	भारत-पाक संघर्ष का जिन व्यापारों तथा उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है उनका पुनर्वास	Rehabilitation of Trade and Industry Affected by Indo-Pak. Conflict	1538–40
1382	इस्पात का उत्पादन और रेल माल डिब्बे	Steel Production and Rail-Wagons	1540
1384	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लाभ	Profits of Hindustan Steel Ltd.	1540–41
1385	आयात तथा निर्यात विनियम	Import and Export Regulations .	1541
1386	विजयवाड़ा-वालटेर सेक्शन पर पुल	Bridges on the Vijayawada-Waltair Section . . .	1541
1387	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	1541–42
1388	भारत इलेक्ट्रानिक्स, बंगलौर	Bharat Electronics, Bangalore	1542
1389	रेल डिब्बों के लिये वातानुकूलन मशीनरी का आयात	Import of Air Conditioned Machinery for Coaches . .	1542
1390	माण्ड का उत्पादन	Production of Starch .	1542–43

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
पूर्वोत्तर रेलवे के सगौली स्टेशन पर हुई टक्कर के समाचार—	Reported collision at Sagauli station of North Eastern Railway—	
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	1543
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh .	1543–44
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re : Calling Attention Notice—(Query)	1544–45
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1546–47
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	1547–48
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bill .	1548
सभा का कार्य	Business of the House .	1548–50
विधेयक पुरःस्थापित--	Bills Introduced—	
(एक) संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक	(1) Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill	1550
(दो) अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक	(2) Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Bill .	1550
(तीन) सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक	(3) Estate Duty (Distribution) Amendment Bill . . .	1551
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल), 1965–66	Demands for Supplementary Grants (Kerala), 1965-66 .	
श्री रविन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma .	1551–52
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	1552–53
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	1553
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	Shri T. T. Krishnamachari .	1553–55
दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक—	Delhi Secondary Education Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla	1556–58
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	1559–60
श्री वारियर	Shri Warior	1560–61
श्री नवल प्रभाकर	Shri Naval Prabhakar	1561–62
इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के ढाका स्थित कार्यालय पर पाकिस्तान द्वारा कब्जा किये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement Re : Seizure of Office of the I.A.C. at Dacca by Pakistan	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	1562–63

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिती—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
चौहत्तरवां प्रतिवेदन	Seventy-fourth Report.	1564
नियम 388 के अन्तर्गत भारत द्वारा राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने सम्बन्धी संकल्प के बारे मे प्रस्ताव—	Motion under Rule 388 re : Resolution on India Quitting the Commonwealth—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	1564
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	1565
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	1565
श्री बागड़ी	Shri Bagri .	1566
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	1566
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	1566
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla .	1566
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	1566
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair .	1566
श्री बड़े	Shri Bade .	1567
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G. N. Dixit	1567
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	1567
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganatha Rao	1567
भारतीय नौ सेना क आधुनिकीकरण कें बारे में संकल्प—संशोधित रूप मे स्वीकृत	Resolution re : Mondernisation of Indian Navy—*adopted, as amended*	
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	1569–70
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das	1570
श्री प्र० कें० देव	Shri P. K. Deo . .	P1570–71
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee .	1571
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	1571–72
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	1572–73
श्री बड़े	Shri Bade .	1573
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwanath Pandey	1573
डा० द० स० राजू	Dr. D. S. Raju	1573–74
तल उद्योग के बारे में संकल्प	Resolution re : Oil Industry	
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	1575–76

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 26 नवम्बर, 1965/5 अग्रहायण, 1887 (शक)

Friday, November 26, 1965/Agrahayana, 5, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

टेलीविजन सेटों का निर्माण

\+
*476. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम हरख यादव :
डा० श्रीनिवासन :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 3 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 414 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये प्राप्त हुए प्रस्तावों पर तकनीकी अधिकारियों की सिफारिशें प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी प्रस्तावों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उनका विचार यह है कि सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पिलानी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का इस्तेमाल करके देश में टेलीविजन सेटों का निर्माण किया जा सकता है।

(ग) और (घ) : इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

2—7 Lok Sabha/66

Shri Vishwa Nath Pandey : I want to know whether certain Industrialists had also applied for the manufacture of T.V. Sets; and if so, the decision taken by Government in this regard, *i.e.* whether the Govt. have accepted their proposals or not?

Shri T. N. Singh : We have received many applications of various kinds. Some of them are regarding foreign collaboration while others are on the basis of the Pilani Institute. One firm, whose application is on the basis of the Pilani Institute has been recommended regarding grant of licence to them.

Shri Vishwa Nath Pandey : Have the Government collected figures regarding the requirement of T.V. Sets in the country?

Shri T. N. Singh : It is estimated that if four T.V. Broadcasting stations are set up, one lakh T.V. Sets would be required by the end of the Fourth Plan.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि काफी समय पहले से ही वाणिज्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषण परिषद् और अणु शक्ति आयोग में इस मूल प्रश्न पर ही मतभेद उत्पन्न हो गया है कि क्या भारत में टेलीविजन सेटों का निर्माण विदेशी सहयोग के बिना, कुछ पुर्जे आयात करके ही किया जाये अथवा रुपयों में भुगतान स्वीकार करने वाले किन्हीं पूर्व यूरोपीय देशों के सहयोग से इनका उत्पादन किया जाये ? यदि हां, तो इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कोई ऐसा मतभेद नहीं है। हमने पहले ही एक समिति नियुक्त कर रखी है। एक और समिति भी इस मामले की जांच कर रही है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त होने वाली है। इस बीच प्रसार साधनों संबंधी समिति के सभापति की ओर से हमें यह सुझाव मिला है कि वह इस समस्या का अध्ययन कर रहे हैं और हमें उनकी सिफारिश की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

Shri Madhu Limaye : In view of the shortage of foreign exchange and widespread poverty in the country, whether the Government would suspend these schemes, like T.V. for 15 or 20 years?

Shri T. N. Singh : In my opinion, the reason for going ahead with this scheme is that T.V. Sets might be manufactured in the country without any foreign exchange and on the basis of our know how. Therefore this question does not arise.

श्री दी० चं० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि जिस फर्म का सुझाव पिलानी गवेषणा संस्था द्वारा दिया गया है क्या वह भारतीय फर्म है अथवा विदेशी, और क्या इस संस्था का संचालन करने वाले व्यक्ति इस फर्म से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होंगे ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जहां तक पिलानी की जानकारी के आधार पर सहयोग का संबंध है इस विशेष फर्म की सिफारिश राष्ट्रीय गवेषणा विकास संघ द्वारा की गई है। चार अथवा पांच प्रार्थियों में से हमारे द्वारा विचार करने के लिये एक की सिफारिश की गई है। वास्तव में अग्रिम संयंत्र के आधार पर पिलानी संस्था भी प्रति वर्ष 1000 सैटों का उत्पादन कर रही है।

Shri Rameshwar Tantia : How much amount would be spent on this scheme and how much foreign exchange would be required?

Shri T. N. Singh : At present it is difficult to give any estimate in this regard?

Shri Bagri : Whether it has been indicated in the applications received from abroad as to what would be the ratio of the expenditure to be incurred by them as also by our country and if foreign capital would be invested, what would be the difference between the expenditure and the interest?

Shri T. N. Singh : At present, it is difficult to tell that. When we start considering the applications received, they would supply us the details regarding the foreign exchange involved.

Shri Bhagwat Jha Azad : I want to know whether the Government are making arrangements regarding installation of T.V. equipment alongwith the production of T.V. Sets? If so, whether they have received such offers from Japanese or other firms in this regard so that they might be able to instal this equipment in the country keeping with our limited resources?

Shri T. N. Singh : Proposals have been received from various countries including Japan and probably Sanyo.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या मंत्री महोदय के लिये यह कहना संभव होगा कि भारत में टेलीविज़न सैटों के निर्माण का मामला इस लिये अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि सरकार ने एक विदेशी फर्म को बड़ी मात्रा में टेलीविज़न सैटों के निर्माण तथा संभरण का ठेका देने का वचन दे रखा है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : किसी विदेशी फर्म के साथ कोई ऐसा करार नहीं हुआ है ।

श्री प्र० के० देव : जैसा आकाशवाणी में नहीं किया गया है, क्या इस महत्वपूर्ण संचार साधन द्वारा विरोधी दलों को भी देश के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने की सुविधायें दी जायेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : पहले यह बन तो जाये ।

+ **विदेशों मे प्रदर्शनियां**

***477. श्री प्र० के० देव :**

श्री सोलंकी :

श्री कपूर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने विदेशों में 1965-66 तथा 1966-67 में एक मात्र अपनी (एक्स्क्लूसिव) जो प्रदर्शनियां करने की योजना बनाई है, उनकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ख) भारत सरकार इन प्रदर्शनियों पर कुल कितनी राशि खर्च करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1965-66 में, इस मंत्रालय द्वारा केवल एक ही पूर्णत: भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन जुलाई 1965 में बेलग्रेड में भारतीय व्यापार मेले और प्रदर्शनी परिषद बम्बई के माध्यम से किया गया है। प्रदर्शनी का हिसाब अभी तैयार किया जा रहा है। इसका अनुमानित खर्च 8.21 लाख रु० है जिसमें से विदेशी विनिमय का भाग 5.96 लाख रु० है। इस प्रदर्शनी के प्रमुख आकर्षण केवल व्यापार सम्वर्धन ही नहीं, वरन् भारत का बदलता हुआ चित्र भी प्रस्तुत करना था। उस क्षेत्र में निर्यात सम्भावना रखने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त भारत ने औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में की गयी प्रगति को दिखाने वाली वस्तुएं भी प्रदर्शित की थीं। इस प्रदर्शनी में 25 लाख रु० मूल्य के संविदा किये गये हैं और कई अन्य व्यापारिक जानकारियों पर बातचीत चल रही है।

2. सरकार अभी मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये 1966-67 के कार्यक्रम पर विचार कर रही है। इस उद्देश्य से तदर्थ प्रदर्शनी सलाहकार समिति की एक बैठक 27 सितम्बर, 1965 को की गयी। समिति ने 1966-67 में नीचे दी गयी प्रदर्शनियां विदेशों में आयोजित करने के लिये सिफारिश की है :—

(1) भारतीय प्रदर्शनी, प्राग (चैकोस्लोवाकिया)

(2) भारतीय प्रदर्शनी, तेहरान (ईरान)

(3) भारतीय प्रदर्शनी, मेक्सिको (मेक्सिको)

(4) भारतीय प्रदर्शनी, लागोस (नाइजीरिया)

इसके अतिरिक्त पेरिस (फ्रांस) में एक भारतीय प्रदर्शनी बृहद् स्तर पर करने के लिये विचार किया जा रहा है, परन्तु यह 1966 अथवा 1967 में की जायेगी।

3. इनके लिये आवश्यक धन राशियों के विषय में सरकार अब भी विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि उत्तर बहुत ही लम्बा था इस लिये आप सभा-पटल पर एक वक्तव्य रख सकते थे।

श्री प्र० के० देव : 1966 में मौंट्रियल में एक विश्व मेला लगने वाला है। क्या भारत सरकार भी वहां अपना एक स्टाल खोलेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न केवल प्रदर्शनियों के बारे में है।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : माननीय सदस्य का निर्देश अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की ओर है।

श्री प्र० के० देव : अन्तराष्ट्रीय और एक मात्र प्रदर्शनी में क्या अन्तर है ?

श्री मनुभाई शाह : एक मात्र प्रदर्शनी वह है जिसका प्रबन्ध हमारे द्वारा किया गया हो जब कि एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हम वैसे ही भाग लेते हैं जैसे कि कोई अन्य देश।

श्री प्र० के० देव : क्या भारत ने पेरिस करार पत्रको स्वीकार करने का निश्चय किया है ताकि वह विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग ले सके ?

श्री मनुभाई शाह : हम प्रदर्शनियों संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय करार-पत्र तथा पेरिस करार-पत्र में भागीदार हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने इस प्रचलित आलोचना पर ध्यान दिया है कि ऐसी प्रदर्शनियां सत्ताधारी दल के आत्मप्रदर्शन के लिये उपयोग की जाती हैं न कि हमारे वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के लिये ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह बिलकुल गलत है, यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय प्रगति के लिये होती है।

Shri Bade : Mention has been made even in the P.A.C. reports regarding misuse of foreign exchange, there being no export promotion resulting in loss. I want to know whether Government's attention has been drawn to this fact ?

Shri Manubhai Shah : This has never been said. In the exhibitions any one section might be there, where such loss could have been there. On the contrary, Members of the Estimates Committee, P.A.C. etc. want that there should be excellent exhibitions.

Shri Bade : It resulted in substantial loss there.

श्री हरि विष्णु कामत : न्यू-यार्क विश्व मेले के भारतीय मण्डप को क्या ठोस लाभ अथवा हानि और क्या प्रमुख कार्य हुये ? क्या मंत्री महोदय संतुलन पत्र आंक सकते हैं जिससे हमें कुछ अनुमान हो और मुख्य रूप-रेखा का पता लग सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो दूसरा ही प्रश्न है।

श्री मनुभाई शाह : मैं सब प्रदर्शनियों के लिये तो नहीं परन्तु इस प्रदर्शनी के संतुलन पत्र के बारे में तो बता सकता हूं क्योंकि यहां हमने डेढ़ करोड़ रुपया खर्च किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सावित्री निगम ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, यह एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी इसलिये उन्हें हमें कुछ बताने की आज्ञा दी जाये जब कि अब यह समाप्त हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रश्न की आज्ञा नहीं दी है इस लिये आप कृपया बैठ जायें।

श्री हरि विष्णु कामत : यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी और हमारा वहां पर एक अच्छा मण्डप था।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न एक मात्र अपनी प्रदर्शनियों के बारे में था जो भारत ने विभिन्न स्थानों पर आयोजित की थीं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे विचार से तो, इस प्रश्न का संबंध सभी प्रदर्शनियों के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक मात्र अपनी प्रदर्शनियों की बारे में।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में क्या हुआ ? आप प्रश्न का प्रभाव क्षेत्र बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा भाग भी पहले भाग से ही प्रभावित है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह आवश्यक तो नहीं।

श्रीमती सावित्री निगम : इस तथ्य की दृष्टि से कि ऐसी प्रदर्शनियां हमारा निर्यात बढ़ाने और अन्य देशों को हमारी वस्तुओं तथा हमारी मण्डियों से परिचित कराने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं, क्या सरकार ने विदेशों में ऐसी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिये हर बार लोग भर्त्ती करने की बजाय एक स्थायी एकक बनाने का निश्चय किया है और यदि हां तो......

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न ही काफी है।

श्री मनुभाई शाह : वास्तव में हमारे यहां स्थायी एकक है अर्थात् प्रदर्शनियों का मुख्य निदेशालय कुछ कर्मचारियों जैसे विशेषज्ञों की भर्ती स्थायी आधार पर की जाती है। जहां तक दर्शकों और गाईडों का संबंध है, हर बार नये व्यक्ति भर्ती करना अधिक अच्छा है ताकि अनुभव निरंतर मिलता रहता है।

श्री वारियर : एक मात्र अपनी तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के तुलनात्मक अध्ययन से कौन सी प्रकार की प्रदर्शनी हमारे देश के लिये अधिक लाभदायक है और किस से अधिक संतोषप्रद परिणाम प्राप्त हुये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : दोनों ही बहुत संतोषप्रद हैं और देश के लिये बहुत सहायक हैं।

Shri Rameshwaranand : What would be the expenditure involved on the Exhibitions being held this year and the next few years and in what way India gains fundamentally from this and whether photographs etc. of the recent Indo-Pakistan conflict would also be exhibited specially in these exhibitions?

Shri Manubhai Shah : The question of Swamiji is very lengthy.........

Mr. Speaker : The question is as long as the Swamiji himself.

Shri Manubhai Shah : I would like to say only this much that exhibitions are necessary not only to promote export but निर्यात व्यापार को बनाये रखने के लिये भी इसका आयोजन करना पड़ता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What amount is spent on these exhibitions and whether goods of comparable value are also sold therein?

Shri Manubhai Shah : Nothing definite can be said in this regard but experience differs at different places. But broadly speaking it can be said that the sales range upto ten times the expenditure. On an average the term over is ten times the amount spent.

Shri Yashpal Singh : I want to know the number of girls out of those sent abroad with these exhibitions who have settled there after marriage and the number of those who have returned to India?

Mr. Speaker : Why does he want to keep a record of this specially?

Shri Sarjoo Pandey : What is the basis of selecting the articles to be exhibited there. Whether the selection is done by the Government themselves or whether a Committee is appointed to decide the exhibits?

Shri Manubhai Shah : Many exhibits belong to the private industries and the Public Sector. Certain Rules have been provided in the International Convention regarding disposal of these articles. The articles in respect of which custom duty had been paid could be sold there, the rest has to be brought back.

Financial Assistance to Textile Mills

*478. **Shri Bagri :** +
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :
Shri P. C. Borooah :
Shri P. R. Chakraverti :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Cotton Textiles Consultative Board has requested that the facility of loan should be made available to them for providing financial assistance to the textile mills; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

Shri Bagri : I want to know whether loans given to Mills for their modernisation or for hoarding?

श्री सें० वें० रामस्वामी : माल की जमाखोरी के कारण वित्तीय स्थिति में सदा ही कठिनायी होती है। कारखानों के वास्तविक चालू खर्चों और उन्हें चलाने को सुगम बनाने के लिये अब यह सुविधायें प्रदान की गई हैं।

Shri Bagri : Whether the Mills and Factories who get Government assitance misuse it as has been noticed? Whether the Government propose to take over the control of such Mills and industries as indulge in bungling of accounts like this and if so, which of them.

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : 650 मिलों में से केवल कुछ एक ही ऐसी हैं। वास्तव में बात यह है कि जब कोई मिल बहुत पुरानी हो जाती है तो वह राष्ट्रीयकरण के योग्य नहीं रह जाती जैसा माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। किस एक मात्र एकक का राष्ट्रीकरण सम्भव नहीं है बलकि पूरे उद्योग का ही राष्ट्रीकरण करना पड़ेगा। सरकार तो यह कर रही है कि जब भी किसी एकक में खराबी पैदा हो जाती है, हम अधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर देते हैं और लम्बी अवधि में उनका आधुनिकरण करवाते हैं।

Shri Madhu Limaye : I want to know the number of Mills closed down and the number of workers rendered unemployed in various tates, such as Maharashtra, U. P. etc. due to the present crisis in the Cott n Mill Industry and whether the financial assistance being given to them would be utilised in lessening their unemployment?

श्री मनुभाई शाह : इसका उत्तर तो मैं और मेरे सहयोगी कई बार यहां दे चुके हैं।

Shri Madhu Limaye : How many people are unemployed ?

Shri Manubhai Shah : On the whole there are 22 such Mills. Of these 10 mills, which were about a hundred years' old, have been scrapped. 2 mills are lying idle, of which in respect of four or five we are trying to re-start them such as Muir Mills, Hindu Mill and three others in Maharashtra. There are 65 Mills in the country of which about 400 are new. Looking at the full persp ctive, about 65,000 workers out of 11-12 lakh have been rendered jobless.

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकार इस उद्योग को अधिक सुविधायें देने के बजाय ऋण की मात्रा में कमी क्यों कर रही है जबकि इस समय अधिकाधिक उत्पादन ही हमारा नारा है ?

श्री मनुभाई शाह : हम अधिक उत्पादन के लिये उनकी सहायता कर रहे हैं परन्तु एकक चलने योग्य तो होना ही चाहिये क्योंकि हम हानि तो नहीं उठाना चाहते।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने वित्तीय सहयता देने के लिये उनके काम के तरीकों में सुधार करने और सुचारु प्रबन्ध चलाने के लिये विशिष्ट शर्तें निर्धारित की हुई हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जब सरकार एक बार एककों को अपने नियंत्रण मे ले लेती है तो अधिकृत नियंत्रक जो संभव हो सकता सुधार करता है यह माननीय सदस्य भी मानेंगे। 1961–62 में उनके पास 37 मिलें थी और सभी लाभ कमा रही थीं। जब भी मिलों का उचित पुनर्गठन किया गया तो उन्हें उनके पहले मालिकों को सौंप दिया गया नहीं तो नये मालिकों को सौंप दिया गया।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या हाल के पाकिस्तान के साथ हमारे संघर्ष के पश्चात माल उठाने की गति में सुधार हुआ है अथवा माल मण्डियों मे आना आरम्भ हो गया है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। पहले कपड़े के 430,000 गांठें जमा थी और अब विशेषकर दिवाली के पश्चात इस में कमी हुई है और 428,000 गांठें रह गई हैं। धाग के संबंध में भी जबकि पहले यह 169,000 गांठें थी अब घट कर 160,000 गांठें रह गयी हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री मधु लिमये के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री श्री शाह ने तीन अथवा 4 मिलों का उल्लेख किया था जिस में एक कानपुर की थी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि म्यूर मिलज़ के लिये सरकार चालू पूंजी में से 40 लाख रु० की जमानत दी है और सभी कार्यवाही पूरी हो चुकी है और यदि हां तो इस मिल के पुन: चालू न होने के क्या कारण हैं ?

श्री मनुभाई शाह : कानूनी औपचारिकतायें पूरी होते ही हम इसे पुन: चालू कर देंगे।

Shri Rameshwar Tantia : Whether United India group, which is a very big group of Textile Mills in India, have approached the Government regarding closure of these mills due to shortage of Capital and this concerns the livelihood of 20,000 workers. May I know what the Government is doing in this regard?

Shri Manubhai Shah : The Government cannot give any assistance to them for running the Mills. We are considering to run it through the authorised controller himself.

श्री सोनावाने : जैसा माननीय उप-मंत्री ने बताया है उनके द्वारा पग उठाये जाने के पश्चात कितनी मिलें पुन: चालू हो गई है विशेषकर महाराष्ट्र में सोलापुर कतायी और बुनायी मिल चालू करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : कई बार इसका उत्तर दिया जा चुका है।

औद्योगिक प्रतिनिधि मण्डल की अफ्रीका के देशों की यात्रा

+

***480. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**	**श्री कनकसबै :**
श्री प्र० चं० बरुआ :	**श्री मुहम्मद कोया :**
श्री रामपुरे :	**श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका के कुछ देशों में संयुक्त आधार पर उद्योग स्थापित करने की संभावना का पता लगाने तथा तकनीकि और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये एक औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल उन देशों की यात्रा पर गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल ने किन देशों की यात्रा की; और

(ग) उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : एक औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें कुछ विख्यात भारतीय औद्योगिक सम्मिलित थे, हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ द्वारा पश्चिम अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गया था। इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ उस क्षेत्र में भारतीय सहयोग से संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना की सम्भावनाओं की भी खोज करना था। पश्चिम अफ्रीका को गये औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल के दौरे में नाइजीरिया, आयवरी कोस्ट, सिरा लिवोन, गिनी और सेनेगल शामिल थे।

(ग) प्रतिनिधि मंडल अभी भारत वापिस आया है और उसकी सिफारिशें प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ज्ञात होंगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या कोई रूपरेखा तैयार की गई है जिससे उन देशों में पूंजी लगाना आवश्यक हो जायेगा और यदि हां, तो कितना ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे है और उसके बाद हमें यह पता चलेगा कि क्या किया जाना है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : उन देशों के साथ किये गये करारों से क्या पारस्परिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : ये वाणिज्य मंडल थे जो संयुक्त उपक्रमों की संभावनाओं का पता लगाने, सम्बन्धित देशों के साथ निर्यात तथा आयात का अधिक व्यापार करने तथा आवश्यक सद्भावना बनानेके लिये गये थे ।

श्री प्र० चं० बरुआ : वे देश कौन से हैं जहां दल ने यह पाया है कि उन्हें चाय तथा पटसन जैसी परम्परागत वस्तुओं का काफी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है तथा इन देशो को निर्यात अधिक करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जब कोई प्रतिनिधि मंडल जाता है, तो वह भारत से निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं के बारे में बातचीत करता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि किस किस वस्तु का निर्यात सम्भवतया किया जा सकता है ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीन ने अफ्रीकी देशो को काफी माल का निर्यात करना शुरु कर दिया है जिसके कारण अफ्रीकी देशों में हमारा बाजार मंदा पड़ गया है, क्या इन देशो में चीनियो के वाणिज्यिक प्रभाव को समाप्त करने की दिशा में इस प्रतिनिधि मंडल की अफ्रीकी देशों की यात्रा के कोई मूर्त परिणाम निकले हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, मैं आज प्रातः ही पूर्वी अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा से वापिस आया हूं । इस सभा में कभी कभी उत्पन्न की गई धारणा पूर्णतया गलत तथ्यों पर आधारित होती है । जहां तक वाणिज्य और व्यापार का सम्बन्ध है चीन का इन देशों में बहुत कम प्रभाव है तथा हमारे प्रतिनिधि मंडल की यात्रा व कइ अन्य प्रतिनिधि मंडलों की यात्राओं से उचित वातावरण बनाने तथा हमारे व इन देशों के बीच आवश्यक मैत्री स्थापित करने में काफी मदद मिली है ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इन देशों को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि अथवा कमी अब उनके अपने उत्पादन कार्यक्रम पर अधिक निर्भर करती है । जिन वस्तुओं को वे हम से काफी अर्से से खरीद रहे थे उनका वे अब स्वयं निर्माण कर रहे हैं । फिर भी अब स्थिति अच्छी है । विभिन्न भारतीय उपक्रमियो द्वारा उन देशों में स्थापित किये जाने वाले संयुक्त उपक्रम जब एक बार विकसित हो जायेंगे, तो हमे समुचित लाभ मिलने लगेंगे ।

Shri Kashi Ram Gupta : May I know whether before departure this delegation had discussed this thing that priority would be given to those industries whose machinery is manufactured in India and that their establishment there would be beneficial?

श्री मनुभाई शाह : इन देशों को जो हम ऋण देते हैं उसका अन्य सब अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों की तरह उपकरण और मशीने खरीदने के लिये प्रयोग किया जा सकता है ।

डा० रानेन सेन : इस बात को देखते हुए कि हम इन अफ्रीकी देशों के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाना चाहते हैं, क्या सरकार ने इन अफ्रीकी देशों को उद्योगपतियों के गैर-सरकारी प्रतिनिधि मंडल भजने के स्थान पर सरकारी प्रतिनिधि मंडल भेजने की उपयोगिता अथवा आवश्यकता पर विचार किया है ?

श्री मनुभाई शाह : वहां दोनों प्रकार के प्रतिनिधि मंडल थे—मेरा सरकारी प्रतिनिधि मंडल था तथा दूसरा गैर-सरकारी था ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वह अगले सप्ताह किसी दिन इन अफ्रीकी देशों की अपनी यात्रा पर सभा पटल पर एक विवरण रखेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां, अगले सप्ताह अथवा प्रतिवेदन मिलने के बाद ।

श्री शिंकरे : चीन ने किन देशों को अपना इतना निर्यात व्यापार काम बढ़ाया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि अफ्रीकी देशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की सम्भावनाओं तथा वातावरण को दाल में धक्का लगा है क्योंकि कुछ उद्योगपतियों को दिये गये दर्जनों लाइसेंसों में से केवल एक या दो को छोड़कर बाकी सब लाइसेंस इन उद्योगपतियों के पास बेकार पड़े हुए हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यह सच नहीं है । वस्तुतः उनमें से प्रत्येक लाइसेंस उपयोग में लाया जा रहा है । मैं परसों स्वयं किसे भू गया था जहां एक बड़ा भारतीय कारखाना स्थापित हो रहा है । यह तो उद्योगपतियों के लिये एक मन्दिर बन गया है । नाइजीरिया में चार कारखाने स्थापित हो रहे हैं ; इथोपिया में कपड़े के दो कारखाने चल रहे है । वहां चलने वाले कारखानों के बारे में मैं सभा पटल पर जानकारी पहिले ही रख चुका हूं ।

Shri Sarjoo Pandey : As a result of our Delegation's visit abroad which type of mills or factories are proposed to be set up in those countries?

Mr. Speaker : Their report is awaited.

रेलवे वर्कशाप में प्रोत्साहन योजना

*481. **डा० सरोजिनी महिषी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे वर्कशापों में आरंभ की गई 'प्रोत्साहन योजना' असफल रही है;

(ख) क्या कर्मचारियों को उसी काम के लिए अपना उत्पादन बढ़ाये बिना दुगुना वेतन मिलता है; और

(ग) क्या इससे उन कर्मचारियों में जिन पर यह योजना लागू नहीं होती, असंतोष पैदा हो गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । निर्दिष्ट कार्य को करने में जितने जन-घंटों की बचत होती है, उसी के आधार पर प्रोत्साहन बोनस दिया जाता है । इस बोनस की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत रखी गयी है ।

(ग) जी नहीं ।

डा० सरोजिनी महिषी : उस अवधि के दौरान कितना अतिरिक्त उत्पादन हुआ जब प्रोत्साहन योजना चालू थी ?

डा० राम सुभग सिंह : पूर्व-प्रोत्साहन योजनावधि की तुलना में अर्थात 1957–58 में रेलवे वर्कशापों में उत्पादन में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है ।

डा० सरोजिनी महिषी : अन्य कर्मचारियों पर, जो इस योजना का लाभ उठाने के अत्यन्त इच्छुक है, इस योजना को लागू करने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : वस्तुतः हमारी वर्कशापो में लगभग 1,21,214 कर्मचारी हैं और 93.5 प्रतिशत कर्मचारी, जो उत्पादन के काम पर लगे हुए समझे जाते हैं, इस योजना के अन्तर्गत आते हैं। जो इस कार्य पर नहीं हैं, वे इसके अधीन नहीं आते ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या इस योजना के परिणामस्वरूप उत्पादन में होने वाली वास्तविक वृद्धि का अनुमान लगाने की कोई नियमित प्रणाली है ?

डा० राम सुभग सिंह : जी, हां । इसका पता लगानें की एक वैज्ञानिक प्रणाली है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस बात को देखते हुए कि इस योजना से न केवल रेलवे में उत्पादन बढ़ा है बल्कि यह कर्मचारियो के लिये लाभदायक भी सिद्ध हुई है, क्या रेलवे प्रशासन शेष कर्मचारियों के लिये कोई प्रोत्साहन योजना तैयार करने के बारे में शोच रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा मैंने पहिले कहा, यह योजना केवल उत्पादन एककों में चालू की गई है । अन्य एककों में चालू करने के प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है ।

डा० रानेन सेन : क्या रेलवे वर्कशापों में प्रोत्साहन योजना के लागू करनें के दौरान रेलवे प्राधिकारियो ने उन सूत्रों का पता लगाने के लिये कोई विस्तृत तथा अच्छा तरीका अपनाया था जिनके आधार पर यह प्रोत्साहन योजना लागू की जा सके ?

डा० राम सुभग सिंह : हमारे अपने विचारानुसार, जो प्रणाली हमने चालू की है वह अच्छी ही है । यदि यह उचित स्तर की न होती, तो हम माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये विचार पर गौर कर सकते थे ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या मजूरी का निर्धारण जन-घंटों के आधार पर किया गया है अथवा उत्पादन के आधार पर ?

डा० राम सुभग सिंह : निर्धारित समय विश्लेषणात्मक तरीके से तैयार किये गये आधारभूत आंकड़ों से गिना जाता है तथा इसमें सामान्य काम, मजूरी, थकान आदि की भी गुंजाइश रखी जाती है ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री जी के अनुसार इस योजना के अधीन लगभग 1,20,000 कर्मचारी आयेंगे और वे अधिकांशतया उत्पादन के काम पर लगे हुए हैं । क्या सरकार का विचार इस योजना को उन कर्मचारियों पर भी लागू करने का है जो उत्पादन के काम पर तो लगे हुए नहीं है परन्तु उत्पादन में सहायता कर रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : उत्पादन से सम्बन्धित सहायक कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों पर यह योजना अभी तक लागू नहीं की गई है । श्री अ० प्र० शर्मा का प्रश्न भी इसी बारे में था और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि योजना शेष रेलवे कर्मचारियो पर भी लागू होनी चाहिये । इस प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार बता सकती है कि कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह लगभग 27 प्रतिशत है । कहीं पर यह 40 प्रतिशत से भी अधिक है और कहीं पर 36 प्रतिशत है । परन्तु 27 प्रतिशत से कम कही भी नहीं है । यह औसतन लगभग 27 प्रतिशत है ।

आसाम के लिये बड़ी लाइन सम्पर्क

+

***483. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम और देश के शेष भाग के बीच बड़ी रेल लाइन सम्पर्क को सुधारने के लिए आसाम के व्यापारियों की मांगों की ओर, जिनका 14 अक्टूबर, 1965 के स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार में संक्षेप उल्लेख है, आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) फरक्का बांध योजना में शामिल रेलवे पुल के बन जाने के बाद बोंगाई गांव और जोगीधोपा तक बड़ी लाइन की क्षमता लगभग 600 बड़ी लाइन मालडिब्बों की होगी । फरक्का में मालडिब्बा घाट-उतराई की क्षमता पहले ही बढ़ाकर रोज़ाना 400 मालडिब्बों की कर दी गयी है और इस लिए फिलहाल क्षमता इतने की है । बोंगाईगांव और जोगीधोपा के आगे यातायात को सम्हालने के लिए सड़क और नदी परिवहन सुविधाए अभी बढ़ायी जाने को हैं और इसलिए फरक्का घाट की 400 मालडिब्बों की क्षमता का इस्तेमाल अभी पूरी तरह नहीं हो रहा है । बोंगाईगांव और जोगीधोपा के आगे यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने की योजनाएं हाथ में ली गयी हैं । मौजूदा 400 मालडिब्बों की घाट-उतराई क्षमता और बाद में बांध के ऊपर पुल पर 600 मालडिब्बों की क्षमता से असम क्षेत्र के यातायात की जरूरतें बिलकुल पूरी हो जायेंगी । इसलिए, सकरीगलीघाट पर दूसरी घाट-उतराई और सकरीगली धाट और कुमेदपुर के बीच नवी बड़ी लाइन के लिए बड़ी रकम लगाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तानी जल-प्रांगण के द्वारा आसाम को होने वाले नदी परिवहन को बंद हो जाने के कारण आसाम की सरकार तथा आसाम कांग्रस ने प्रधान मंत्री जी से उनके इस राज्य के हाल के दौरे के दौरान यह प्रार्थना की थी कि आसाम में परिवहन सुविधाओं में सुधार करने के लिये बोंगाईगांव और गौहाटी से परे बड़ी लाइन सम्पर्क का यह विस्तार-कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाना चाहिये ? सरकार कीइस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री शाम नाथ : जहां तक बोंगाईगांव और जोगीधोपा से परे मीटर गेज लाइन का सम्बन्ध है, हम इस सेक्शन की क्षमता बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठा रहे हैं और इस क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से हाल ही में एक केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली चालू की गई है । यह आशा की जाती है कि इस प्रणाली के चालू हो जाने से इस मीटर गेज लाइन की क्षमता काफी बढ़ जायेगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मेरा प्रश्न यह नहीं था ।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री जी को उनकी आसाम राज्य की यात्रा के दौरान एक अभ्यावेदन दिया गया था कि बड़ी लाइन को जोगीधोपा से आगे तक बढ़ाया जाय । आसाम सरकार ने योजना आयोग तथा रेलवे मंत्रालय को भी लिखा है । समूचे प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार गंगा के उत्तरी तट और कुभेदपुर के बीच, जिसका फासला केवल 3 मील है, बड़ी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा बनायेगी ?

श्री शाम नाथ : जहां तक सकरीगलीघाट पर दूसरी घाट-उतराई की व्यवस्था करने का सम्बन्ध है ताकि इस घाट-उतराई तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बीच क्षमता में वृद्धि की जा सके, यह अनुमान लगाया गया है कि वृद्धि केवल लगभग 25 किलोमीटर होगी और इसलिये सकरीगलीघाट पर एक और घाट-उतराई की व्यवस्था से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री हेम बरुआ : प्रश्न जोगीधोपा और बोंगाईगांव से परे मीटर गेज लाइन बढ़ाने का नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि राज्य की सुरक्षा तथा उसकी अर्थव्यवस्था के हित में आसाम की जनता यह मांग कर रही है कि बड़ी लाइन जोगीधोपा और बोंगाईगांव से परे डिब्रूगढ़ तक बढ़ाई जाय? यदि यह सच है तो क्या सरकार ने उस राज्य की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के हित में उस संगत तथ्य पर कोई विचार किया है?

डा० राम सुभग सिंह : आसाम सरकार ने रेलवे मंत्रालय तथा योजना आयोग से प्रार्थना की है और उसने प्रधान मंत्री जी को भी एक अभ्यावेदन दिया था जब वह हाल में उस राज्य की यात्रा पर गये थे। परन्तु जैसा कि आप जानते हैं, हमें जोगीधोपा के पास पंचतंत्र तथा जोगीधोपा के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही विस्तार-कार्य पर विचार किया जा सकेगा और समूचे प्रश्न को अन्तिम रूप दिया जायेगा। इस बीच परिवहन मंत्रालय राज्य सरकार के परामर्श तथा सहयोग से माल तथा यात्री यातायात के लिये वहां एक अन्तर्देशीय बन्दरगाह बना रहा है।

श्री हेम बरुआ : माननीय वित्त मंत्री जी ने एक दिन जोगीधोपा पर ब्रह्मपुत्र पर एक पुल के निर्माण का वायदा किया था क्या रेलवे मंत्रालय ने इस बात पर विचार किया है अथवा नहीं?

डा० राम सुभग सिंह : वायदे से पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि हम भी इसके लिये और लोगों की तरह ही इच्छुक हैं।

Shri Rameshwar Tantia : Has this come to the notice of the Government that a considerable quantity of goods is pilferraged while goods are transferred rom meter guage to broad gauge? If so, what arrangements have been made to check it?

Mr. Speaker : Does it happen in Assam?

Shri Sham Nath : May be, but efforts are always made to check it.

श्री अ० प्र० शर्मा : फरक्का बांध के कब तक पूरा हो जाने की आशा है?

श्री शाम नाथ : 1970-71 तक।

Shri Rameshwaranand : Will the line between Ambala and Delhi be doubled?

Mr. Speaker : The question relates to Assam. . .

ब्रिटिश वाणिज्यिक निर्माताओं से हथियार

+

*484. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दे० द० पुरी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **उद्योग** तथा **सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस सामान के संभरण के बारे में, जिसके लिए भारत ने आर्डर दे रखे हैं सैनिक सामान बनाने वाले ब्रिटिश वाणिज्यिक निर्माताओं के रवैया में कोई परिवर्तन आया है;

(ख) यदि हां, तो वायदे पूरे करवाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई कठिनाई होने की आशंका है?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ब्रिटिश वाणिज्यिक फर्मों के रवैये में परिवर्तन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं।

(ख) और (ग): संयुक्त राज से सैनिक धातुपात्रों का निर्यात संयुक्त राज के उन निर्यात नियंत्रण विनियमों द्वारा शासित किया जाता है जो कि जून, 1965 में बनाए गये और 2 अगस्त, 1965 से लागू किये गये थे। जान पड़ता है कि नियंत्रण के इन उपायों को इसलिए अवेक्षित किया गया ताकि युद्ध नीतिक माल के निर्यात को उन गंतव्य स्थानों के लिए निर्बद्ध किया जाये जहां की सरकारें संयुक्त राज से विशेषकर मैत्रीभाव नहीं रखती। इस से भी आगे, सितम्बर, 1965 के आरम्भ से लेकर उसी महीने के तीसरे सप्ताह तक भारत के लिए सैनिक धातुपात्रों की, ऐसी सप्लाई के लिए औपचारिक रोक थी। और 28 सितम्बर, 1965 से उन फालतू पुरजों और घटकों को जो हवाई जहाजों पर अथवा उन में प्रयोग होते हैं तथा हवाई जहाज के इन्जनों और उनके फालतु पुरजों और घटकों को भी उन मदों की लिस्ट में जोड़ दिया गया है जिनके लिए विशेष निर्यात परमिट की आवश्यकता होती है।

सितम्बर के तीसरे सप्ताह से भले ही अनौपचारिक रोक हटा दी गई लगतीं है फिर भी भारत सप्लाई मिशन, लन्दन द्वारा संयुक्त राज के बोर्ड आफ ट्रेड को दिये गए आवेदन-पत्रों के विरुद्ध निर्यात परमिटों को जारी करने में शिथिलता आ गई है जिसके फलस्वरूप हालत में सारवान उन्नति नहीं हो पायी। निर्यात लाइसेंसों के अतिशीघ्र जारी करने के प्रश्न को पूर्ति और विकास विभाग तथा रक्षा मंत्रालय ने भारत में ब्रिटिश हाई कमिशनर और लन्दन में अपने हाई कमिशनर ने ब्रिटिश सरकार से, उठाया है। तो भी हालत में अधिक सुधार नहीं हुआ। जान पड़ता है कि कुछ ब्रिटिश निर्माताओं ने भी यह प्रश्न ब्रिटिश सरकार से उठाया है। यदि वर्तमान हालत जारी रही तो यह असम्भव नहीं है निर्माता हमारे ठेकों के विरुद्ध तैयार माल को दूसरे ग्राहकों की ओर मोड़ दें।

श्री प्र० चं० बरुआ : ब्रिटेन से फालतू पुर्जे प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय उपक्रमियों को आकृष्ट करने के लिये ताकि वे भारत में ही उपकरण तैयार करें, दिल्ली में ब्रिटेन के सैनिक उपकरण, ट्रकों तथा टैंकों की एक प्रदर्शनी आयोजित की है। इस प्रदर्शनी के क्या परिणाम निकले हैं?

श्री रघुरामैया : अभी यह बताना कठिन है। हम अब भी ब्रिटिश सरकार को आवश्यक लाइसेंस जारी करने के लिये मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार अभ्यावेदन किये जा रहे हैं और यह भी हम विभिन्न सम्भावनाओं की खोजबीन कर रहे हैं। आन्तरिक उत्पादन को व्यवस्थित करने में समय लगगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : मेरा प्रश्न यह था कि क्या भारतीय उपक्रमियों ने इन वस्तुओं के निर्माण का प्रस्ताव किया है।

श्री रघुरामैया : पहली बात तो यह है कि यह विषय मेरे साथी, श्री हाथी, के अधिकार क्षेत्र में है परन्तु मैं इतना कहना चाहूंगा कि जहां तक मुझे पता है, इस मामले में अभी जांच पड़ताल हो रही है और हम अभी यह नहीं कह सकते कि वे उत्पादन कर सकेंगे अथवा नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सैनिक साज सामान के लिये हमने ब्रिटिश सरकार से कितने मूल्य के निर्यात परमिट मांगे हैं और क्या इस स्रोत से संभरण की कमी के कारण हमारे किसी प्रतिरक्षा उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है?

श्री रघुरामैया : मूल्य लगभग 70 लाख पौंड है और अब तक उन्होंने केवल 5 लाख पौंड का सामान भेजा है। शेष फालतू पुर्जों तथा हमारे लड़ाकू विमानों के लिये अपेक्षित अन्य वस्तुओं से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : क्या हमारे उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ?

श्री रघुरामैया : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न के उत्तर के लिये बाध्य न करें।

श्री बड़े : विवरण में लिखा हुआ है

"..............सितम्बर, 1965 के आरम्भ से लेकर उसी महीने के तीसरे सप्ताह तक भारत के लिये सैनिक धातुपात्रों की ऐसी सप्लाई के लिये अनौपचारिक रोक थी।"

आगे फिर कहा गया है कि कठिनाई अभी मौजूद है और कोई सुधार नहीं है। क्या हमारी सरकार ने ब्रिटिश सरकार को सूचित कर दिया है कि इस बात को एक अमैत्रीपूर्ण कार्य तथा उस करार का भंग होना, जो उसने सितम्बर से पहिले किया था, समझा जायेगा ?

श्री रघुरामैया : हर प्रकार का अभ्यावेदन किया जा रहा है, हर प्रकार की कोशिश की जा रही है। प्रत्येक बात ब्रिटिश सरकार के ध्यान में लायी जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसका ब्रिटिश सरकार को पता न हो।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर में हुई लड़ाई के बाद अथवा दौरान सरकारी स्तर पर ब्रिटेन से भारत को हथियार व सैनिक उपकरण के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया था अथवा ऐसा सरकारी व गैरसरकारी अर्थात वाणिज्यिक दोनों स्तरों पर किया गया था और यदि हां, तो वर्तमान स्थिति वस्तुतः क्या है ?

श्री रघुरामैया : इस सब के बारे में सभा पटल पर रखे गये उत्तर में विस्तार से बता दिया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह नहीं कहा गया है। श्रीमान् क्या उत्तर आपने पढ़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है।

Shri Vishwanath Pandey : What type of military equipment has been asked for from British manufacturers and what is its cost?

Mr. Speaker : He has told about the amount. Everything cannot be told.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या करार में जुर्माने के बारे में भी कोई उपबंध था और क्या हम इस करार के अनुसार निर्माताओं को यह सामान किसी और को देने से रोक सकते हैं और ब्रिटेन सरकार द्वारा प्रतिबन्ध हटाये जाने तक के उन्हें अपने पास ही रखने को कह सकते हैं ?

श्री रघुरामैया : इस प्रश्न पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं, क्योंकि कई निर्माता किसी और को यह सामान देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य प्रश्न तो हमारी कठिनाई का है। क्षतिपूर्ति आदि के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : विवरण में कहा गया है कि कुछ ब्रिटिश निर्माता वहां की सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं। सरकार का रवैया ठीक नहीं है, जिस के फलस्वरूप स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि निर्माता किन्हीं और ग्राहकों को तैयार माल दे दें। ऐसी स्थिति में सरकार ब्रिटेन की फर्मों के साथ ठेके कैसे जारी रखना चाहती है और क्या सरकार ब्रिटेन की सरकार को राष्ट्रमंडल में अपनी मित्र सरकार कैसे मानती है ?

श्री रघुरामैया : पुर्जे प्राप्त करना बहुत महत्व की बात है। हम अपनी ओर से ब्रिटिश सरकार पर पूरा दबाव डाल रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमें अधिक ब्यौरे बताने को न कहा जाये।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि औपचारिक प्रतिबन्ध हटा लिया गया है परन्तु पुर्जों के आयात के लिये परमिट नहीं दिये गये, क्या ब्रिटेन की सरकार हमारे साथ मित्रता का व्यवहार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं अर्थ निकाल सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप के आदेशानसार मंत्री महोदय का उत्तर संक्षिप्त और पूरा होना चाहिये। मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि सभी बातें विवरण में दी गई हैं। उस में दिया गया है कि ऐसा जान पड़ता है कि प्रतिबन्ध उठा लिया गया है......

अध्यक्ष महोदय : उसके पश्चात तीन या चार प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : इसमें है "कि ऐसा जान पड़ता है"। इस का क्या अर्थ है ?

श्री रघुरामैया : बात यह है कि एक प्रकार से प्रतिबन्ध हटा दिया गया है क्योंकि 5 लाख पौंड के लिये तो यह हटा दिया गया है। परन्तु वास्तव में उनके कहने और करने में बहुत अन्तर है....... **(अन्तर्बाधायें)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस समय कितने मूल्य के सामान के हमारे प्रार्थनापत्र इन निर्माताओं के पास लम्बित हैं और जिन का सामान अभी तक दिया नहीं गया है ? क्या यह सामान नासौ समझौते के अन्तर्गत दिया जाता था ?

श्री रघुरामैया : ये आर्डर 70 लाख पौंड के हैं। इन में से 5 लाख पौंड के सामान के बारे में परमिट जारी किये गये हैं। जहां तक अन्य माल का सम्बन्ध है वे व्यापारिक सौदें हैं। उनका सैनिक सहायता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मुरारका : विवरण में बताया गया है "कि 28 सितम्बर, 1965 से विमानों या उन के इंजिनों में प्रयुक्त होने वाले पुर्जों" को प्रतिबन्धित सुचि में जोड़ दिया गया है। 24 सितम्बर से तो युद्धविराम हो गया है। क्या यह अतिरिक्त प्रतिबन्ध युद्धविराम के समझौते के बाद लगाया गया है और क्या ये वस्तुएं सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के विमानों के लिये हैं ?

श्री रघुरामैया : इस में यह बताया गया है कि की ब्रिटिश निर्यात प्रतिबन्ध आदेश, अगस्त, 1965 से लागू किया गया था। मूल आदेश में ये प्रतिबन्ध नहीं थे। ये 28 सितम्बर के बाद उसमें जोड़े गये थे परन्तु सितम्बर के शुरु से 28 सितम्बर तक तो पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध था—इसे वे औपचारिक कहते हैं।

श्री मुरारका : सैनिक अथवा असैनिक ?

श्री रघुरामैया : हमारे आर्डर असैनिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के सामान के संबंध में थे। 'ऐवरो' भी उसमें आ जाता है।

श्री मुरारका : वह असैनिक है।

श्री रघुरामैया : हां, परन्तु सैनिक सामान भी उसमें आ जाता है।

श्री बड़े : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। केवल अन्तर्बाधा की जाती है।

Shri Bade : Please listen to me. There is a contradiction in the Minister's reply.

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और न ही कोई परस्पर विरोधी बात है।

श्री भागवत झा आजाद : आप के इस विनिर्णय का बहुत प्रभाव होगा। क्या हमें मन्त्री महोदय द्वारा परस्पर विरोधी बातें कहने पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये? यह एक महत्वपूर्ण बात है। एक ओर तो कहा गया है कि ब्रिटेन की सरकार का रवैया ठीक नहीं है और उसने प्रतिबन्ध नहीं उठाया है और दूसरी ओर वह कहते हैं कि औपचारिक प्रतिबन्ध उठाया जा रहा जान पड़ता है। प्रश्न काल में यहां पर इस प्रकार का उत्तर हम ठीक नहीं समझते। इसलिये जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया....

अध्यक्ष महोदय : इस में व्यवस्था की कोई बात नहीं है .... **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री बड़े : बात स्पष्ट होनी चाहिये। जब तक माननीय मंत्री ऐसा नहीं कहते, यह उत्तर संतोष जनक नहीं है ....**(अन्तर्बाधायें)**

Mr. Speaker : If hon. Members will continue speaking like that, I cannot conduct the proceedings. .... **(अन्तर्बाधायें)**

As I have said that there is no point of order in this. आप एक अनुपूरक प्रश्न कर सकते हैं। यहां पर नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, जिस के आधार पर मैं कहूं कि व्यवस्था का प्रश्न है या संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है। यदि कोई परस्पर विरोधी बात कही गई है तो माननीय मंत्री से पूछा जा सकता है।

श्री शिंकरे : श्री भागवत झा आज़ाद ने पूछा था कि यदि परस्पर विरोधी बात कही गई हो तो क्या आपत्ति नहीं कर सकते।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, there is a contradiction in hon. Minister's answer. Why a point of order cannot be raised?

अध्यक्ष महोदय : इसे करने के कई तरीकें है। श्री बड़े प्रश्न करें और मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री बड़े : विवरण से पता चलता है कि 28 सितम्बर, 1965 से पुर्जों आदि को भी प्रतिबन्ध वाली वस्तुओं की सूचि में जोड़ दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है या जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने प्रतिबन्ध हटा दिया है, ठीक है?

अध्यक्ष महोदय : प्रतिबन्ध हटाये जाने के बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। माननीय सदस्य सुनते नहीं हैं और प्रश्न करते रहते हैं। प्रतिबन्ध हटाये जाने के बारे में उन्होंने कहा है कि हमें सामान का थोड़ा सा भाग दिया गया है। इसलिये हम कह सकते हैं कि प्रतिबन्ध हटा दिया गया है। परन्तु वास्तव में प्रतिबन्ध हटाया नहीं गया है। शेष के बारे वह बता सकते हैं।

3—7 Lok Sabha/66

श्री रघुरामैया : यह सैनिक सामान के बारे में है। इसमें हमारे लडाकू विमानों और 'एवरों' विमान के लिये पुर्जे तथा आवाडी टैंक फैक्टरी के पुर्जे आदि आते हैं। ये सब 70 लाख पौंड के आर्डर में आते है।

श्री जोकीम आल्वा : ब्रिटेन के निर्माताओं को अपनी बातचीत में क्या हमने यह याद कराया है कि हमने ब्रिटन को जब वह जर्मनी से त्रस्त था, बिना शत के सामान दिया था और राशि भी बहुत बाद में ली थी ?

श्री कर्णीसिंहजी : क्या सरकार ने अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों से जो ब्रिटेन के लाइसेंस से सामान बनाते हैं, आवश्यक सैनिक सामान तथा पुर्जे आदि मंगाने की वांछनीयता पर भी विचार किया है।

श्री रघुरामैया : यदि ब्रिटेन अपने सौदे पूरे नहीं करता तो देश को और प्रबन्ध करने होंगे परन्तु मेरी प्रार्थना है कि सुरक्षा की दृष्टि से उन के ब्यौरे न पूछे जायें।

श्री दी० चं० शर्मा : हमारा उच्चायुक्त इस बारे में असफल रहा है और गर-सरकारी निर्माता भी सामान नहीं दे सके हैं। हमारी सरकार गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल विदेशों को भेज रही है और इस सदन के एक सदस्य ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से भी मिले है। सरकार ब्रिटेन की सरकार पर प्रभाव डालने के लिये क्या कर रही है ?

श्री रघुरामैया : सरकार इन सौदों के बारे में हर प्रकार के तरीके अपना रही है।

श्री नाथ पाई : मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमें किसी देश से कुछ लेना हों तो यह नहीं सोचना चाहिये कि जो कुछ मिले वह हम ले लें। जो देश हमारी सहायता करते हैं उनकी भी अपनी आवश्यकतायें होती ह। ऐसी स्थिति में यदि ब्रिटेन की सरकार कुछ गड़बड़ करती है तो क्या हम उनसे अपने समझौते पर जिन में छोटे समुद्री जहाजों के बारे में विकरज़ आर्मस्ट्रॉंग तथा आवाडी टैंक फैक्टरी संबंधी समझौते शामील हैं, पुनः विचार करेंगे ?

श्री रघुरामैया : माननीय सदस्य को यह बात देश के हितों की रक्षा के निमित्त सरकार पर छोड़ देनी चाहिये . . . (**अर्न्तबाधाएं**)

श्री नाथ पाई : मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देने के लिये इस समय तैयार नहीं है।

श्री रघुरामैया : यह बहुत नाजुक सामान है। और ब्रिटेन की सरकार कह रही है कि वह देने ही वाली है। हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम और भी उपायों का विचार कर रहे हैं। मैं यह जानकारी सदन को दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

'रोलर फ्लोर मिलिंग मशीनों' का देश में निर्माण

*479. **श्री भानू प्रकाश सिंह :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'रोलर फ्लोर मिलिंग मशीन' बनाने के कोई यूनिट है;

(ख) यदि हां, तो वे कहां पर हैं तथा उनकी अनुकूलतम क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि फ्लोर मिलिंग मशीनों के आयात की अनुमति दी जा रही है जब कि देश में ही बनी ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति खराब होने के कारण सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : निम्नलिखित एकक लघु क्षेत्र में रोलर फ्लोर मिलिंग मशीनों का निर्माण कर रहे हैं :—

नाम	कारखाने का स्थान
1. मेसर्स फ्लोर मिलर्स इंजीनियरिंग कारपोरेशन, नागपुर ।	नागपुर के निकट ।
2. मेसर्स भानजी नानजी एण्ड कम्पनी, बम्बई ।	मीराज, जिला संगली (महाराष्ट्र) ।
3. मेसर्स मैदा मिल मशीनरी कम्पनी, नई दिल्ली ।	फरीदाबाद के निकट ।

फिर भी इनमें से कोई भी फर्म सम्पूर्ण रोलर फ्लोर मिलिंग संयंत्र नहीं बना रही है।

(ग) और (घ) : आयात लाइसेंस संबंधी वर्तमान नीति के अनुसार पुराने आयातकों अथवा वास्तविक उपयोक्ताओं को रोलर फ्लोर मिलिंग मशीनों का आयात करने के बारे में कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है। वास्तविक उपयोक्ताओं अथवा आयातकों के उन आवेदन-पत्रों पर, जिन पर वास्तविक उपयोक्ताओं के आर्डर होते हैं, गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है बशर्ते कि इस बात का प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो कि देश के निर्माता अपेक्षित मशीनों का संभरण नहीं कर सकते। फ्लोर-मिलिंग मशीनों की उन वस्तुओं का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है जो देश में ही उपलब्ध हो जाती हैं।

पाकिस्तान में भारतीय बैंकों का बन्द किया जाना

*482. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पाकिस्तान सरकार ने आदेश दिये हैं कि पाकिस्तान में भारतीय बैंकों तथा भारतीयों द्वारा चलाये जा रहे अन्य प्रतिष्ठानों को बन्द कर दिया जायें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके परिणामस्वरूप सरकार ने यदि कोई प्रतिकारात्मक कार्यवाही की है तो क्या ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ज्ञात हुआ है कि भारतीय बैंकों तथा भारतीयों के स्वामित्व में और इनके द्वारा चालू अन्य संस्थानों को पाकिस्तान सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले लिया है। इसी प्रकार के कदम भारत सरकार द्वारा भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत उठाये गये हैं।

कोयले के भंडार

*485. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 10 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 549 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमान्त राज्यों की सरकारों से कहा है कि कोयले के तथा अन्य जरूरी चीजों के भंडार बनाये ताकि वर्तमान आपतकाल तथा प्रतिरक्षा की दृष्टि से आवश्यक वस्तुओं के लदान को दी गई प्राथमिकता के कारण कोई गड़बड़ी पैदा न हो; और

(ख) यदि राज्य प्राधिकारी ऐसा न करना चाहते हों तो क्या संघ सरकार का विचार कोयला ज़खीरे (डम्प) बनाने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) नहीं, महोदय ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हानि

*486. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वित्त वर्ष में ही केवल कोयला खानों के कार्य-संचालन पर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को लगभग 2 करोड़ रुपये की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोई जांच की गई है; और

(घ) कोयला खनन को मितव्ययी तथा लाभदायक बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) : कारपोरेशन के 1964–65 के हिसाब में 1.71 करोड़ रु० का घाटा हुआ है इस हानि का मुख्य कारण यह है कि कारपोरेशन को अपनी क्षमता के नीचे काम करना पड़ा क्योंकि कोयले की मांग पर्याप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त गिरिडीह कोयला खानें जोकि काफी अर्से से घाटे में चल रही थीं राष्ट्रपति के आदेश से चालू रहीं क्योंकि इनमें अच्छे किस्म का कोकिंग कोयला पैदा होता है। गिरिडीह में उन गड्ढों जिनमें कोयला प्राप्ति की मात्रा कम हो गई को बंद किया जाकर उन खानों जिनकी उपज का विक्रय संभव नहीं हुआ है में काम बंद किया जाकर तथा अनावश्यक कर्मचारीगण को स्थानांतर भी पृथक करके मितव्ययता के लिये सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

स्कूटरों का उत्पादन

*487. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ पुर्जों के आयात के लिय विदेशी मुद्रा के व्यय को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने देश में कुछ समय के लिये लम्ब्रेटा तथा वैस्पा स्कूटरों का उत्पादन बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या इन स्कूटरों के लिये अब तक आयात किये जाने वाले पुर्जे देश मे बनाने के लिये कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है; और

(ग) क्या अन्य फर्मों ने, जिन्हें देश में स्कूटरों के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये गये थे अपनी परियोजनाओं का कार्य आरम्भ कर दिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी नहीं, लेकिन स्कूटर उत्पादकों में से एक को इस वर्ष अगस्त तथा सितम्बर महीनों में विदेशी मुद्रा की कठिनाई की वजह से आयातित पुर्जों की कमी के कारण उत्पादन को काफी कम करना पड़ा था।

(ख) अभी भी आयात होने वाले सहायक उपकरणों का विकास करने के लिए और स्कूटर निर्माताओं द्वारा कारखानों में ही और अधिक पुर्जों को बनाने के लिये सुविधाओं के विकास के हेतु लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) स्कूटरों के निर्माण के लिये लाइसेंस प्रदत्त 5 फर्मों में से तीन में पहले ही उत्पादन हो रहा है। बाकी दो फर्मों (मैसर्स आइडियल जावा तथा मैसर्स एस्कार्टस) इस समय मोटर साइकिलों के उत्पादन पर जोर दे रही।

कोककर कोयले का उत्पादन

*488. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में इस्पात के उत्पादन के कार्यक्रम की दृष्टि से सरकार ने कोककर कोयले के गैर-सरकारी उत्पादकों से हाल में जो बातचीत की थी, उसका क्या परिणाम निकला ;

(ख) इस्पात कारखानों को पर्याप्त मात्रा में कोककर कोयला प्राप्त करने में क्या मुख्य कठिनाइयां हैं ;

(ग) खनन-कार्यक्रम का पालन करने तथा उत्पादन बढ़ाने में कोककर कोयले के उत्पादकों की क्या मुख्य शिकायतें हैं; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) कोकिंग कोल के बड़े उत्पादक अतिरिक्त उत्पादन के लिये अपनी योजनाएं कार्यान्वित करना चाहते हैं और अधिकांश एसा करने के लिये कार्यवाई भी कर रहे हैं।

(ख) अभी तक स्टील प्लांटों की मांग को पूरा करने के लिये कोकिंग कोल का उत्पादन पर्याप्त रहा है।

(ग) इसका सम्बन्ध मुख्यत: अतिरिक्त उत्पादन की पूर्ति के लिये राशि जुटाना तथा खपत के आश्वासन से है।

(घ) कोयला उद्योग द्वारा वित्तीय सहायता के सुनिश्चित प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा यह तय हो चुका है कि कोयला उद्योग के प्रतिनिधि दिये जाने वाले कोयले की मात्रा और किस्म के बारे में लम्बी अवधि के ठेकों के विषय में सीधी बातचीत करेंगे।

कोयला खानों के लिये विश्व बैंक ऋण

*489. **श्री म० ला० द्विवेदी :**

श्री स० चं० सामन्त :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों के लिये विश्व बैंक के ऋण के प्रयोग के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने चौथी योजना में खान उपकरण तथा मरम्मत के लिये पुर्जों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नये ऋण देने के लिये बातचीत शुरू की है ; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में वर्तमान तथा नई खानों के विकास के लिये पुर्जे तथा मशीनें पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होती रहें ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 15 नवम्बर 1965 तक 12.77 करोड़ रु० की राशि विश्व बैंक से पूर्ति किये जाने के लिये मांगी गई है।

(ख) नहीं, महोदय ।

(ग) आशा की जाती है कि एलाइड मशीनरी प्राजैक्ट, दुर्गापुर तथा अन्य निजी माइनिंग मशीनरी निर्माताओं द्वारा होने वाला अन्तर्देशीय उत्पादन निजी क्षेत्र की वर्तमान तथा नई खानों के विकास के लिये चाहे जाने वाले अतिरिक्त भागों और मशीनरी की जरूरतों का अधिकांश पूरा कर देगा।

नेपाल के साथ व्यापार

*490. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1960 की भारत-नेपाल व्यापार संधि को और पांच वर्ष के लिये बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच गत पांच वर्षों में कितने मूल्य का आयात-निर्यात हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) भारत सरकार और महाराज नेपाल को सरकार के मध्य हुई व्यापार और पारगमन संधि, जो 31 अक्तूबर, 1965 तक वैध थी, अब बढ़ा कर आगामी पांच वर्षों के लिये अर्थात् 31 अक्तूबर, 1970 तक कर दी गयी है।

(ख) पिछले पांच वर्षों में नेपाल को हुए निर्यात और वहां से हुए आयात का मूल्य दिखाने वाला एक विवरण सदन के मज पर रखा जाता है।

विवरण

नेपाल को हुए हमारे निर्यात तथा वहां से हुए आयात का पिछले पांच वर्षों का विवरण इस प्रकार है :—

(मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार सन्तुलन
1960–61	467	1020	(+)553
1961–62	359	916	(+)557
1962–63	264	437	(+)173
1963–64	539	1157	(+)618
1964–65	721	1662	(+)941

पाकिस्तान द्वार भारतीय उद्योगों का जप्त किया जाना

*491. **श्री राजेश्वर पटेल :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान सरकार के शत्रु सम्पत्ति संरक्षक ने इस देश में भारतीय उपक्रमों के प्रतिनिधियों द्वारा या वहां भारतीयों द्वारा चलाये जाने वाले समस्त कारबार तथा उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया है अथवा जप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से बातचीत की है; और

(ग) क्या कोई प्रतिकारात्मक कार्यवाही भी की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) भारत सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई है कि भारतीयों द्वारा पाकिस्तान में चलाये जा रहे व्यापार और उद्योगों को पाकिस्तान सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है। चूंकि पाकिस्तान सरकार द्वारा कराची में भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा है, अतः हमें इस मामले में ठीक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है।

(ख) यद्यपि इस समय यह कठिन है, परन्तु जैसे ही इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से वार्त्ता करना सम्भव होगा, हम इस विषय में वार्ता करने का प्रयत्न करेंगे।

(ग) समस्त अचल सम्पत्ति तथा कुछ प्रकारों की चल सम्पत्ति जो कि पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की है अथवा धारित अथवा उनकी ओर से व्यवस्थित होती है, भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत अब भारत के शत्रु सम्पत्ति संरक्षक के अधिकार में चली गयी है। इस सम्पत्ति को उनके कब्जे में ले लने की प्रक्रिया जारी है।

राजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण और नियुक्ति

*492. **श्री अ० प्र० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही रेलवे में एक डिविजन से दूसरे डिविजन में तथा एक रेलवे जोन से दूसरे जोन में राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रक्रिया निर्धारित है, और यदि हां, तो इसके लिये क्या अवधि निश्चित की गई है; और

(ख) 30 सितम्बर, 1965 को किसी विशेष स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय तक रहने वाले रेलवे अधिकारियों का डिविजनवार तथा रेलवे-वार ब्यौरा क्या है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कोई दृढ़ कार्यविधि नहीं है। लेकिन, आम तौर पर अफसरों को एक जगह तीन से पांच साल तक रखा जाता है और नौकरी की अपेक्षाओं में आवश्यक समझे जाने पर उन्हें स्थानान्तरित किया जाता है।

(ख) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–5247/65।**]

चकोस्लोवाकिया के साथ व्यापारिक और आर्थिक सहयोग

*493. **श्री विश्वनाथ राय :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री किन्दर लाल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापारिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव किया गया है कि भारत सरकार और चेकोस्लावाक समाजवादी गणतन्त्र द्वारा एक संयुक्त आयोग का गठन किया जाये, जोकि भारत में चेक सहयोग से उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं की खोज करेगा और व्यापार विस्तृत करने, दोनों ओर से इंजीनियरी सामान और रसायनों के विनिमय तथा दोनों देशों में उन वस्तुओं की क्षमता स्थापित करने के लिये जिनकी आवश्यकता दूसरे देश को हो, की सम्भावनाओं को स्पष्ट करेगा। इस संयुक्त समिति का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की आर्थिक सम्भावनाओं का पारस्परिक लाभ की दृष्टि से ठोस उपयोग करना है।

ट्यूबों और पाइपों का निर्माण

*494. **श्री जो० ना० हजारिका :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में ट्यूबों और पाइपों के निर्माण के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कोई लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्षमता क्या है और उस में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने इस में कितना कितना भाग लिया है; और

(घ) यदि इस औद्योगिक एकक ने कोई प्रगति की है, तो क्या ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) आसाम के अमीनगर में क्रमश: जी० आई० पाइपों और कमानीदार वेल्ड किये हुए पाइपों का निर्माण करने के लिये दो औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने के हेतु दो लाइसेंस मंजूर कर दिये गये हैं।

(ख) से (ग) :

	जी० आई० पाइप योजना	कमानीदार वेल्ड किये हुए पाइप योजना
1. वार्षिक क्षमता	12,000 मी० टन	4,800 टन
2. पार्टी द्वारा अनुमानित कुल विनि-योजन।	116.75 लाख रु०	अभी प्राप्त नहीं हुआ है। पूंजीगत उपकरणों पर अनुमानित व्यय 28·80 लाख रु०।
3. केन्द्रीय सरकार का प्रस्तावित हिस्सा।	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।
4. राज्य सरकार का प्रस्तावित हिस्सा	10 लाख रु०	राज्य सरकार के विचारा-धीन है।
5. प्रगति	भूमि प्राप्त कर ली गई है। आयात का लाइसेंस मिल गया है तथा पूंजीगत वस्तुओं के लिये आर्डर दिया जा रहा है।	भूमि प्राप्त की जा रही है। आई० एफ० सी०/आई० सी० आई० सी० आई० के ऋण से उपकरण का आयात करने के लिये अनुमति दे दी गई है। आई० सी० आई० सी० आई० से विदेशी मुद्रा में ऋण देने के बारे में पत्र-व्यवहार किया जा रहा है, पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म के साथ सहयोग की शर्तों के लिये भारत सरकार की सहमति मिल गई है।

हथगोलों का पाया जाना

*495. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 नवम्बर, 1965 को गढ़मुक्तेश्वर स्टेशन पर मुरादाबाद दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी के तीसरी श्रेणी के एक डिब्बे के 'वाश बेसिन' में दो हथगोले पाये गये ।

(ख) क्या यह भी सच है कि इस महीने के आरम्भ में दिल्ली में यमुना पुल के निकट एक हथगोला पाया गया था;

(ग) क्या इन मामलों की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । लेकिन यह घटना 3-11-1965 को हुई ।

(ख) और (ग) : जी हां ।

(घ) पुलिस अभी इन दोनों मामलों की जांच कर रही है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात तथा आयात

*496. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने निर्यात को बढ़ाने और आयात को घटाने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या चालू वर्ष के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) राज्य व्यापार निगम की मूल नीति उसके आर्टिकल्ज़ और मेमोरेन्डम आफ एसोसिएशन में समाविष्ट की गयी है और इनके अनुसार निगम निर्यात का विकास; नयी और कठिनाई से बिकने वाली वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि परम्परागत वस्तुओं के निर्यात विस्तार तथा निर्यात व्यापार को विविध प्रकार का करने तथा इसकी वृद्धि करने के लिये बाजारों की खोज के प्रयास करता है । इसने व्यापार सम्बर्द्धन के लिये सुविधा प्रदान करने और संविदा शीघ्रता-पूर्वक करने के लिये विदेशों में अपने कार्यालय और डिपो भी खोले हैं । इनका ब्यौरा "राज्य व्यापार निगम के आठ वर्ष" में दिया गया है और जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं ।

जहां तक आयात का सम्बन्ध है, निगम केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात करता है जिनके लिये उसे लाइसेंस जारी किये जाते हैं ।

(ख) और (ग) : यह सूचना देना निगम के व्यापार हित में नहीं होगा ।

Conversion of MG into BG lines

*497. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any long-term scheme to convert metre-guage lines in the country into broad-guage lines; and

(b) whether keeping in view the security aspect, the Barauni-Assam line is proposed to be converted into broad-guage line on priority basis?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) No, Sir.

(b) A broad guage line now exists from Katihar (in Bihar) to Jogighopa (in Assam). To provide additional capacity on the remaining Barauni-Katihar M.G., section (178 KMs) doubling of the sections Khagaria-Katareah and Karagola Road-Katihar, aggregating about 98 KMs., has also been done. The question of conversion of this section to B.G. was subsequently examined and it was found that the same is not justified from both the traffic and financial points of view.

Cargo Unloaded from "Garden of Karachi"

*498. **Shri Omkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Cargo off-loaded by Pakistan from the "Garden of Karachi" is proposed to be sent to U.K.; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) & (b). The Government of Pakistan is understood to have agreed that cargoes destined for India on the Pakistani vessel, the 'Garden of Karachi', the ownership of which till vested in the shippers in the U.K., should be allowed to be sent back to the U.K. Consignees in India of these goods will now have to take up the matter with the suppliers in the U.K., to get the goods in question re-shipped or replaced. However, this arrangement only touches a very small proportion of Indian cargoes involved and the bulk of them, particularly those shipped on an f.o.b. basis, are still held up.

Impounding of Cargo by Pakistan.

*499. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the Statement laid on the Table by the Minister of Transport on the 5th November, 1965 in response to a Calling Attention Notice regarding the impounding of Indian Vessels and Cargo by Pakistan and state :

(a) the particulars of India's 32,394 tons and Pakistan's 17,277 tons of Cargo which have been impounded by Pakistan and India respectively after the Indo-Pak. conflict;

(b) whether any action is being taken for the return of the cargo on a reciprocal basis; and

(c) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Mnistry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) Information only in regard to the tonnage of Cargo impounded from] various ships is available but the full details of the goods are not yet available.

(b) & (c). Yes, Sir. Suggestions for the exchange by either country of Cargo belonging to the other, were made to the Government of Pakistan but the reaction of that Government has not been favourable so far.

जूते बनाने के कारखाने

***500. श्री भानु प्रकाश सिंह : श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री यशपाल सिंह : श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जूते बनाने के कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर;

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि नियत की गई है; और

(घ) क्या वे कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे अथवा सरकारी क्षेत्र में ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) : जूतों के निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता बिल्कुल स्पष्ट है। यह कैसे हो इसके विषय में विचार किया जा रहा है। यह अध्ययन समाप्त हो जाने पर, सभी विवरण ज्ञात हो जायेंगे।

गदाधरपुर स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर

***501. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 नवम्बर, 1965 को पूर्व रेलवे के गदाधरपुर स्टेशन पर रामपुरहाट-हावड़ा यात्री गाड़ी एक खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा गई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में कुल कितने यात्री घायल हुये; और

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 39 व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से चार को सख्त चोटें पहुंची।

(ग) दुर्घटना के कारण की जांच कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के एडिशनल कमिशनर द्वारा की जा रही है।

मैसर्ज जैसप एण्ड कम्पनी

***502. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, में स्थायी नियंत्रक अंश प्राप्त करने का फैसला कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समझौते की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० एन० सिंह) : (क) और (ख) : भारत के राष्ट्रपति और मैसर्स साहू जैन लि० तथा उनके सहयोगियों के बीच सरकार द्वारा 11,23,000 अंशों को खरीदने के लिये, जो जैसप एण्ड कं० लि० के हैं, 18-8-65 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं : ये अंश कम्पनी के कुल इक्विटी अंशों के लगभग 55 प्रतिशत है। एक अनुपूरक करार की शर्तों के अधीन जिस पर 19-8-65 को हस्ताक्षर किये गये थे, 25 रु० प्रति अंश की दर से "लेखे पर" अंशधारियों को भुगतान करने की व्यवस्था की गई है तथा वे अंश राष्ट्रपति के नाम हस्तांतरित कर दिये गये हैं। इससे सरकार की नियंत्रण कारी रुचि बनी रहती है। अंशों का मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न मध्यस्थ निर्णय के लिये भेज दिया गया है। दोनों करारों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

पूना-मिरज मीटरगेज लाइन

***503. श्री मधु लिमये :** क्या **रेलवे** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 468 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन ने किन कारणों से रेलवे लाइन को पहले स्थान से हटाकर सतारा नगर के निकट बिछाया है;

(ख) क्या इस योजना को मिरज-कोल्हापुर मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलने की अधिक महत्वपूर्ण योजना की अपेक्षा अधिमान दिया गया है; और

(ग) इस लाइन को इस प्रकार बदलने के परिणामस्वरूप मिरज-पूना लाइन पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर प्रतिवर्ष कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) पूना-मिरज बड़ी लाइन को (सातारा टाऊन, जोकि जिले का हेडक्वार्टर है, के नजदीक से ले जाने का फैसला इस बात को देखकर किया गया था कि इसके लिये जनता की प्रबल मांग थी और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ने इस मांग का समर्थन किया था।

(ख) यह फैसला, मिरज-कोल्हापुर खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के सुझाव से अलग है। रेलवे बोर्ड इस सुझाव पर भी विचार कर रहा है और इससे सम्बन्धित आवश्यक सर्वेक्षण का काम अभी हाल ही में ही पूरा किया गया है। पूना-मिरज सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने की मंजूरी मिल चुकी है और यह काम पहले से ही हो रहा है। इसलिये, इस सेक्शन के एक हिस्से के मार्ग-निर्धारण के सम्बन्ध में फैसला करने में देर नहीं की जा सकती थी।

(ग) सीधे जाने वाले यात्रियों हर पर साल लगभग 60,000 रुपये अधिक खर्च आने का अन्दाजा है।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची

***504. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी निगम, रांची, के प्रबन्धकों को सभी मजदूर संघों ने एक साथ हड़ताल करने अथवा कार्यवाही करने का नोटिस दिया है;

(ख) क्या निगम ने कर्मचारियों के वर्तमान अवकाश तथा छुट्टियों में कटौती करने की अधिसूचना जारी की है जिस से उनमें असंतोष फैल गया है;

(ग) क्या यह सच है कि काम बंद होने से प्रतिरक्षा उत्पादन में बाधा पड़ेगी और भारी वित्तीय हानि होगी; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय आपातकाल में प्रबंधकों ने ऐसी नई व्यवस्था किन कारणों से लागू की है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) निगम ने प्रमाणित स्थायी आदेशों के अनुसार अवकाश और छुट्टियों के लिए निर्णय को लागू करने के बारे में घोषणा कर दी है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस में कोई नई बात नहीं हुई है । सरकारी और गैर-सरकारी अन्य कम्पनियों की पद्धति के समान ही कम्पनी के प्रमाणित स्थायी आदेशों के अनुरूप कार्यवाही की गई है । यह कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है ।

Train Dacoity near Bareilly

***505. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Yashpal Singh :**
Shri Onkar Berwa : Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Yudhvir Singh : Shri Kindar Lal :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 8th November 1965 a gang of dacoits robbed the passengers travelling by the 355 Up Agra-Bareilly Passenger between Bahjoi and Dhanari Railway Stations on Bareilly-Chandausi-Aligarh Section of the Northern Railway;

(b) whether it is also a fact that this gang had assaulted the passengers with knives and ran away after stopping the train by pulling the alarm chain;

(c) if so, the extent of loss suffered and the number of passengers injured or killed as a result thereof; and

(d) the action taken by Government in this regard?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes Sir, but the incident took place between Bhakrauli and Dhanari Stations.

(b) Yes Sir. Only one person who tried to resist received a simple knife injury.

(c) The loss is estimated at Rs. 3,837 approximately. Five passengers received minor injuries and none was killed.

(d) First aid was rendered to the injured persons at Bahjoi station. The Govt. Rly. Police, Moradabad, who were immediately informed of the incident, registered a case u/Ss 395/397 IPC on 8-11-65 and are vigorously investigating into it. Armed escorts have since been provided to both the Up & Down Agra-Bareilly Passenger trains.

सपरेटा पाउडर

1312. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सपरेटा पाउडर का निर्माण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो कुल क्षमता कितनी है और वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) देश में बने उत्पादन की प्रति टन लागत क्या है; और

(घ) इस पाउडर का प्रति टन विक्रय मूल्य क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1965 के अन्त तक कुल क्षमता लगभग 10,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो जाने की आशा है । 1965 में सपरेटा पाउडर का उत्पादन अनुमानत: लगभग 1,500 मीट्रिक टन हो जाने की आशा है क्योंकि सपरेटा पाउडर बनाने की क्षमता का इस्तेमाल रक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण दुग्ध पाउडर तैयार करने की आवश्यकता पूरी करने में भी किया जा रहा है ।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) लगभग 6,000 रु० प्रति मीट्रिक टन ।

केरल में बडगरा स्टेशन पर सुपर एक्सप्रेस गाडियोंका रुकना

1313. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें बडगरा (केरल) स्टेशन पर सुपर एक्सप्रेस गाड़ियों को रोकने के लिए प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 12-11-65 से वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस गाड़ियों को बडगरा स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था की गयी है ।

काकिनाडा और हावड़ा के बीच के लिये रेलवे बोगी

1314. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काकिनाडा और हावड़ा के बीच चलने वाली सीधी बोगी हावड़ा मेल से हटा ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस बोगी के हटाये जाने के विरोध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सीधे जाने वाला यातायात कम होने के कारण ।

(ग) जी हां ।

(घ) यातायात सम्बन्धी औचित्य न होने के कारण सीधे जाने वाले सवारी डिब्बे को फिर से चलाने का विचार नहीं है । काकिनाडा पोर्ट-सामलकोट खण्ड के स्टेशनों के यात्रिकों को हवड़ा-मद्रास डाक गाड़ियों द्वारा हवड़ा आने-आने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामलकोट में जहां मेल लेने वाली शाखा लाइन की गाड़ियां उपलब्ध है, यानान्तरण का समय सुविधाजनक है ।

नाप-तोल की मीट्रिक प्रणाली

1315. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाप-तोल की मीट्रिक प्रणाली साधारण लोगों के लिए सन्तोषजनक, सुविधाजनक तथा सरल सिद्ध हुई है;

(ख) क्या इस प्रणाली से उत्पन्न कठिनताओं, कमियों तथा त्रुटियों के बारे में संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों ने शिकायतें की है तथा अभ्यावेदन दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों तथा शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रणाली सम्बन्धी कठिनाइयों, असुविधाओं और कमियों की बहुत कम शिकायतें और अभिवेदन किये गये हैं ।

(ग) अभिवेदनों के मामलों में, सम्बद्ध व्यक्तियों को मीटर प्रणाली की सरलता और इस के उपयोग की आसानी पूर्णरूप में समझाई गयी है ।

तूम (स्लूस) तथा जलपाश द्वारों (लाक गेट) का निर्माण

1316. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तूम (स्लूस) तथा जलपाश द्वारों (लाक गेट) का निर्माण करने की योजनाएं विचाराधीन है;

(ख) क्या इनके डिजाइन केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विशेषज्ञों द्वारा बनाये जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो इनको किन इंजीनियरिंग फर्मों में फैब्रिकेट किया जायेगा तथा किस आधार पर;

(घ) इन द्वारों की वार्षिक मांग अनुमानतः क्या है; और

(ङ) इनका निर्यात कब तक संभव होगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (घ) : नीचे सिर वाले स्लूस गेट तथा लाक गेट देश की वर्तमान वकशापों में बनाए जा रहे हैं जैसे मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी तुंगभद्रा तथा स्टील प्रोडक्टस लि० नांगल वर्कशाप आदि। ऊंचे सिर वाले गेटों की रूपरेखा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में बनाने के लिए तथा इस प्रकार के जलकपाटों के निर्माण करने का काम आम तरीकों से टैंडर मांग कर विभिन्न वर्कशापों को सौंपने के लिए योजना पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार के ऊंचे सिर वाले स्लूसगेटों की अनुमानित मांग लगभग 25,000 टन है। चौथी पंचवर्षीय योजना में जब वकशाप इनका काफी संख्या में उत्पादन करने लगेंगी इन्हें निर्यात किया जा सकता है।

दग्ध मेग्नेसाइट का निर्माण

1317. **श्री राम हरख यादव :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री किंदर लाल :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्मोड़ा जिले में दग्ध मेग्नेसाइट के निर्माण के लिये एक संयंत्र स्थापित करने के लिये कोई लाइसेन्स दिया है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र का अनुमानित परिव्यय कितना होगा; और

(ग) संयंत्र की वार्षिक अनुमानित क्षमता क्या होगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 80 लाख रु०।

(ग) 36,000 मीट्रिक टन।

न्यूजीलैंड से भारत के लिये ऊन का अंशदान

1318. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूजीलेंड कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत के लिये ऊन का अपना अंशदान नहीं भेज रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ऊन देने के लिये न्यूजीलैण्ड से कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में कांच और कांच के सामान का निर्माण

1319. **श्री राम हरख यादव :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में कांच और कांच के सामान का निर्माण करने की पर्याप्त क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

4—7 Lok Sabha/66

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 6,500 मी० टन ।

केरल से तेपिओका का निर्यात

1320. **श्री पोट्टकाट्ट :**
श्री अ० ब० राघवन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में केरल के तेपिओका के निर्यात के हेतु परमिटों के लिये जिलावार कितने आवेदन पत्र आये हैं;

(ख) जिलावार कितने तथा कितनी-कितनी मात्रा के लिये लाइसेंस दिये गये हैं;

(ग) क्या अनुज्ञिप्त मात्रा का निर्धारण करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है; और

(घ) क्या सम्बन्धित पक्षों को उनके आवेदन पत्र नामंजूर करने के कारण बताये जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते क्योंकि तेपिओका का निर्यात (नियन्त्रण) आदेश 1962 के अन्तर्गत नियन्त्रण नहीं किया जाता और किसी भी अनमतिप्राप्त देश को इसका निर्यात करने के लिये किसी लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होती ।

कृषि औजारों का आयात

1321. **श्री कोल्ला वकया :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय फर्म ने ट्रक्टरों तथा कृषि औजारों के आयात के सम्बन्ध में युगोस्लाविया के साथ एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है;

(ग) कौन कौन से औजारों का आयात किया जायेगा; और

(घ) करार का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (घ) : किसी भी भारतीय फर्म ने ट्रैक्टरों और कृषि औजारों का आयात करने के लिये युगोस्लाविया के साथ कोई करार नहीं किया है । किन्तु मेसर्स ट्रक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट, म ास नामक एक भारतीय फर्म को देश में ही कृषि ट्रैक्टरों एवं औजारों का निर्माण करने के लिये यूगोस्लाविया से पुर्जों का आयात करने की अनुमति दे दी गई है । यह फर्म कमानियों, चकतियों, ढले बोर्डों तथा फालों का आयात कर रही है ।

Forward Trading in Cotton

1322. **Shri D. S. Patil :**

Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have received memoranda from the Co-operative Cotton Ginning and Pressing Factories demanding a ban on forward trading in cotton; and

(b) if so, the action taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रेलवे स्टेशनों पर सैनिकों के लिये भोजन व जलपान की व्यवस्था

1323. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने होटल और रेस्तोरां संस्था को रेलवे स्टेशनों तथा अन्य विश्राम स्थलों पर सैनिकों के लिए भोजन व जलपान की व्यवस्था करने की अनुमति देकर विशेष सुविधायें प्रदान की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Trains run with Diesel Locomotives

1324. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Parashar :**
Shri Subodh Hansda : **Shri S. N. Chaturvedi :**
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the trains which are being run with diesel locomotives since the 1st October, 1965 and the total number of diesel locomotives operating at present;

(b) the number of factories manufacturing diesel locomotives in the country at present together with their production capacity;

(c) whether the Itarsi Diesel Shed has been completed and if not, when it is likely to be completed; and

(d) whether the capacity of these diesel locomotives is comparatively greater and they are also less expensive as compared to other locomotives and if so, the difference between the capacity and expenses of both types of engines ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Number of diesel locomotives on line as on 1-10-1965 was:—

Broad Gauge . . .	485
Metre Gauge	174
Narrow Gauge . . .	33
TOTAL .	692

Diesel locomotives are primarily used for haulage of goods trains on Eastern, South Eastern, Central, Western, Southern, Northern and Northeast Frontier Railways.

From 1-10-1965 a few diesel locomotives are being used to haul Howrah-Madras Mails and Howrah-Kalka Mails (between Howrah and Asansol only). Also some suburban services in Delhi area are run with diesel locomotives. All passenger trains on the hill section of Kalka-Simla and Neral-Matheran are also hauled by diesel locomotives.

(b) One; Diesel Locomotive Works, Varanasi has been planned to progressively reach the target production of about 150 standard diesel locomotives per annum by the middle of the Fourth Plan with possibility of further expansion.

(c) No. Some essential facilities are expected to be ready by the middle of 1966 and the shed is expected to be completed by the end of 1967.

(d) The hauling capacity of the main line standard diesel locomotive is greater than that of the standard steam locomotive but the diesel locomotive also costs more. The cost of operation by diesel and steam locomotives depends on various factors such as investments required, cost of the respective fuels at the place of operation, the conditions and characteristics of each section especially the gradients, the traffic densities, the composition of traffic etc. Comparative costs would thus vary depending on such factors as obtain on particular sections. It has been our experience, that on sections dealing with higher densities of traffic, diesel traction, besides having important operational advantages, is generally more economical than steam operation.

Crimes on N. E. Railway

1325. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the success achieved by the Railway Protection Force this year particularly on the North-Eastern Railway, in checking the crimes committed on the running trains, Goods Sheds and Station Yards, as compared to the last year; and

(b) the amount spent on this campaign?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). A statement giving the necessary information is attached. [**Placed in the library.** *See* **No. LT-5248/65.**]

उत्तर प्रदेश में उद्योग

1326. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1965 में उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिये कितनी राशि मंजूर की है;

(ख) राज्य सरकार ने अब तक कितनी राशि खर्च की है; और

(ग) इस अवधि में उत्तर प्रदेश में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 1965-66 के लिए उद्योग और खनिज के लिए 645 लाख रु० का परिव्यय स्वीकार किया गया है जिसमें 300 लाख रु० की राशि बड़े तथा मध्यम आकार के उद्योगों के लिए, 7.5 लाख रु० खनिज विकास कार्यक्रम के लिए तथा 337.5 लाख रु० ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिए है।

(ख) तथा (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

Allotment of Tin and Cement to UP

1327. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Uttar Pradesh have requested the Central Government to increase the present quota of tin and cement ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Industry and Heavy Engineering in the Ministry of Industry & Supply (Shri T. N. Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Uttar Pradesh Government asked for an increase in their quarterly quota of Cement from 1,75,050 tonnes to 3 lakh tonnes. The quota had been increased from 1,47,300 tonnes to 1,75,050 tonnes with effect from the period January-March, 1965. In view of the limited availability of cement in the country and the reported heavy stocks with the dealers, the Government of India were unable to increase the quota further.

The request of the Uttar Pradesh Government for increased allocations of non-ferrous metals (including tin) is based on the "Non-ferrous Metals Assessment Survey (1964)" carried out by the Central Small Industries Organisation in cooperation with the State Directorate of Industries. The draft Survey Report is being reviewed by a Sub-committee set up by the Government of India. The State Government have been informed that since no decisions have been taken on allocations of non-ferrous metals on the basis of capacities recently assessed, their request for increased allocation could not be entertained at present.

जनता एक्सप्रेस गाड़ियां

1328. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब रेलों में अधिक जनता एक्सप्रेस गाड़ियां (सब तीसरी श्रेणी की) चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जनता एक्सप्रेस गाड़ियों सहित सवारी ढोने वाली अधिक गाड़ियां चलाने का विचार है, बशर्ते उनके लिए विभिन्न खण्डों पर लाइन क्षमता, चल-स्टाक आदि के रूप में साधन उपलब्ध हों और साथ ही यातायात की दृष्टि से उनके लिए औचित्य हो। यह बताना सम्भव नहीं है कि इनमें से कितनी गाड़ियां जनता एक्सप्रेस गाड़ियां होंगी, लेकिन सभी मुख्य मार्गों पर जनता गाड़ियां चलाने के सुझाव विचाराधीन हैं।

Abohar and Fazilka Rail Link

1329. **Shri Bagri :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to connect Abohar and Fazilka by rail;

(b) if so, whether a survey has been undertaken for this purpose; and

(c) when it is likely to be completed ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) & (b). No.

(c) Do not arise.

रेलवे इलेक्ट्रिक वर्कशाप, दिल्ली से रेफ्रिजरेटरों की चोरी

1330. श्री भानु प्रकाश सिंह : **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री रेलवे इलेक्ट्रिक वर्कशाप, दिल्ली से रेफ्रिजरेटरों की चोरी के बारे में 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 986 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले के बारे में विशेष पुलिस संस्थान का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पांच दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमित अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गयी है और एक मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन तीन आरोप-पत्र फौजदारी अदालत में दाखिल किये गये है।

फर्म के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है।

चाय का निर्यात

1331. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 सितम्बर, 1965 को पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किये जाने के बाद से चाय के निर्यात व्यापार में बहुत अधिक बाधा उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में तथा इसके बाद की अवधि में पिछले वर्ष की तदनुसार अवधि की तुलना में चाय का निर्यात कहां तक कम हुआ है ; और

(ग) इन घटनाओं के परिणामस्वरूप 1964 के आंकड़ों की तुलना में 1965 में चाय का कितना निर्यात होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) तथा (ख) : सितम्बर और अक्तूबर, 1965 में हुए चाय के निर्यात का कुल मूल्य 29.26 करोड़ रु० रहा जबकि गत वर्ष के इन्हीं महीनों में यह 32.48 करोड़ रु० रहा था।

(ग) चूंकि इस वर्ष चाय की फसल सन्तोषजनक है इसलिये 1965 में भी चाय का नि ति 1964 की अपेक्षा यदि कुछ अधिक नहीं हुआ तो कम से कम उसके बराबर तो अवश्य रहने की आशा है।

Looting of a Goods Train on Eastern Railway

1332. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some dacoits stopped a goods train between Dumraon and Twining Ganj Stations on the 6th/7th October, 1965;

(b) whether it is also a fact that a number of mustard oil tins were removed from the Goods train;

(c) if so, the number and value of oil tins removed; and

(d) the action taken in that regard ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, on the night of 6th/7th October, 1965.

(b) Yes.

(c) 27 tins of mustard oil worth Rs. 1620/- were stolen, out of which 13 tins worth Rs. 780 were subsequently recovered by Railway Protection Force personnel.

(d) The matter was immediately reported to the police. The Government Railway Police Buxar have registered a case u/S 379 I.P.C. and are investigating into it. One suspected culprit was arrested.

Tea Plantations

1333. Shri Yashpal Singh :

Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about ten per cent of tea plantations get damaged by insects and other diseases; and

(b) if so, the effective steps being taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) It is reported that between 12 to 15% of the tea crop is lost annually due to damage caused by pests and diseases.

(b) The Tea Board is working out a scheme for a National Programme for the eradication of the major pests of tea.

मैसूर में रेशम उद्योग

1334. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर और जम्मू तथा काश्मीर में कोयों से रेशम निकाल कर चर्खों पर ओटने (फिलेचर मिल्क) के काम में कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिए कोई अभ्यावेदन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) सरकारी रेशम सूत्रणों, मैसूर और जम्मू तथा काश्मीर द्वारा 1961-62 से उठाये गये घाटे इस प्रकार हैं :—

(लाख रु० में)

वर्ष	मसूर सूत्रण	जम्मू सूत्रण	काश्मीर सूत्रण
1961-62 . .	11.33	शून्य	शून्य
1962-63 . .	18.94	शून्य	शून्य
1963-64 . .	26.87	1.05	शून्य
1964-65 . .	22.00 (अस्थायी)	अप्राप्य	अप्राप्य

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड को एक अभ्यावेदन मैसूर सरकार से प्राप्त हुआ है।

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इस मामले की जांच के लिये एक विशेष समिति गठित की है और उक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

पालनी पहाड़ियों में एल्यूमिनियम के भण्डार

1335. **श्री बालकृष्णन** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालनी पहाड़ियों में एल्यूमीनियम के भण्डारों की खोज करने के लिए योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा सन् 1964-65 में पालनी पर्वत शृंखला के वेरिजाम और कोनालर क्षेत्रों के स्फोदिज (वाक्साइट) संचयों का प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। अभी तक लिए गये नमूनों की रसायनिक जांच से इस स्फोदिज में 31.84 से 57.07 प्रतिशत तक एल्यूमिना पाई गई है। अन्वेषण अभी जारी है और सब प्रकार से पूरा किये जाने के उपरान्त ही संचय की मात्रा और किस्म के बारे में अन्तिम परिणाम मालूम हो सकेंगे।

छोटी कोयला खानों का परस्पर मिलाया जाना

1336. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटी अलाभकर कोयला खानों को परस्पर मिला देने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा उस का क्या फल निकला है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : छोटी और अलाभ कोयला खानों के स्वैच्छिक समामेलन को उन्नत करने के लिये 1958 में एक समिति बनाई गई थी और इस समिति ने अभी तक समामेलन/कोयला खानों की सीमाएं निश्चित करने के 59 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है और 38 मामलों में वास्तविक समामेलन हो चुका है।

Textile Mills in Madhya Pradesh

1337. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2378 on the 17th September, 1965 and state :

(a) whether it is a fact that some financial assistance has been given by the Central Government for the modernisation of textile mills in Madhya Pradesh;

(b) if so, the amount of assistance given to each mill, when that was given as also the particulars of the assistance given by the State Government;

(c) the Mills which have fully utilised that assistance; and

(d) the reasons why the remaining Mills did not utilise the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S.V. Ramaswamy) : (a) to (d). A Statement showing the particulars of loans sanctioned by the National Industrial Development Corporation Limited for the modernisation of textile mills in Madhya Pradesh is attached. Beyond the information furnished in answer to part (b) of Unstarred Question No. 2378, dated the 17th September, 1965, Government have no information about assistance given by the State Government. [**Placed in the library.** *See* **No. LT/5209/6517**]

Funds against the sanctioned amounts are drawn by the mills in instalments as and when the machinery included in the rehabilitation scheme is acquired by them or when payments for machinery are required to be made to the machinery suppliers. This accounts for the partial utilisation of the loans in some cases.

आस्तियों तथा दायित्वों के विवरण

1338. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने सब रेलों को हिदायतें जारी की है कि रेलवे कर्मचारियों को सतर्कता निरीक्षक पद पर नियुक्त होने पर तथा उसके बाद समय समय पर अपनी आस्तियों तथा दायित्वों के विवरण देने चाहियें; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जो नियम लागू हैं उनके अनुसार केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी सम्पत्ति का विवरण दिया करें। सतर्कता निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति विभिन्न विभागों के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में से की जाती है और इसलिए उनके द्वारा सम्पत्ति विवरण दिये जाने का सवाल नहीं उठता।

उत्तर रेलवे के वित्तीय सलाहकार एवम् मुख्य लेखाधिकारी के कार्यालय के क्लर्क

1339. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के कार्यालय में कुल क्लर्क दो वर्षों से अधिक समय से बराबर उन्हीं स्थानों पर काम कर रहे हैं; जहां ठेकेदारों के बिलों का भुगतान किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन्हें अन्य सेक्शनों में स्थानान्तरित करने का रेलवे प्रशासन का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : इन कर्मचारियों को किसी निश्चित अवधि के बाद कार्यालय के एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में बदलना अपेक्षित नहीं है लेकिन, ऐसा केवल तभी किया जाता है जबकि प्रशासी आधार पर उन्हें बदलना आवश्यक समझा जाता है।

नागालैण्ड में कागज बनाने का कारखाना

1340. श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड सरकार ने अनगुरी में कागज बनाने का एक मिल खोलने के लिये विश्वजनीन टण्डर मांगे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मिल पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा उस की क्षमता कितनी होगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) तथा (ख) : नागालैण्ड सरकार ने कार्यकारी पूंजी समेत 10 करोड़ रु० की लागत के तथा 100 मी० टन प्रति दिन की क्षमता के एक लुग्दी तथा कागज बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिए एक प्रोजना की सम्भाविता रिपोर्ट का प्रारूप तयार कर लिया है। सम्भाविता रिपोर्ट में तीन स्थानों के बारे में सुझाव दिया गया है लकिन जब तक विभिन्न बातों की विस्तृत जांच न हो जाए तब तक के लिए कोई अन्तिम सुझाव नहीं दिया गया है। नागालण्ड की सरकार ने इस प्रायोजना को स्थापना के लिए टेंडर मांग है या नहीं, इसका केन्द्र सरकार को कोई ज्ञान नहीं है।

हार्ड कोक सम्बन्धी कार्यकारी दल

1341. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 3 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 396 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हार्ड कोक संबंधी कार्यकारी दल के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस में की गई सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : कोल कौंसिल आफ इंडिया की पुर्ननिर्मित (कोयला सलाहकार समिति) उत्पादन व सज्जा समिति की उपसमिति की स्टील प्लांटों को छोड़कर देश में हार्ड कोक की जरूरत को आंकने तथा मांग और पूर्ति के वैषम्य को दूर करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन को सुनियोजित करने की सिफारिशों पर विचार किया जा चुका है तथा वे भिन्न भिन्न अवस्थाओं में कार्यान्वित हो रही है। हार्ड कोक की दर पर पुर्नविचार करने का प्रश्न अलग से सरकार के विचाराधीन है।

धातु-कार्मिक कोयले की कमी

1342. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वगनों की कमी होने तथा कोयला धोने के कारखानों की धुले हुए कोयले की नियमित सप्लाई बनाये रखने में असमर्थता के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में धातु-कार्मिक कोयले का पर्याप्त भंडार नहीं है ; और

(ख) धुले हुए कोयले की सप्लाई में होने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : केवल इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने अस्थायी रूप से कोयले के संचय की कमी का जुलाई/अगस्त 1965 में सामना किया क्योंकि वर्षा ऋतु में कुछ सम्बन्धित कोयला खानों के उत्पादन में कमी हो गई थी। दूसरे डिपों(Depots) से कोयला दिया जाकर इस परिस्थिति का सामना किया गया। अभी तक इस्पात प्लांटोंका धुले हुए कोयले की प्राप्ति के विषय में कोई कठिनाई नहो हुई है।

सरकारी क्षेत्र की कोयला खानें

1343. श्री स० चं० सामन्त :

श्री सुबोध हंसदा :

श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में प्रति मीट्रिक टन कोयले के खनन पर औसतन क्या लागत आती है;

(ख) कोयले को धोने की प्रति मीट्रिक टन औसत लागत क्या है; और

(ग) मध्य श्रेणी के कोयले के एक मीट्रिक टन से औसतन कितनी आय होती है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग) : एक मीटरी टन कोयले के खनन की औसतन लागत एक खान की दूसरी खान से भिन्न होती है तथा समय समय पर विभिन्न कारकों पर निर्भर होती है। सरकारी क्षेत्र में एक मीटरी टन कोयले के खनन की लागत का स्तर 23.70 रु० और 29.04 रु० के बीच का है। धोने की लागत 17.21 रु० और 21.10 रु० प्रति मीटरी टन के बीच के स्तर की है जो कच्चे कोयले की किस्म, धोने की आवश्यक सीमा, अपनाये गये तरीके आदि पर निर्भर है। एक मीटरी टन पंचमा की औसतन आय 13 रु० और 16.78 रु० के स्तर की होती है जो किस्म पर निर्भर होती है।

रामकृष्णपुर, हावड़ा मे रेलव गोदाम

1345. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुर, हावड़ा में रेलवे गोदाम से एक व्यापारी के द्वारा दालों का स्टाक न उठाये जाने के कारण गोदाम दालों से भर गया है;

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों ने दालों की ढुलाई के लिये अतिरिक्त वैगन न देने का निर्णय किया है;

(ग) क्या उस व्यापारी के इस कृत्य के कारण पश्चिम बंगाल में दालों की कमी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जहां तक हवड़ा मालगोदाम का सम्बन्ध है, उत्तर नहीं में है।

रामकिस्टोपुर गोदाम में कभी-कभी दिन की समाप्ति पर भारी मात्रा में दालें पड़ी रह जाती हैं, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में नहीं कि उनकी वजह से भीड़-भाड़ हो जाये या वहां कोई प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता हो।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : रेल प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है।

दिल्ली डिवीजन में आय से अधिक सम्पत्ति के मामल

1346. **श्री ओंकार लाल बरवा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली डिवीजन में काम करने वाले स्टशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों तथा गार्डों की संख्या क्या है, जिनके पास अपनी आय से कमीं अधिक सम्पत्ति है ; और

(ख) रलवे प्रशासन ने उन की सम्पत्ति के साधनों तथा स्त्रोतों का बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेलव मंत्रालय म राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिह) : (क) ऐसे दो मामले सामने आये हैं जो केवल स्टेशन मास्टरों से सम्बन्धित हैं।

(ख) वर्तमान नियमों और आदेशों के अनुसार अराजपत्रित रेल कर्मचारियों द्वारा उनकी अचल सम्पत्ति आदि के बारे में सामयिक विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है। यदि किसी कर्मचारी के पास उसकी आय के ज्ञात साधनों से अधिक परिसम्पत्तियों के होने की शिकायत या सूचना मिलती है, तो आवश्यकता पड़ने पर, सत्यापन के लिए एसे व्यक्ति से उसकी परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में एक घोषणा-पत्र ले लिया जाता है। इस प्रकार सत्यापन के बाद और आवश्यक समझने पर उस मामले में आगे छानबीन की जाती है और जब कभी आवश्यकता होती है, इस सम्बन्ध में विशेष पुलिस सिब्बन्दी की सहायता ली जाती है।

दिल्ली स्टेशन से भेजे गये फल तथा सब्जियां

1347. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मेन स्टेशन से 10-6-1965 से 30-6-1965 तक की अवधि में ताजे फलों तथा सब्जियों के कुल कितने पासल बीकानेर, पासल डिपो, ग्रांट रोड तथा अहमदाबाद के लिए बुक किये गये;

(ख) कितने पार्सल अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचे; और

(ग) इस कमी के लिए रेलव प्रशासन ने कुल कितनी राशि के दावों का भुगतान किया है अथवा करना है ?

रेलव मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क)	बीकानेर . . .	9,788
	पार्सल डिपो ग्रांट रोड . .	20,241
	अहमदाबाद . .	15,497
(ख)	बीकानेर	18
	पार्सल डिपो, ग्रांट रोड . .	315
	अहमदाबाद . .	47

(ग)

	दावों की कुल रकम	भुगतान किये जाने वाले दावों की कुल रकम
	रु० पै०	रु० पै०
बीकानेर . .	88.17	कुछ नहीं
पार्सल डिपो, ग्रांट रोड .	764.80	552.00
अहमदाबाद	534.15	कुछ नहीं

रेलवे व्यापार विभाग के कर्मचारी

1348. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों के व्यापार विभाग के एक ही श्रेणी के कर्मचारियों के वतनक्रम भिन्न भिन्न हैं, अर्थात् मुख्य व्यापार निरीक्षक को 450 रुपये से 550 रुपये तक, मुख्य भोजन व्यवस्था निरीक्षक को 370 रुपये 450 तक, वरिष्ठ व्यापार निरीक्षक को 335 रुपये से 450 रुपये तक और भोजन व्यवस्था निरीक्षक को 250 रुपये से 380 रुपये तक;

(ख) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके लिये समान वतन क्रम बनाने का सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता।

चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण

1349. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हीं चिकित्सा सम्बन्धी कीमती उपकरण बनाने का सरकार का विचार है जो इस समय विदेशों से मंगवाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां। देश में अनेक एककों में चिकित्सा के औजारों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें से एक सरकारी क्षेत्र में है। हाल ही में कुछ फर्मों को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियोस्कोप, डायाथर्मी, संवदनाहरण तथा भौतिक-चिकित्सा जैसे महंगे उपकरणों का निर्माण करने के लिये भी अनुमति दे दी गई है।

आसाम में कागज तथा सीमेंट का निर्माण

1350. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री नि० र० लास्कर :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में सरकारी क्षेत्र में कागज तथा सीमेंट बनाने के दो संयंत्रों स्थापित करना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : आसाम सरकार खसी और जयन्तिया की पहाड़ियों के चेरापूंजी में सीमेंट का एक कारखाना लगा रही है जिसकी वार्षिक क्षमता लगभग 84,000 मीट्रिक टन होगी। यूगोस्लाविया से संयंत्र का आयात किया जा चुका है तथा उसे लगाने का काम किया जा रहा है। इस कारखाने के 1966 से चलने लगने की आशा है। कागज का कारखाना स्थापित करने के बारे में भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई भी निणय नहीं किया गया है किन्तु अब कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

इलैक्ट्रोड का निर्माण

1351. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रत्येक उद्योग की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(क) इलक्ट्रोड्स आर्क वेल्डिंग तथा अन्य सामान;

(ख) आक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाईट्रस आक्साइड आर्गन, धुली हुई ऐसीटिलीन और दुर्लभ गैस जैसी गैसें ;

(ग) कोर वायर तथा आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के काम में आने वाले तार;

(घ) गैस वेल्डिंग तथा धातु काटने के उपकरण;

(ख) गत पांच वर्षों में प्रत्येक उद्योग ने उपरोक्त विभिन्न वस्तुओं का कुल कितना उत्पादन किया; और

(ग) (एक) गैर सरकारी क्षेत्र, और (दो) सरकारी क्षेत्र में उपरोक्त वस्तुओं की कुल कितनी खपत हुई ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

1353. **श्री कोल्ला वैंकेया** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के पहले नौ महीनों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के घड़ी एकक की कितनी क्षमता का उपयोग नहीं हुआ;

(ख) इस क्षमता के उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हैदराबाद के निकट हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पांचवे एकक से अति सूक्ष्म तथा सामान्य कार्य के खराद का निर्माण कार्य किसी अन्य एकक को सौंपा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किस एकक को तथा ऐसा करने के क्या कारण है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) तथा (ख) : घड़ियों की यूनिट में 1965 के जनवरी से सितम्बर के काल में 2,25,000 घड़ियों के लक्ष्य की तुलना में 1,57,147 घड़ियों का उत्पादन हुआ। यह कमी आवश्यक कच्च माल तथा पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के उपलब्ध न होने के कारण हुई।

(ग) तथा (घ) : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी के कार्यक्रम के अनुसार उच्च कोटि की तथा सामान्य प्रकार की खरादें बनाने का काम कम्पनी के कालामसरी (केरल) के कारखाने में शुरू किया जाएगा। अतः यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हैदराबाद का कारखाना जो कि अभी निर्माणाधीन है ट्रांस्फेर लाइनें, गीयर मन्यफैक्चरिंग मशीनें, तथा बोरिंग मशीने इत्यादि बनाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है।

केरल में औद्योगिक बस्ती

1354. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य में शेर हलाई में एक औद्योगिक बस्ती बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना चर्च होने का अनुमान है; और

(ग) औद्योगिक बस्ती कब तक बनाई जायेगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

मिर्जापुर जिले में सीमेंट कारखाना

1355. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिर्जापुर जिले में दला में एक सीमेंट कारखाना स्थापित किया जायगा; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने की उत्पादन क्षमता और अनुमानीत लागत क्या होगी ।

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्पादन क्षमता 4,00,000 मी० टन प्रति वर्ष है तथा अनुमानित लागत 7.4 करोड़ रु० वार्षिक है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा अर्जित भूमि

1356. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग तीन वर्ष पूर्व दक्षिण-पूर्व रेलवे ने कालमना, नागपुर के निकट 12 लाख रुपये देकर 62 एकड़ भूमि अर्जित की थी;

(ख) क्या हाल ही में भूमि अर्जन अधिकारी ने अनुमान लगाया है कि उस भमि का मूल्य केवल 21,000 रुपये है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार इतना अधिक भुगतान करने के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ख) और (ग) : इस सौदे के बारे में कई शिकायतें मिलने पर यह मामला छानबीन के लिए 11-10-1965 के विशेष पोलीस सिब्बन्दी (Special Police Establishment) को दे दिया गया है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

मैंगनीज अयस्क

1357. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज अयस्क सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदन 4 सितम्बर, 1965 को दे दिया गया है।

(ग) और (घ) : प्रतिवेदन की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि मैंगनीज अयस्क के निर्यात को अधिकतम करने के उद्देश्य से इस निर्यात को एक-दो केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा करना वांछनीय होगा जो कि सावधानी के साथ समन्वित की गई कार्रवाई द्वारा भारतीय मैंगनीज अयस्क के लिये सर्वोत्तम मूल्य और शर्तें प्राप्त कर सके। समिति ने यह नोट किया है कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में पहले ही कार्रवाई कर चुकी है जबकि उसने जुलाई में ही भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि० तथा मैंगनीज अयस्क (भारत) लि० की माफत मैंगनीज अयस्क का नियति करना शुरु कर दिया। ये दोनों ही माध्यम सरकारी संस्थान हैं।

समिति ने यह सिफारिश भी की है कि चूँकि खनिज और धातु व्यापार निगम ही एक मात्र ऐसा अभिकरण है जो छोटे खान मालिकों से अयस्क खरीदता है, इसलिये उसे ही वर्ग की किस्म अच्छी बनाये रखने तथा उत्पादन लागत घटाने के उद्देश्य से अपने ऊपर इनकी खानों को विकसित तथा आधुनिक ढंग का करने के लिये तकनीकी और जहां कहीं सम्भव हो व्यवस्था और वित्तीय सहायता देने का सक्रिय भार भी ले लेना चाहिये। इस तथा प्रतिवेदन की अन्य सिफारिशों पर खनिज निर्यात सलाहकार समिति और भी विचार कर रही है जैसा कि व्यापार बोर्ड ने निश्चय किया है। इस विचार के जो परिणाम होंगे वे व्यापार बोर्ड के समक्ष यथाशीघ्र रख दिये जायेंगे। अन्य सिफारिशों में ये भी है :—

(1) मैंगनीज अयस्क की नई खानों की खोज को उच्च प्राथमिकता दी जाय। यह खोज निर्यात में सुविधा की दृष्टि से तट के निकटवर्ती क्षेत्रों में और लौह-मैंगनीज तथा इस्पात के कारखानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में उनकी बढ़ती हुई मांगें पूरी करने की दृष्टि से विशेष की जाय।

(2) अयस्कों का मिश्रण कुछ चुने हुए केन्द्रों में किया जाय। विभिन्न क्षेत्रों में निकले विविध प्रकार के अयस्कों पर एक अधिकरण द्वारा नियन्त्रण किये जाने से यह कार्य सुविधापूर्वक हो सकेगा।

(3) विशिष्ट प्रकार के अयस्कों को सुधारने की प्रविधि-आर्थिक सम्भावनाओं की अब विस्तार से गवेषणा होनी चाहिये। अन्य गवेषणा में भारतीय अयस्कों का फासफोरस अंश घटाने वाली प्रणालियों को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिये।

(4) सुधारे गये अयस्क के लिये रायल्टी में रियायत देनी चाहिये जिससे घटिया किस्म के अयस्क की सुधार-प्रणालियां अपनाने को प्रोत्साहन मिले। स्थानीय लौह मैंगनीज संयन्त्रों को सुधरे हुए अयस्क का उपयुक्त पिण्डीकरण के पश्चात् प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये।

(5) राज्य सरकारों के साथ समन्वय रखते हुए मैंगनीज क्षेत्रों में वर्तमान सड़कों को सुधारने तथा कुछ अतिरिक्त सड़कें बनाने की ओर विशेषतः ध्यान देना चाहिये क्योंकि उत्पादन लागत में सड़क परिवहन की एक महत्वपूर्ण मद रहती है। खानों से लगभग 5 मील दूर तक सड़कें अच्छी दशा में रखने का दायित्व खान मालिकों को होना चाहिये। शेष सड़कों का दायित्व सरकारी अधिकारियों पर रहेगा।

(6) निर्यात के लिये भेजे जाने वाले मैंगनीज अयस्क के रेल भाड़े की उन दरों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिये जो 1 अप्रैल 1963 से लागू है।

(7) रेल साइडिंग की सुविधाओं के अलावा डिब्बे निर्धारित करने में भी इस तथ्य की ओर यथोचित ध्यान देना चाहिये कि इस उद्योग को मिश्रण सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण डिब्बों की पूरी कतार में माल का भेजा जाना कठिन होता है।

(8) खानों के चुने हुए क्षेत्रों के तार मार्ग (रोप वे) बनाने के लिये उपयुक्त सर्वेक्षण करना चाहिये जिससे कि परिवहन की लागत घटाई जा सके।

(9) मैंगनीज अयस्क का निर्यात करने वाले बन्दरगाहों के लिये विशिष्ट सुझाव दिये गये हैं जिससे अधिक तेजी के साथ माल को जहाजों पर लादा जा सके और इस प्रकार अधिक बड़े जहाजों का निर्यात के लिये प्रयोग किया जा सके।

(10) मैंगनीज खान मालिकों के सहकारी अभिकरण अथवा खान ब्यूरो जैसे सरकारी विभाग अथवा खनिज तथा धातु व्यापार निगम जैसे अन्य केन्द्रीय अभिकरण की मार्फत केन्द्रीय स्थलों पर आवश्यक खनन उपकरणों का एक संग्रह स्थान बनाना चाहिये जहां से खान मालिकों को उपयुक्त शर्तों पर ये उपकरण उपलब्ध हो सकें।

(11) जहां राज्य सरकारों को विशिष्ट खानों को उचित अवधि के अन्दर विकसित करने तथा चलाने की कोई निश्चित योजना न हो वहीं इन्हें निजी क्षेत्र के औद्योगिकरणों द्वारा चालू करने के लिये छोड़ देना चाहिये। लौह मैंगनीज उद्योग को उपयुक्त क्षेत्रों के पट्टे देने के बारे में भी विशेषत: विचार किया जाना चाहिये जिससे अयस्क के लिये वे अपनी खानों पर अधिकाधिक निर्भर रह सकें। जहां तक वर्तमान पट्टों का प्रश्न है उनका नवीकरण विधिसम्मत अधिकतम अवधि से कम समय के लिये तब तक नहीं करना चाहिये जब तक कि स्वयं पट्टेदार ही कम अवधि के लिये आवेदन न करे।

(12) आयकर, बिक्रीकर, रायल्टी, डेड रेण्ट और स्थानीय करों के विषय में भी कुछ सहायता देने के लिये भी कुछ सिफारिशें की गई हैं।

समिति का विचार है कि 1975 तक मैंगनीज का विश्व व्यापार बढ़कर 100 लाख टन हो जायेगा जबकि यह इस समय 50 लाख टन है। 5 लाख टन का यह बढ़ा हुआ व्यापार संभरण साधनों (जैसे कि भारत) के लिये उपलब्ध रहेगा जिसने अभी इसके लिये किसी विशेष उपयोक्ता से वायदा न किया है। इस प्रसंग में समिति ने कहा है कि भारत इस खनिज के विश्व व्यापार में भारत और अधिक व्यापार पाने की आशा कर सकता है, परन्तु इसके लिये शर्त यह होगी कि वर्तमान उत्पादन में अपेक्षित परिमाण को संभरण करने योग्य वृद्धि हो जाय और साथ ही उन विभिन्न उपायों द्वारा लागत घटाने की प्रमुख आवश्यकता पर यथोचित ध्यान रखा जाय, जिनकी समिति ने सिफारिश की है और जो संक्षेप में ऊपर दिये गये हैं।

कृषि औजारों का निर्माण

1358. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल आयात किये जा रहे कृषि औजारों को देश में बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) देश में बने औजारों से देश की आवश्यकता कितनी पूरी होती है; और

(ग) क्या पंजाब सरकार को शक्ति चालित हलों का निर्माण करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई है?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : ट्रैक्टर तथा शक्ति चालित हलों के उन निर्माताओं को जिन्हें इसी प्रकार के कृ- उपकरण और ट्रैक्टरों द्वारा खींचे जाने वाले उपकरण बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है। भारतीय

परिस्थितियों के अनुरूप उपकरण बनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ विशेष प्रकार के उन पूर्ण उपकरणों का जिनके देश में उत्पादन की योजना बन चुकी है, आवश्यकता के अनुसार आयात करने के लिए अनुमति दी गई है। लेकिन देश में उपकरणों की आवश्यकताओं के बड़े भाग की मांग को स्वदशी साधनों से ही पूरा किया जाता है।

(ग) जी, हां, पंजाब सरकार को अभी हाल ही में एक आशय पत्र भेजा गया है।

रेलवे योजनायें

1359. श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में कार्यान्वित किये जाने के लिये पंजाब सरकार ने कौन कौन सी रेलवे योजनायें प्रस्तुत कीं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) पंजाब सरकार ने तीसरी और चौथी योजनाओं में शामिल करने के लिए जिन प्रस्तावों की सिफारिश की है उनकी सूची :—

I. तीसरी पंचवर्षीय योजना

1. चंडीगढ़-लुधियाना
2. चंडीगढ़-जगाधरी
3. बटाला-कादिया लाइन को श्री गोविन्दपुर होकर बुटारी तक बढ़ाना
4. भिवानी-खैरा-तोशम
5. नरवाना-बरवाला
6. नांगल-उना
7. सिरसा-भद्रा-भट्टू-फतेहाबाद-रतिया-जाखल
8. कैथल और बुला होकर जींद-पटियाला
9. सिरसा-ओटू-रनिया-चिचल-एलनबाद
10. बरवाला-सिरसा-सघैरा-अबोहर
11. पानीपत-गोहाना (उखाड़ी गयी लाइन को फिर से बिछाना)
12. गुड़गांव-अलवर-भरतपुर
13. गढ़ी हरसरु-फर्रुखनगर लाइन को झज्जर और भिवानी तक बढ़ाना
14. रोहतक-हिसार
15. होशियारपुर-उना-नांगल
16. तलवारा होकर पठानकोट-उना

II. चौथी पंचवर्षीय योजना

1. चंडीगढ़-लुधियाना
2. नांगल-तलवारा
3. गोहाना-पानीपत (उखाड़ी गयी लाइनों को फिर से बिछाना)

(ख) राज्य सरकार ने तीसरी योजना के लिए जो प्रस्ताव भजे थे, उनमें से कोई प्रस्ताव धन और साधनों के सीमित होने के कारण तीसरी योजना में निर्माण के लिए शामिल नहीं किया जा सका। चौथी योजना में जिन नयी लाइनों को हाथ में लेना है, उनकी सूची को योजना आयोग और अन्य सम्बन्धित हितों के सहयोग से अभी अन्तिम रूप देना बाकी है। इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों के साथ पंजाब सरकार के प्रस्तावों पर भी समुचित विचार किया जायेगा। लेकिन नयी लाइनों के निर्माण के लिए चौथी योजना में तीसरी योजना से भी कम रकम और साधन उपलब्ध होने की संभावना है और इस बात में बड़ा सन्देह है कि क्या राज्य सरकार के प्रस्तावों को इतनी अग्रता मिल पायेगी कि उन्हें उस सूची में शामिल किया जा सके जो अन्त में बहुत काट-छांट के बाद स्वीकार की जायेगी।

रायगड़ा (उड़ीसा) में उपरिगामी पुल

1360. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगडा (उड़ीसा) में सड़क के उपरिगामी **पुल** के निर्माण के बारे में क्या नवीनतम प्रगति हुई है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : राज्य सरकार द्वारा अभी तक ऊपरी पुल के लिए स्थान का चनाव और पहुंच-मार्गों के लिए सीध-निर्धारण के काम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। उसे इस मामले में दुबारा लिखा गया है।

रूरकेला इस्पात संयंत्र की आय

1361. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूरकेला इस्पात संयंत्र ने उपभोक्ताओं को जो अपने उत्पाद बेचे उनसे उसे जो आय हुई वह 30 सितम्बर, 1965 को कितनी थी?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : 1958-59 से लेकर राउरकेला इस्पात कारखाने ने अपने उत्पादों के विक्रय से निम्नलिखित धन प्राप्त किया है :—

वर्ष	रुपए उत्पादों का विक्रय
1958-59	294,049
1959-60	36,207,683
1960-61	94,009,734
1961-62	162,369,659
1962-63	349,858,063
1963-64	588,088,914
1964-65	721,220,880
1965-66 . . . . . (30-9-65 तक)	408,018,406
जोड़ .	2,360,067,388

बारगढ़ में सीमेंट का कारखाना

1362. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 26 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 450 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बारगढ़ (उड़ीसा) के प्रस्तावित सीमेंट कारखाने के विस्तार के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : बारगढ़ में सीमेंट का प्रमुख संयंत्र लगाने का काम पूरा किया जा रहा है और अगले वर्ष के प्रारम्भ से उसके चलने लगने की सम्भावना है। नींव खोदने के काम का आयोजन इस प्रकार किया गया है जिससे विस्तार योजना को भी शामिल किया जा सके। औद्योगिक विकास निगम उड़ीसा लि० ने बताया है कि प्रमुख संयंत्र को लगाने और उसे वास्तव रूप से चलाने के बारे में प्राप्त अनुभव के आधार पर ही उसकी विस्तार योजना आरम्भ की जायेगी।

औद्योगिक लाइसेंस

1363. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में अब तक उड़ीसा से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन पत्र मिले हैं ; और

(ख) इन में से कितने स्वीकार किए गए तथा कितने अस्वीकार किए गए ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने के हेतु लाइसेंसों को प्राप्त करने के लिए 1965 के दौरान (15 नवम्बर, 1965 तक) 20 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 9 पार्टियां उड़ीसा की हैं।

(ख)	(1)	उन प्रार्थना पत्रों की संख्या जिन्हें आशय पत्र भेज दिए गए हैं .	2
	(2)	रद्द किए गए प्रार्थनापत्रों की संख्या	4
	(3)	उन प्रार्थना पत्रों की संख्या जो उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते	2
	(4)	उन प्रार्थना पत्रों की संख्या जिन पर विचार किया जा रहा	12

मद्रास-विल्लुपुरम रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

1364. **श्री धर्मलिंगम् :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और विल्लुपुरम (दक्षिण रेलवे) के बीच रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन पर सभी गाड़ियां कब से बिजली के इंजनों से चलाई जायेंगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां। विषुप्पुरम-ताम्बरम खण्ड का 25 कि० वा० हाई वोल्टेज ए० सी० प्रणाली से विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है और ताम्बरम-मद्रास खण्ड की लोअर वोल्टेज डी० सी० प्रणाली को ए० सी० प्रणाली में बदलने का काम अब हाथ में ले लिया गया है ताकि यह 1966 में पूरा हो जाये।

(ख) इस समय सभी सीधी मालगाड़ियां, ठहरने वाली सवारी गाड़ियां और दो एक्सप्रेस गाड़ियां ताम्बरम और विषुप्पुरम के बीच बिजली रेल इंजनों द्वारा चलायी जा रही हैं। आशा है, 1966 में समूचे मद्रास-ताम्बरम-विषुप्पुरम खण्ड पर सभी माल और सवारी गाड़ियां बिजली रेल इंजनों से चलने लगेंगी।

पटसन के मूल्य

1365. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटसन का अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य निश्चित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) तथा (ख) : आसामबाटम किस्म की पटसन के कलकत्ता में डिलीवरी मूल्य रु० 80.38 प्रति क्विण्टल को आधार मान कर पटसन का न्यूनतम मूल्य पहले से ही चालू है। इसके अलावा कोई अन्य अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

रेशम का आयात

1366. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में कितने तथा कितने मूल्य के रेशम का आयात किया गया; और

(ख) इसी अवधि में इस पर कितना शुल्क इकट्ठा किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) अप्रैल-सितम्बर, 1965 की अवधि में आयात किये गये कच्चे रेशम का कुल परिमाण और मूल्य इस प्रकार है :—

मात्रा (कि० ग्रा०)	मूल्य (लाख रु० में)
47,556	25.92

(ख) उपरोक्त अवधि के सम्पूर्ण आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। किन्तु, फिर भी कच्चे रेशम पर आयात शुल्क के रूप में अप्रैल-अगस्त, 1965 की अवधि में 15,81,676 रु० की राशि वसूल की गयी है। इस राशि में दिल्ली कलक्टर के कार्यालय द्वारा जून से अगस्त 1965 की अवधि में वसूल किया गया शुल्क सम्मिलित नहीं है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को घाटा

1367. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटड को प्रति वर्ष घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस के स्थापित्त होने से अब तक इसे प्रतिवर्ष कितना घाटा हुआ ;

(ग) इस के क्या कारण हैं तथा स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इस वर्ष स्थिति में सुधार होने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : मूल्य ह्रास और ब्याज के लिए व्यवस्था करने के पश्चात् असली हानि निम्नलिखित हैं :—

	(मिलियन रुपए)
1958-59	7.51
1959-60	48.53
1960-61 . . .	150.09
1961-62	170.30
1962-63 . . .	260.01
1963-64	47.90

1964-65 के वर्ष में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को मूल्य-ह्रास और सरकारी ऋणों पर ब्याज के लिए व्यवस्था करने के पश्चात् प्रथम बार शुद्ध लाभ हुआ है। ठीक लाभ का पता हिसाब-किताब को अन्तिम रूप किए जाने के पश्चात् लगेगा।

Over-Bridge on Sarai Rohilla Rly. Station

1368. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to construct an over-bridge on the western side of Sarai Rohilla railway station on the Shakti Nagar Road, Delhi in order to connect the old Rohtak Road with the new Rohtak Road; and

(b) if so, when the construction work is likely to start ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Yes.

(b) The proposed scheme, which is being jointly examined by the Railway, Delhi Development Authority and Municipal Corporation, is also connected with the drainage scheme of that area which is being dealt with by the C. P. W. D. The construction is tentatively proposed to be started in 1966-67 after the preliminaries are finalized and Delhi Development Authority provide funds for their share of the cost.

भारतीय खान ब्यूरो का भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में विलय

1369. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो के एक भाग का भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में विलय करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) भारतीय खान ब्यूरो के पूर्वेक्षण खनन, व्यधन विभाग जो उसके अन्वेषणात्मक शाखा में आते हैं उन्हें भारतीय भौमिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में दिये जाने का विचार है।

(ख) भारतीय भौमिकी विभाग खनिज संचयों के प्रारम्भिक मूल्यांकन के उद्देश्य से भौमिकी मान-चित्रण तथा अन्वषणात्मक व्यधन करता है। भारतीय खान ब्यूरो बाद में किस्म को सिद्ध करने तथा संचयों की मात्रा निर्धारण के लिये विस्तृत अनुसंधान करने के लिये उत्तरदायी है। अनुभव से पाया गया है कि पूर्वेक्षण कार्य का प्रारम्भिक तथा विस्तृत अनुसंधान करने के लिये दो भागों में विभाजन प्राय: पुनरावृति और दरी का कारण बनता है। पृष्ठभूमि का ज्ञान विशेषज्ञता तथा नियंत्रित संचालन का नैरन्तर्य बनाये रखने के लिये तथा खनिज संचयों के शीघ्रतर अनुसंधान के लिये पूर्वेक्षण के सम्पूर्ण कार्य का उत्तरदायित्व एक ही संस्था में विहित किया जाना पेअक्षित है।

प्रस्तावित स्थानान्तरण के विस्तारों पर काम किया जा रहा है।

केरल के जिलों का भूतत्वीय सर्वेक्षण

1370. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने केरल राज्य के कोज़ीकोड तथा पालघाट ज़िलों का सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्षेत्र तथा उद्देश्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) हां, महोदय।

(ख) वर्तमान सर्वेक्षण की सीमा ठीक प्रकार से भौमिकी मान-चित्रण तथा खनिजों का प्रारम्भिक निर्धारण करना है।

लखनऊ में रेलवे रिसर्च डिजाइन्स एण्ड स्टैण्डर्ड आरगेनाइजेशन का कार्यालय

1371. **श्री ह० च० सोय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ में रेलवे रिसर्च डिजाइन्स एण्ड स्टैण्डर्ड आरगेनाइजेशन के कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोर्ट के अनुसार पदोन्नतियां नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए पदोन्नति ग्रेड में आरक्षण के बारे में वर्तमान आदेशों का पालन लखनऊ के अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन में किया जा रहा है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

रेलवे में अधिकारियों की पदोन्नति सम्बन्धी प्रक्रिया

1372. **श्री अ० प्र० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में श्रेणी 'दो' के अधिकारियों की वरीय वेतन मान अथवा श्रेणी 'एक' वरीय वेतन मान में पदोन्नति के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ख) क्या यह वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर तैयार की गई है, और यदि हां, तो उपयुक्तता का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है;

(ग) क्या रेलवे के कार्मिक सम्पर्क शाखा में कार्मिक संपर्क प्रबन्ध पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त व्यक्तियों तथा सामाजिक विज्ञान के स्नातकों को उनकी पदोन्नति के मामले में उन व्यक्तियों पर प्राथमिकता दी जाती है जो इन में अर्हता प्राप्त नहीं है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) : रेलों के विभिन्न विभागों में द्वितीय श्रेणी के अफसर प्रथम श्रेणी में निश्चयात्मक प्रवरण के आधार पर पदोन्नत किये जाते हैं। प्रवरण विभागीय प्रवरण समितियों के माध्यम से किया जाता है जिनका अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य होता है। प्रत्येक समिति विभाग के सभी पात्र अफसरों के सेवा-विवरण (तकनीकी योग्यता सहित) और गोपनीय रिपोर्ट देखने के बाद उनकी योग्यता निर्धारित करती है और प्रथम श्रेणी में स्थायी पदोन्नति और वरिष्ठ वेतन मान में स्थानापन्न पदोन्नति देने के लिये अलग-अलग सिफारिश करती है। जब बोर्ड द्वारा ये सिफारिशें मान ली जाती है और संघ लोक सेवा आयोग उनका अनुमोदन कर देता है, तो जितनी जगहें खाली होती है, उतनी जगहों के लिये पदोन्नति आदेश जारी किया जाता है।

पुर्जों का निर्माण

1373. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री मुथिया :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संभरण तथा तकनीकी विकास विभाग उन पुर्जों को देश में बनाने की व्यवस्था की संभावना की जांच पड़ताल कर रहा है जो अब तक निर्यात किये जा रहे थे,

(ख) क्या विभिन्न किस्म की मशीनों के लिये अपेक्षित पुर्जों की कोई सूची तैयार की गई है,

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिये विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये वि ाग में कोई विशेष सैल स्थापित किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में तकनीकी विकास तथा संभरण मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) पूर्ति और तकनीकी विकास विभाग देश में मशीनरी के उत्पादन जोकि उत्पादन के गतिवत प्रोग्राम के अनुसार होता है तथा जिसमें आमतौर पर लगभग तीन से 5 वर्ष में अधिकतम देशी अर्न्तवस्तु पर्याप्त होती है, का अनुसरण और उसमें सक्रिय रूप से सहायता करता आया है। विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति के प्रक्रण में, विभाग ने उत्पादन के गतिवत प्रोग्राम की गति तीव्र करने के हेतु प्रबल प्रयत्न किया है और नये लाइसेंसों के लिये उन्हीं केसों में सिफारिश की जाती है जहां कि देशी अर्न्त-वस्तु बहुत ही अधिक हो और आरम्भ में हीं 85 प्रतिशत से कम न हो। प्रोत्साहन तथा सक्रिय सहायता से, उन घटकों के उत्पादन के लिये जो इस से पहले बड़े निर्माणकर्ताओं द्वारा सीधे अथवा उनके अनसंगी यूनिटों द्वारा आयात किये जाते रहे हैं; चालू समय में पहले से ही लाइसेंसी यूनिटों के गतिवत उत्पादन प्रोग्राम की अगली अवस्थाओं को भी दूरदर्शी बनाने के लिए प्रयत्न किये गये हैं।

(ख) और (ग) : विभिन्न प्रकार की मशीनरी के लिए अपेक्षित घटकों की सूचियां तकनीकी विकास महानिदेशालय में रखी जाती हैं परन्तु मदें इतनी अनेक संख्या में है कि यहां सूचीबद्ध नहीं की जा सकती क्योंकि वह मशीनरी उत्पादन के समस्त विस्तार को अपनी ओट में लेती हैं।

(घ) ऐसे घटकों के देशी उत्पादन के विकास के लिए जिनका अब तक आयात होता था, तकनीकी विकास महा निदेशालय का प्रत्येक निदेशालय प्रयत्नों का सान्द्रीकरण करता रहा है और इस दशा में की गई प्रगति की तकनीकी विकास महानिदेशक तथा उनके प्रतिनियुक्तों के अतिरिक्त, पूर्ति और तकनीकी विकास विभाग द्वारा एक विशेष सेल के रूप में, लगातार निगरानी की जा रही है।

मध्य प्रदेश में रेशम उत्पादन का विकास

1374. **श्री लखमू भवानी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में रेशम उत्पादन के फार्मों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य की 1966-67 की वार्षिक योजना अभी प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु चतुर्थ योजना अवधि के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये जिन प्रस्तावों पर अभी हाल ही में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विचार किया गया है, उनके आधार पर मध्यप्रदेश के बस्तर जिले में चतुर्थ योजना काल में चालू किये जाने के लिये नीचे दी गयी योजनाएं प्रस्तावित हैं :—

योजना संख्या 1 : इस योजना के अन्तर्गत बस्तर जिले में टसर रेशम के कीड़ों के लिये टसर खाद्य पौधे उगाने के 40 एकड़ का एक खण्ड बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

योजना संख्या 2 : इस योजना के अन्तर्गत बस्तर जिले में वर्तमान दो टसर बीज फार्मों का विस्तार किया जायेगा।

विद्युत् संयंत्र

1375. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी संसाधनों और भारतीय प्रतिभा का उपयोग करके विद्युत् संयंत्र बनाने का कोई प्रसार किया जा रहा है;

(ख) क्या इस कार्य के लिये कोई योजना बनाई गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम हैवी इलक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० का भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल्स प्लांट निम्नलिखित क्षमता के पावर प्लांट बनाने में क्षम है।

	वार्षिक क्षमता
हाइड्रो टरबाइने तथा जनरेटर	5 लाख कि० वा०
स्टीम टरबाइने तथा जनरेटर	6 लाख कि० वा०

केन्द्रीय सरकार के एक और उपक्रम भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) तथा हरिद्वार (उत्तर प्रदेश) के बिजली के कारखाने भी निम्न प्रकार के पावर प्लांट बनाने में क्षम ह ।

	वार्षिक क्षमता
हैवी पावर इक्विप्मेंट प्लांट हैदराबाद, स्टील टर्बो-जनरेटर, पूर्ण पम्प सहित, तथा अन्य संबधित उपकरण . .	48 लाख कि० वा०
हैवी इलैक्ट्रिकल इक्विप्मेंट प्लांट, हरिद्वार हाइड्रोलिक टरबाइन्स जनरेटर . .	12 लाख कि० वा०
स्टीमटरबाइन, तथा जनरेटर . . .	15 लाख कि० वा०

हदराबाद के कारखाने के सितम्बर, 1966 तक तथा हरिद्वार के कारखाने के दिसम्बर, 1967 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

हथगोला विस्फोट

1376. **श्री राम हरख यादव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अक्तूबर, 1965 को वाराणसी छावनी स्टेशन के मालगोदाम के निकट रेल की पटरी के पास एक हथगोला फटा था ;

(ख) क्या कुछ समय पहले इसी प्रकार का एक हथगोला दिल्ली में रेल की पटरी के पास फटा था ;

(ग) क्या यह हथगोला भारतीय आयुध कारखाने का बना था ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं, लेकिन वाराणसी की ईस्ट केबिन रेलवे कालौनी के एक रेलवे क्वार्टर के पास विस्फोट हुआ था।

(ख) जी नहीं, लेकिन 3-11-1965 को दिल्ली में जमुना रेलवे पुल पर एक हथगोला पड़ा हुआ मिला था।

(ग) इसका पता लगाया जा रहा है कि वाराणसी में जो हथगोला फटा था, वह कहां बनाया गया था। दिल्ली में जमुना के रेलवे पुल पर जो हथगोला पाया गया वह भारत में बना हुआ बताया जाता है ।

(घ) ऊपर भाग (क) और (ख) में उल्लिखित दोनों घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) 30-10-65 को वाराणसी की रेलवे रोड़ी साइडिंग पर एक रिक्शा-चालक को एक हथगोला मिला जिसे वह रेलवे क्वार्टरों में ले आया, जहां वह अपने एक सम्बन्धी गैंगमैन के साथ रहता था। हथ गोला दो दूसरे गैंगमैनों को भी दिखाया गया। जब ये हथगोले को तोड़ने की

कोशिश कर रहे थे, तो वह फट गया और उसके टुकड़ों से 4 आदमियों और एक गाय को चोटें आयी और पास के टेलीफोन तार को भी नुकसान पहुंचा। वाराणसी की सिविल पुलिस तुरन्त मौके पर पहुंची और उसने विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया। मामले की छान बीन जारी है।

(ii) 3-11-1965 को जमुना रेलवे पुल पर तैनात एक चौकीदार ने पुल पर एक हथगोला पड़ा देखा। दिल्ली रेलवे पुलिस को तुरन्त इसकी सूचना दी गयी। मौके पर आकर पुलिस ने हथगोले को अपने कब्जे में ले लिया। सैनिक अधिकारियों द्वारा की गयी छानबीन से पता चला है कि हथगोले के अन्दर प्रस्फोटक नहीं था और उसकी सुरक्षा-पिन ठीक हालत में थी। यह हथगोला खतरनाक नहीं था।

सिडनी में तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

1377. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय सिडनी व्यापार मेला समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो मेले में भारत का कैसा कार्य रहा;

(ग) क्या भारतीय माल बहुत पसन्द किया गया और उसकी बहुत मांग थी; और

(घ) यदि हां, तो मांग पूरी करने के लिये सरकारने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) जी, हां। तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय सिडनी व्यापार मेला 19 से 30 अक्तूबर, 1965 तक हुआ था।

(ख) और (ग) : प्रदर्शन के लिये रखी गयी भारतीय वस्तुओं की बहुत प्रशंसा हुई। 7 लाख रु० मूल्य के दस्तकारी सामान और 3,70,000 रु० मूल्य के मिर्जापुरी कालीनों के लिये आर्डर प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, मेले में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिये लगभग 250 व्यापारिक पूछताछें भी की गयी।

(घ) इन्हें भारत स्थित सम्बद्ध पार्टियों के पास, आगे वार्ता करने तथा व्यापार पूर्ण करने के लिये भेज दिया गया है। इस विषय में कार्रवाई जारी है।

Railway Bridge at Bakhtiarpur

1378. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the progress made in the construction of a railway bridge at Bakhtiarpur on the Eastern Railway; and

(b) when the bridge is expected to be completed ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The acceptance of the State Government to the estimate is still awaited. It is understood that the matter has been referred by the State Government to the Ministry of Transport for sanction.

(b) Does not arise at this stage.

त्रिपुरा के चाय, पटसन तथा तिलहन उद्योग

1379. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान होकर नदी तथा विमान यातायात बन्द हो जाने के कारण त्रिपुरा के चार, पटसन तथा तिलहन उद्योगों को परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) और (ख) : जहां तक पटसन और तिलहन उद्योगों का सम्बन्ध है हमारे ध्यान में कोई विशिष्ट मामला इनकी परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के बारे में नहीं लाया गया है। किन्तु त्रिपुरा चाय संघ ने इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन से मौसम के समय प्रतिदिन चार माल वाहक उड़ाने उपलब्ध करने के लिये अभिवेदन किया है। चूंकि आई० ए० सी० संकट काल के कारण वे उड़ाने उपलब्ध नहीं कर सकी, अतः अब राज्य सरकार सड़क द्वारा अगरतला और कलकत्ता के बीच पांच माल वहाकों से परिवहन की सीधी व्यवस्था कर रही है।

इस्पात कारखानों के लिये विदेशी मुद्रा का कोटा

1380. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में इस्पात कारखानों की संधारण आवश्यकताओं के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा का कोटा घटाकर -एक-तिहाई कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना, घटाकर कम किये गये कोटे में ही संधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पात कारखाने सदा ही यह प्रयत्न करते रहे है कि जहा तक सम्भव हो सके देश में बनाये गये पुर्जों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। विदेशी मुद्रा कम मात्रा में मिलने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति का मुकाबला करने के लिये प्रयत्न और भी तेज कर दिये गये हैं। उदाहरणार्थ अब कारखानों के सेंट्रल रिपेयर शाप, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और प्राइवेट पार्टियां पुर्जे बना रही है। मांग को कम करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने पुर्जों के रैशनालाइजेशन (Rationalisation) के लिए एक अन्तर-संयंत्र समिति भी बनाई है।

भारत-पाक संघर्ष का जिन व्यापारों तथा उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है उनका पुनर्वास

1381. **श्री प्र० चं० बारुआ** :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 10 नवम्बर, 1965 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "सीमा क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था का पुनः स्थापन व्यापार तथा उद्योग द्वारा सरकार पर उपेक्षा का आरोप", शीर्षक के अन्तगत प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत-पाक संघर्ष का सीमान्त क्षेत्रों के जिन व्यापारों तथा उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : भारत-पाक संघर्ष से प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार और उद्योगों का पुनः स्थापन करने के लिये शीघ्र ही कार्रवाही करने की आवश्यकता के संबंध में सरकार पूरी तरह सजग है। केन्द्रीय सरकार अथवा पंजाब सरकार द्वारा इस दिशा में जो कार्रवाही की गई उसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—

(1) पंजाब सरकार ने सितम्बर, 1965 में समाप्त होने वाली तिमाही में बिक्री कर और खरीद कर की वसूली स्थगित करने के लिये निदेश जारी कर दिये हैं।

(2) पंजाब सरकार ने उद्योगों को पंजाब राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगपतियों में वितरण किये जाने के लिये 50 लाख रु० की राशि मंजूर कर दी है। पंजाब वित्तीय निगम से यह भी कहा गया है कि वह जमानत पर अब तक निर्धारित 40 प्रतिशत के अन्तर के बदले 25 प्रतिशत के अन्तर पर ऋण दे दे। 1-9-1965 और 30-11-1965 के बीच देय औद्योगिक ऋणों की वसूली पुनः भुगतान की किश्तों को स्थगित कर देने के लिये भी निदेश जारी कर दिये गये हैं।

(3) पंजाब विद्युत बोर्ड ने निश्चय किया है कि वह 6-9-1965 से तीन महीनों की अवधि तक बिजली का न्यूनतम खपत संबंधी शुल्क वसूल करने के नियम को लागू नहीं करेगा।

(4) (क) प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड ने निदेश जारी कर दिये हैं कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू तथा काश्मीर के सीमावर्ती जिलों के करदाताओं के साथ आय कर के मामले में अत्यधिक सहानुभूति दिखायी जानी चाहिये और विवरण प्रस्तुत करने के लिये उपयुक्त सुविधाएं दी जानी चाहिए एवं अन्य संविहित नोटिसों का पालन करने तथा करों का भुगतान करने के लिये उपयुक्त मामलों में एक-दो महीने की छूट दी जानी चाहिए। फरवरी, 1966 के अन्त तक करों का भुगतान न करने पर कोई दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए।

(ख) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने विशेष मामले के रूप में अमृतसर, लुधियाना, जालन्धर, फीरोजपुर, गुरदासपुर और कपूरथला के जिलों में तम्बाकू के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क वसूल करने को अस्थगित कर देने का निश्चय किया है। इस योजना को चलाने के लिये एक विशेष कार्यविधि निर्धारित कर दी गई है।

(5) रेलों ने कुछ स्टेशनों पर 6 सितम्बर से 30 सितम्बर, 1965 की अवधि में औद्योगिक एककों पर बकाया विलम्ब शुल्क और उतराई जमा कर देने के निदेश जारी कर दिये हैं।

(6) पूर्ति और निपटान के महानिदेशालय ने दिये गये आर्डर पर माल देने की अवधि बढ़ा देने की प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना मंजूर कर लिया है। पूर्ति और निपटान के महानिदेशालय ने पत्र-व्यवहार के जरिये आर्डर देने की भी व्यवस्था कर ली है। पंजाब सरकार द्वारा उन उद्योगों की भी जांच की जा रही है जिन्हें कम आर्डर मिले हैं जिससे और इन्डेण्ट भिजवाये जा सकें।

(7) रेलवे अधिकारियों द्वारा कच्चे माल और तैयार उत्पादों को शीघ्र लाने-ले जाने के निदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(8) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा लघु उद्योगों को उदारतापूर्वक ऋण देने की सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण के 70 प्रतिशत तक और अधिक से अधिक 2,50,000 रु० तक की राशि की गारंटी देगी ।

(9) बड़े तथा मध्यम आकार के उद्योगों के लिए सरकार ने बैंकों के द्वारा लिए जाने वाले ऋण / अग्रिम धन के लिए प्रस्तावित जमानत के 10% तक या 1-9-1965 को ऋण/अग्रिम धन, जो भी कम हो, के लिए गारंटी देना स्वीकार कर लिया है । रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी सभी अनुसूचित बैंकों से ऋण लेने वालों को कम अन्तर पर तथा/या ब्याज की रियायती दर पर, ऋण की सीमा को बढ़ा कर सुविधाएं देने के लिए कहा है । रिजर्व बैंक आफ इंडिया इन अतिरिक्त भागों की पूर्ति के लिए अनुसूचित बैंक को विशेष स्थान देने के लिए विचार करने को तयार है ।

(10) आपात जोखिम बीमा योजना पर पहले ही अमल हो रहा है और व्यापारियों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने ही हित में बीमा कराएं ।

(11) 1000 मी० टन सीमेंट का एक विशेष कोटा पंजाब के उद्योग निदेशक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है ।

इस्पात का उत्पादन और रेल माल डिब्बे

1382. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात उत्पादन कम होने से रेल यातायात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि इस्पात के लिये उपलब्ध माल डिब्बे मांग से बहुत अधिक हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो माल डिब्बों की क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये इस्पात उत्पादन कितना कम है; और

(ग) इस्पात उत्पादन बढ़ा कर इस कमी को पूरा करनें के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल रख दी जाएगी ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लाभ

1384. **श्री मुथिया :**

श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 1964-65 में 210 लाख रुपये का लाभ हुआ है;

(ख) क्या इसने स्थापना के ग्यारह वर्ष बाद पहली बार लाभ घोषित किया है;

(ग) क्या इसको 400 लाख रुपए का लाभ हुआ होता यदि उर्वरक संयंत्र में हानि नहीं हुई होती; और

(घ) क्या अधिकांश लाभ रुरकेला यूनिट के कारण हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (घ): जी, हां। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 1964-65 में पहली बार लाभ हुआ है। लेखे तैयार किये जा रहे हैं और अन्तिम लेखे तैयार हो जाने पर ही वास्तविक स्थिति त ा लाभ की राशि मालूम हो सकेगी।

आयात तथा निर्यात विनियम

1385. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 3 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 403 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि 1964 तथा 1965 में आयात तथा निर्यात विनियमों के उल्लंघन के जो मामले सरकार को बताए गए थे उन में से शेष 552 पर क्या कार्यवाही की गई तथा इनमें से कितने मामलों की अभी तक जांच हो रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): प्रश्न में उल्लिखित शेष 552 मामलों के बारे में की गई कार्यवाही की स्थिति इस प्रकार है :—

दण्ड देने की कार्यवाही	50
बरी किये गये	94
जांच के अधीन	408
योग .	552

विजयवाड़ा-वालटेर सैक्शन पर पुल

1386. **श्री मि० सू० मर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के विजयवाड़ा-वालटेर सैक्शन में ऐसे पालिका-नगरों में ऊपरी तथा निचले पुल बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है जिन में से रेलवे लाइन गुजरती है; और

(ख) यदि हां, तो 1966-67 में कितने पुल बनाने का विचार है तथा वे किन-किन स्थानों पर बनाये जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) विजयवाडा-वालटेर खण्ड पर वर्तमान समपारों के बदले तीन ऊपरी/निचले पुल अर्थात् (1) सामलकोट के पास (2) ताडेपल्लिगूडेम के पास और (3) एलूरु के पास बनाने का प्रस्ताव है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

1387. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के एक इंजीनियर की हाल में हत्या कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की जांच की जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (घ) : हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० भोपाल के एक इंजीनियर का 23 अक्तूबर, 1965 को कार्य करते हुए स्लज-हैमर में अटक जाने के कारण प्राणान्त हो गया। इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

भारत इलैक्ट्रानिक्स, बंगलौर

1388. **श्री बूटा सिंह :**

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स, बंगलौर में निर्मित रेडियो वाल्व दिल्ली में कंट्रोलरेट पर नहीं मिल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने वाल्वों की बिक्री में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं। मेसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० ने अपने विक्रेताओं के द्वारा भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों पर बी० ई० एल० बल्ब बचने के लिये दिल्ली में अपने वितरक नियुक्त किये हैं। जनता की जानकारी के लिये ये मूल्य समय-समय पर पत्रों में प्रकाशित होते रहते ह;

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

रेल डिब्बों के लिये वातानुकूलन मशीनरी का आयात

1389. **श्री मि० सू० मूर्ति :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल डिब्बों के लिये वातानुकूलन मशीनरी का जापान से आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान की किसी फर्म के साथ कोई करार हो चुका है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

रिलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता।

माण्ड का उत्पादन

1390. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री किन्दर लाल :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अमरीकी फर्म भारत में माण्ड बनाने का एक कारखाना लगाने में सहायता देने पर सहमत हो गई है जो बेकार जाने वाले कृषि उत्पादों को औद्योगिक प्रयोग में बदलेगा और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां । टेपिओका से माण्ड और डेक्सट्रोज पाउडर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिये अमरीका के मेसर्स गेन एलायन्स कारपोरेशन एक भारतीय फर्म मेसर्स कसावा स्टार्च प्राडक्ट्स लि० के साथ सहयोग कर रहे हैं। भारतीय फर्म को इसके लिये एक औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिया गया है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पूर्वोत्तर रेलवे के सगौली स्टेशन पर हुई टक्कर के समाचार

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Speaker, I call the attention of the Railway Minister to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement in regard thereto :

"Reported collision between a goods train and a railway engine at Sagauli Station of the North Eastern Railway on the 14th November, 1965, resulting in the death of two firemen".

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : At about 0·35 hrs. on 14-11-1965, while the train engine of an Up Goods train was performing shunting at Sagauli Junction on the Narkatiaganj-Muzaffarpur section of North Eastern Railway, train No. 4 MN Down Goods entered the station yard and collided with it.

As a result of the collision, a crew-van attached next to engine of 4 MN Down Goods was smashed. Two off duty firemen of 4 MN Down Goods who were resting in the crew-van were seriously injured and expired shortly afterwards. An off-duty driver resting in the crew-van sustained minor injuries. Four loaded wagons behind the crew-van derailed and capsized interrupting through running of trains temporarily.

The injured driver was rendered first aid by the station staff. Thereafter he was sent to the Samastipur Railway Hospital for further medical attention. He has since been discharged from hospital.

Breakdown train with the medical van and railway doctors was rushed to the site from Narkatiaganj. Divisional Officers from Samastipur also visited the site.

The cause is under investigation and an enquiry by a Committee of District Officers is in progress.

Ex-gratia payments to the next of kin of the deceased firemen have been arranged.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I would like to know why any assistance has not so far been given to the families of the persons who have died ? I would also like to know whether those persons were sleeping during the duty hours or they had completed their duty ?

Dr. Ram Subhag Singh : Two firemen in the compartment next to the engine died and a driver sustained injuries. They were not on duty. Their relatives have already been given the assistance.

6—7 Lok Sabha/66

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं जान सकता हूं कि ऐसी दुर्घटनायें उत्तर पूर्वी रेलवे पर दूसरी रेलों की तलना में अधिक क्यों होती हैं ? लोगों की जानों तथा रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा करने के अभिप्राय से इस रेलवे को दक्ष बनान के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

डा० राम सुभग सिंह : विशेषकर इसी रेलवे में अधिक दूर्घटनायें नहीं होती। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों की तुलनां में दुघटनायें लगभग 25 प्रतिशत कम हों गई है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान रेलवे के कार्य में सुधार हुआ है। हम कर्मचारियों को निरंतर कहते रहते हैं कि वे सतक रहे। व भी स्थिति में सुधार करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri A. P. Sharma : May I know whether it was a side collsion or a train had already entered a line when the other one arrived and collided with it ?

Dr. Ram Subhag Singh : The engine of a goods train was performing shunting while another train entered the same line and collided with it.

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

Shri Bagri (Itssar) : Mr. Speaker, I have submitted a calling attention notice regarding "Jhuggi-Jhompri".

Mr. Speaker : This question cannot be raised in this way.

Shri Bagri : **

Shri Hakum Chand Kachhavaiya (Dewas) : * *

Shri Maurya (Aligarh) : **

Mr. Speaker : This shall not be recorded.

I have explained to the Hon. Members several times that this obstructs the proceedings of the House. If I do not admit some question or motion the Hon. Members may write to me and I will reconsider that. But if four or five members want to put pressure on me in this way and expect that they would make me change my decision, then they are mistaken. I cannot change my decision like this. The proceedings of the House cannot be carried in this way. I have received 36 notices. If all the 36 members stand and ask why their notices have not been admitted, then how the proceedings could be carried on?

Shri Maurya : The Hon. Minister, Shri Khanna gave an assurance in this House that "Jhuggies" and "Jhompries" constructed before 1962 would not be demolished. But now they are not adhering to this assurance. Five hundred people and children have been beaten and many "Jhuggies" demolished. I want to submit that it would not be sufficient to raise this matter through Calling attention notice. There should be a discussion on this.

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

Mr. Speaker : I would like to ask the Hon. Member whether a discussion can take place in this way ?

Shri Bagri : You are our guide, please tell us a way. I would like to submit this much only that five hundred families are being uprooted.

Mr. Speaker : This book is the guide.

Shri Bagri : Mr. Speaker, I would like to submit that there cannot be any question of pressure everybody obeys you. We raise our voice against the suffering of the people whom we represent. If thousands of men and women are uprooted...

Mr. Speaker : The Hon. Member may now resume his seat.

Shri Bagri : I was only.........

Mr. Speaker : If the Hon. Member continues speaking, it should not be recorded.

Shri Bagri : **

Mr. Speaker : The Hon. Member has spoken whatever he had to. I would seek apology from him, if I have insulted him. But now he may resume his seat.

Shri Bagri : One day I had said that it is not a Mughal Darbar but Lok Sabha. Here the voice of people.......

Mr. Speaker : Now the Hon. Member is interrupting the proceedings.

Shri Bagri : If to speak about the poor is to interrupt the proceedings then let it be so.

Mr. Speaker : I am sorry that Shri Bagri has not listened to me even after being asked for so many times and he wants to claim.......

Shri Maurya : He has resumed his seat.

Mr. Speaker : If all the members stand at the same time to raise the voice of the people, how could the proceedings be carried on ? It is not proper for an Hon. member to stand and defy the Chair. If all the 500 members stand up and start speaking, it can be well understood how the voice of the poor.........

Shri Rameshwaranand : Now, the Hon. Member has resumed his seat.

**कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत प्रतिरक्षा नियम तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारत प्रतिरक्षा नियम, 1962 के नियम 125 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दुर्लभ औद्योगिक पदार्थ (नियंत्रण) आदेश, 1965 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2912 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दुर्लभ औद्योगिक पदार्थ (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 18 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2920 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) दुर्लभ औद्योगिक पदार्थ (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 18 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2921 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) दुर्लभ औद्योगिक पदार्थ (नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1965 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3328 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—5239/65]**

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2911 की एक प्रति जो दिनांक 14 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 1958, की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 446 में प्रकाशित अलोह धातु नियंत्रण आदेश, 1958 को विखंडित किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—5240/65]**

तकनीकी विकास महानिदेशालय सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा किया गया निर्णय

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण और तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं सरकारी संकल्प संख्या 21(8)/65/पांच, दिनांक 8 नवम्बर, 1965, की एक प्रति जिसके द्वारा तकनीकी विकास महानिदेशालय सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन (भाग 1) में दी गई कुछ सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय प्रकाशित किये गये सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—5241/65।]**

मोटरगाडी चिनगारी प्लग उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री से० वे० रामस्वामी): मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) मोटरगाड़ी चिनगारी प्लग उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1965)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 8(1)—टार/65 दिनांक 18 नवम्बर, 1965।

(तीन) उपरोक्त मद (एक) और (दो) के दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में उल्लिखित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये, संख्या एल० टी०–5242/65।]**

(II) (एक) बिजली तथा वितरण परिवर्तक (ट्रांसफार्मर) उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1965)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 5(2)-टार/65 दिनांक 19 नवम्बर, 1965।

(तीन) उपरोक्त मद (एक) और (दो) के दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में उल्लिखित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर रखे न जाने के कारण बताने वाला विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये, संख्या एल० टी०–5243/65।]**

(III) (एक) बिजली मोटार उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1965)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 5(1)-टार/65 दिनांक 18 नवम्बर, 1965।

(तीन) उपरोक्त मद (एक) और (दो) के दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में उल्लिखित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये, संख्या एल० टी०–5244/65।]**

(IV) (एक) अलोह धातु उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1965)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 9(1)-टार/65 दिनांक 19 नवम्बर, 1965।

(तीन) उपरोक्त मद (एक) और (दो) के दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में उल्लिखित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये, संख्या एल० टी०–5245/65।]**

(V) (एक) चादर कांच तथा चित्रित कांच (फीगर्ड ग्लास) उद्योग को संरक्षण जारी रखने और चपटा तार कांच (वायर्ड फ्लैट ग्लास) उद्योग को संरक्षण देने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1965)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 6(1)-टार/65 दिनांक 18 नवम्बर, 1965। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये, संख्या एल० टी०–5246/65।]**

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित दो संदेशों की सूचना सभा को देनी है :–

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 21 सितम्बर, 1965 को पास किये गये भारत प्रतिरक्षा निर्माण-कार्य (संशोधन) विधेयक, 1965, से राज्य-सभा अपनी 24 नवम्बर, 1965 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।

[सचिव]

(दो) कि लोक-सभा द्वारा, 11 नवम्बर, 1965 को पास किये गये रेलवे (सशस्त्र सेना के व्यक्तियों का नियोजन) विधेयक, 1965 से राज्य-सभा अपनी 24 नवम्बर, 1965 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO THE BILL

सचिव : श्रीमान्, मैं चालू अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1965 जिस पर, 19 नवम्बर, 1965 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 29 नवम्बर, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) आज के सरकारी कार्यक्रम की किसी अवशिष्ट मद पर विचार।

(2) भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति तथा भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के विघटन की व्यवस्था करने वाले संकल्पों पर आगे चर्चा।

(3) निम्न विधेयकों पर विचार तथा पास करना :—

दिल्ली प्रशासन विधेयक, 1965।

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक, 1965।

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक, 1965।

सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक, 1965।

गोवा, दमण और दीव (समाविष्ट कर्मचारी) विधेयक, 1965।

(4) मंगलवार, 30 नवम्बर, 1965 को 3 म० प० श्री यशपाल सिंह तथा अन्य सदस्यों के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार।

(5) बुधवार 1 दिसम्बर, 1965 को प्रश्नोत्तर के बाद खाद्य तथा कृषि मंत्री के प्रस्ताव पर खाद्य स्थिति पर विचार।

(6) शुक्रवार 3 दिसम्बर, 1965 को प्रश्नोत्तर के बाद श्री स० मो० बनर्जी तथा अन्य सदस्यों के प्रस्ताव पर उद्योग मंत्री के सीमेंट से नियंत्रण हटाने वाले व्यक्तव्य पर विचार।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं चाहता हूं कि दो विषयों पर चर्चा होनी चाहिये। उनके बारे में सूचना पहले ही दी जा चुकी है। एक तो कपड़ा मिलों के बन्द होने के बारे में है। इससे 65,000 मज़दूर बेरोज़गार हो गये हैं। इस बारे में श्री मधु लिमये ने 28 तारीख को चर्चा के लिये सूचना दी थी।

दूसरा विषय प्रतिरक्षा सम्बन्धी तयारी के बारे में है। इस की सूचना डा० राम मनोहर लोहिया ने दी थी। ये बहुत महत्वपूण विषय है और इनपर चर्चा अवश्य होनी चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : हमें बताया जाये कि क्या वर्तमान सत्र की अवधि बढ़ायी जायेगी ? और यह अगले शुक्रवार से पहले बताया जाये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : कुछ दिन हुए मने एक सूचना पंजाब, राजस्थान तथा आसाम के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार करने के लिये दी थी। उस सम्बन्ध में भी बताया जाये।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : श्रीमानजी मैं चाहता हूं कि रांची के भारी इंजीनियरिंग के कारखाने में अग्निकाण्ड के बारे में जांच की रिपोर्ट पर चर्चा की जाय। आप ने इस बारे में आश्वासन दिया था।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnyr) : I had pointed out on last Friday also that the recent Indo-Pak conflict should be discussed here. Pakistan is continuing its aggressive activities on border. The Session is going to end shortly. I want that this discussion should take place next week

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have given two notices. One was regarding retrenchment and the second regarding textile mills. Dr. Ram Manohar Lohia has sought a discussion on Defence policy. I support his demand. Another point is about the increase in the price of tractors that have been imported from Russia. Government should not change its policy every now and then.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I had raised the question of service conditions of Bidi workers. It was stated by the Hon. Minister that a Bill would be brought in this regard but there is no mention in his statement today. This point should be clarified.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : चीन की ओर से अतिक्रमणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में ध्यान दिलाने की एक सूचना प्राप्त हुई है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Sir, Pakistan has impounded our ships and has taken over our cargo worth 11 crores of rupees. This act of Pakistan is against the International law, because this has been done without declaration of war. I have given a notice in this regard. It has been admitted. I want that it should be taken up on priority basis.

श्री सत्य नारायण सिंह : हम सामान्य रूप में एक सप्ताह में अनिश्चित दिन का एक प्रस्ताव लेते हैं परन्तु इस सप्ताह हमने ऐसे दो प्रस्ताव ले लिये हैं। हमने ऐसे प्रस्तावों की अधिक संख्या को देखते हुए ऐसा किया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ध्यान में यह लाया गया है कि कल गणपूर्ति न होने के कारण सभा की बैठक शीघ्र स्थगित कर दी गई थी। माननीय सदस्य बहुत से विषयों पर चर्चा चाहते है परन्तु सदन में उपस्थित नहीं रहते। यह बात ठीक नहीं है।

श्री सत्य नारायण सिंह : माननीय सदस्यों ने बात से महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया है परन्तु हम अधिकाधिक एक सप्ताह में दो विषयों को ही ले सकते है। अगले सप्ताह में हम ऐसा ही कर रहे हैं। मैं सम्बद्ध मंत्रियों से उन विषयों पर बात करूंगा। हम सत्र की अवधि 10 दिसम्बर, 1965 से आगे नहीं बढ़ा सकते। यह निश्चित है। अगला बजट सत्र कुछ जल्दी बुलाने का विचार है और कुछ कार्य उसमें से लिया जा सकेगा।

Regarding the Bidi workers, the Minister incharge has been reminded only yesterday.

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

UNION DUTIES OF EXCISE (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ /*The motion was adopted.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन, विधेयक

ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE (GOODS OF SPECIAL IMPORTANCE) AMENDMENT BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम 1957 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करन की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

ESTATE DUTY (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1965 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल), 1965-66—जारी

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERALA), 1965-66—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा केरल के सम्बन्ध में 1965-66 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगों पर आगे विचार करेगी।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : केरल में राष्ट्रपति का राज होने के कारण ये मांगें यहां इस सभा में प्रस्तुत की गई हैं। इस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू हुए बहुत अवधि हो गई है परन्तु खेद की बात है कि कोई विस्तारपूर्वक बजट प्रस्तुत नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने 26 मार्च को कहा था कि एक व्यापक बजट प्रस्तुत किया जायगा परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। यह दूसरी बार है कि सरकार आंशिक रूप से अनुपूरक मांगे प्रस्तुत कर रही है। इन से ऐसा कोई आभास नहीं होता कि सरकार विकास कार्य के लिये कोई धन ले रही हो। हमें आशा थी कि वित्त मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

यह ठीक है कि सरकार तथा केरल सलाहकार समिति वहां की समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। राष्ट्रपति के शासन में इस बार पहली बार लोक लेखा समिति राज्य के लेखों तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की पड़ताल कर रही है। इसके लिये केरल के लोग आप के बहुत आभारी है, परन्तु यह मानना होगा कि समिति प्रशासन के सभी वित्तीय पहलुओं की जांच नहीं कर सकती।

वहां पिछले कुछ वर्षों में धन की बचत की गई है। हमें देखना होगा कि क्या यह धन विकास कार्य ठीक प्रकार से न होने के कारण तो नहीं बचा? आप देखेंगे कि यह बचत उचित विनियोजना न करने के कारण हुई है। केरल में लगभग प्रत्यक वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पत्तनों के विकास, वैज्ञानिक विभाग, जन स्वास्थ्य, देहाती विकास आदि के लिये निर्धारित धन राशि का प्रयोग नहीं किया जाता। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

केरल में बिजली की बहुत कमी हो गई है। इस बारे में कल यहां पर अल्प सूचना प्रश्न भी हुआ था। विद्युत् की कमी के कारण वहां पर उद्योगों पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को इससे लगभग 1.3 करोड़ रुपये की हानि होगी। इस प्रकार यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मुश्किल रही तो स्थिति बहुत खराब होने का भय है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। वहां पर बिजली पर होने वाले व्यय और औद्योगिक उपक्रमों को दी जाने वाली बिजली के दरों में बहुत अन्तर है। इससे सरकार पर बहुत अधिक बोझ पड़ता है सरकार को इस प्रकार होने वाली हानि पर विचार करना चाहिये।

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

हमें डा० राव के बहुत आभारी है। उन्होंने एक बिजली घर के स्थापित किये जाने के प्रश्न पर पुन: विचार किये जाने के प्रति अपनी सहमति प्रकट की है। सरकार को मद्रास में एकी तापीय बिजली घर स्थापित करना चाहिये और वहां से केरल को बिजली देनी चाहिये। कोचीन में एक तेलशोधक कारखाना चालू किया जाना है। उसकी क्षमता 25 लाख टन होगी। इसकी क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह बहुत अच्छा होगा यदि पैट्रो-रासायनिक कारखाने भी वही स्थापित किये जायें। इसके पश्चात मद्रास में तेलशोधक कारखाना स्थापित होगा और उस के पश्चात् हाल्दिया में। केरल में यह कारखाना स्थापित होने से बेकारी की समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी। सरकार इस से सम्बध्द कारखाने भी वहीं स्थापित करे।

मेरे क्षेत्र में खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में हैं। उनका पूरा पूरा लाभ उठाने के लिये वहां पर भूतत्वीय सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये। वहां पर खनिज पदार्थों के उत्पादन में उत्तरोत्तर कमी हो रही है। हमें खेद है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है। केरल में पशुपालन के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। वहां पर दूध देने वाले पशुओं की हालत बहुत खराब है। वहां दूध का उत्पादन भी बहुत कम है। इस के फलस्वरूप लोगों को बहुत कम दूध उपलब्ध होता है। सरकार को इस कमी को दूर करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुज़ा) : मैं श्री रवीन्द्र वर्मा से सहमत हूं कि सरकार की केरल के विकास कार्यों के बारे में सदैव ही उदासीनता की नीति रही है। केरल में विद्युत की कमी के कारण 6 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी है। यह कहा जा सकता है कि अनावृष्टि के कारण यह है। इस में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। यह ठीक है परन्तु हमारी तापीय बिजली घर की मांग तो उचित है। उसपर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। इस पर लगभग आठ करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसके न होने के फलस्वरूप और बिजली होने के परिणामस्वरूप जो हानि उठानी पड़ती है वह कहीं अधिक होती है। सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिये।

केरल में राष्ट्रपति के शासन के लागू हो जाने के बाद पुलिस ने मनमानी करती आरंभ कर दी है। पुलिस अधिकारी समझने लगे है कि उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और वे जो कुछ चाहें कर सकते हैं। मजदूरवर्ग के विवादों में पुलिस मालिकों का साथ देती है। श्री वारियर ने इस सम्बन्ध में साबारिगिरी परियोजना के मामले का उल्लेख किया था। हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी के अधीन वहां पर 2500 मजदूर काम करते है। काम समाप्त होने वाला है और ठेकेदार लोगों ने मजदूरों को उन के अधिकार के अनुसार लाभ नहीं होने दिया। मई के महीने में मज़दूरों को हड़ताल करने पर मजबूर किया गया था। मज़दूरों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद एक समझौता हुआ। अब मालिक उसे पूरा नहीं करना चाहते। जब मज़दूरों ने हड़ताल की सूचना दी तो भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उनमें से बहुत से बन्दी बना लिये गये। इस विषय में पुलिस का व्यवहार बहुत शोचनीय रहा है। उसने झगड़े को समाप्त कराने के स्थान पर उसे बढ़ाया है। गृह-कार्य मंत्री को इस का उत्तर देना चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
MR. DEPUTY SPEAKEK *in the Chair.*]

केरल में पुलिस हत्या के मामलोंको भी गम्भीरता से नहीं लेती। जिस भी मामले में कुछ प्रभावशाली लोग सम्बद्ध होते है उसे आत्महत्या का मामला बना दिया जाता है। इस प्रकार केरल के लोगों में असुरक्षा की भावना फली हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार का कर्तव्य है कि प्रशासन में उचित सुधार करे। इसका एक कारण वहां पर लोकप्रिय सरकार का न होना है।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान कई ऐसे व्यक्तियों को बन्दी बना दिया गया है जिन का इस से कोई सम्बन्ध नहीं। सरकार को ऐसे व्यक्तियों पर सन्देह नहीं करना चाहिये।

मुझे खेद है कि सरकार ने पशुपालन तथा विकास के सम्बन्ध में तीन राज्यों अर्थात केरल, असम तथा राजस्थान में कोई कार्य नहीं किया। अन्य सभी राज्यों में सघन पशु विकास कार्यक्रम चालू किया गया है परन्तु इन राज्यों की उपेक्षा कर दी गई है। यह अनुचित है। सरकार को चौथी योजना में सभी राज्यों में पशु विकास कार्य की ओर ध्यान देना चाहिये।

मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह केरल के बारे में अपने आश्वासन पूरे करें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Since popular Government has been abolished in Kerala, the Demands for Grants in respect of that state has been submitted to this House for approval. It is not possible for the Lok Sabha to Control the finances of Kerala from a distance of 1000 miles.

It is only on paper that there is President's rule or Governor's rule, actually the bureaurocracy and the ruling party are Governing the State.

I would, therefore suggest that this state of affairs should be brought to an end and election should be held there as soon as possible so that a popular Government could be formed. This matter should not be left at the convenience of the ruling party.

The Governor should immediately convene a meeting of the legislative Assembly and leaders of the various parties should be allowed to address the Assembly putting forth their policies and programmes. Let there be a sort of confidence motion just like a no confidence motion and let the various parties try their best to find out how a democratic Government could be formed as once had been the practice in France. If within two days, somthing emerged out of it and a Government could be formed, it must be formed otherwise fresh elections should be held there.

Since the hostility with Pakistan have now stopped, all the detenus under DIR in Kerala should be released without any further delay. If there are any specific charges aganist anybody, he should be tried in the court. There was no use of spending extra amount on police due to the detention of these hundreds of people.

The dirty water of the Rayon factory of Birlas flows into the river near Alwaye and as a result the fish are killed. But how can we see all this by sitting over here in Delhi. It should be seen that it is stopped from flowing into the river.

At the end, I would like to point out that Cochin is developing into a very important industrial centre. But it has been pointed out to me that big big aeroplanes like Viscounts cannot land and take off from there. I would, therefore request that Cochin aerodrome should be developed so that big aeroplanes could also fly over the Cochin-Bombay air route.

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र, श्री रवीन्द्र वर्मा ने एक अन्य आय-व्ययक प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख किया है। पिछली बार जब केरल के बारे में आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया था तो उस समय हमें यह आशा थी कि नये प्रशासन द्वारा एक नया आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायगा। परन्तु ऐसा न हो सका। हम अपनी

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

ओर से इस सम्बन्ध में वह सभी प्रयत्न करते रहे हैं जो हम कर सकते हैं। वास्तव में पिछली बार आय-व्ययक प्रस्तुत करने के पश्चात, कुछ अन्य पदाधिकारियों के साथ वित्त मंत्रालय के सचिव को केरल की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये वहां भेजा गया था। वेतन में वृद्धि होने के कारण केन्द्रीय सहायता में की गई वृद्धि के अतिरिक्त वहां के प्रशासन ने 11 मदों के अन्तर्गत विभिन्न प्रस्थापनाय प्रस्तुत की थी जिनमें से कुछ को इन मांगों में शामिल कर लिया गया है। उदाहरणार्थ कृषि उत्पादन तथा भूमि परिक्षण के लिये हमने 21 लाख रुपये की और व्यवस्था की है। इसी प्रकार वनों के लिये 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यदि यह राशि खर्च हो जायगी तो हम और धन भी जुटाने के लिये तयार हैं। मीनक्षत्रों के लिये 35 लाख रुपये, सिंचाई के लिये 110 लाख रुपये, बिजली के लिये 235 लाख रुपये और उद्योगों के लिये 150 लाख रुपये की और व्यवस्था की गई है। इस प्रकार सब मिलाकर 5.35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और इस के अतिरिक्त छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये 52 लाख रुपये निश्चित किये गये हैं। इस से स्पष्ट हो जाता है कि केरल के कार्य की उपेक्षा नहीं की जा रही है अपितु वित्त मंत्रालय के समन्वय विभाग द्वारा इस कार्य की बड़ी सावधानी से देखरेख की जा रही है।

सभा में व्यक्त किये गये विचारों के फलस्वरूप कोचीन में एक तापीय संयंत्र की स्थापना करने के बारे में हमने पहले ही निर्णय कर लिया है कि वहां पर 100 मिगावाट का एक संयंत्र लगाया जाना चाहिये क्योंकि जल-विद्युत संयंत्रों की क्षमता प्राकृतिक दशाओं पर निर्भर करती है और हम यह नहीं चाहते हैं कि बिजली न मिलने से हमारे बड़े बड़े उद्योगों को कोई हानि उठानी पड़े।

जहां तक केरल में तेल शोधन कारखानों में विस्तार करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, इतनी जल्दी कोचीन शोधन कारखाने में विस्तार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि यह कारखाना तो अभी अगले वर्ष चालू होगा और तब बाद में इस कारखाने के उत्पादों के उपयोगीकरण के अनुसार इसमें विस्तार करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। अभी तो हमारा विचार एफ०ए०सी०टी० में पूरी क्षमता से विस्तार करने तथा कोचीन तेलशोधन कारखाने से उपलब्ध होने वाले नेथा का उपयोग करने के लिये लगभग 200,000 मीट्रिक टन नाइट्रोजन की क्षमता का एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का है क्योंकि समूचे रूप में यह आवश्यक है कि उर्वरकों के उत्पादन पर ध्यान केंन्द्रित किया जाये।

माननीय सदस्यों द्वारा त्रावनकोर के खनिज संसाधनों का उपयोग करने तथा खनिज पदार्थों के निर्यात में उत्तरोत्तर हो रही कमी का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि खनिज पदार्थों को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब उन से कोई लाभ हो। चूँकि कम लागत की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं अतः खनिज पदार्थों को निकालने से कोई लाभ नहीं होता है। परन्तु जब हम देखते हैं कि किसी पदार्थ को निकालने में लाभ है तो ऐसा किया जाता है। जहां तक खनिजों के उपयोग करने तथा इनका अध्ययन करने के बारे में एक एकक का सम्बन्ध है, हम एकक को वहां खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में शीघ्रता से सर्वेक्षण करने के लिये कहेंगे।

जहां तक पुलिस द्वारा ज्यादतियों का सम्बन्ध है, मेरे पास भी कुछ शिकायतें आई हैं जिनमें से कुछ युक्तिसंगत प्रतीत होती हैं। इन सभी शिकायतों के बारे में पूछ ताछ की जा रही है और मैंने वहां से पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये लिखा है। सावरगिरी में सरकार ने भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया। इनका प्रयोग तो केवल कारखाने को बचाने के लिये किया गया है क्योंकि यह बहुत मूल्यवान है और इस लिये इस क्षेत्र को रक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठेकेदार

तथा श्रमिकों के बीच विवाद को निपटाने के लिये श्रम-आयुक्त द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि लोगों को किसी प्रकार से परेशान न किया जाये। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि प्रशासन का ध्यान इन सभी मामलों की ओर आकर्षित किया जायेगा और इस धारणा को कि चुँकि वहां पर कोई जिम्मेदार सरकार नहीं है, अत: पुलिस जो चाहे कर सकती है, खत्म करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा। भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत यदि किन्ही निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी भी गृह-मंत्रालय द्वारा जांच की जायेगी।

यह जो कुछ मैं कर रहा हूं इस से मुझे कोई प्रसन्नता नहीं है क्योंकि इतनी दूरी से वहां का प्रशासन उचित रूप से नहीं चलाया जा सकता है। परन्तु वास्तविक स्थिति जो अब है उसको ध्यान में रखते हुए मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि सदस्य कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो उनके सुझावों की ओर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ मतदान के लिये रखे जाये ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अलग अलग।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सब से पहले श्री यशपालसिंह के कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1, 2, और 3 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*Cut Motions Nos.* 1, 2 *and* 3 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मुहम्मद इस्माइल के कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 4 तथा 10 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए/*Cut Motions Nos.* 4 *and* 10 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिय रखूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए/*All other Cut Motions were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1965-66 के लिये केरल सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई /*The following Demands for Supplementary Grants in respect of Kerala for the year* 1965-1966 *were put and adopted.*

[उपाध्यक्ष महोदय]

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
13	पुलिस	100
25	पशुपालन	54,000
27	उद्योग	1,00,000
47	सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,30,200

दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक

DELHI SECONDARY EDUCATION BILL

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था और विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यद्यपि दिल्ली में बहुत से माध्यमिक स्कूल हैं परन्तु हमारा इन पर कोई नियंत्रण नहीं है । कुल 146 गैर-सरकारी स्कूलों में से 29 ऐसे हैं जिनको सरकारी सहायता नहीं मिलती है । सरकारी स्कूलों की संख्या 240 है । यह तो नहीं कहा जाना चाहिये कि सभी गैर-सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं परन्तु कुछ ऐसे स्कूल अवश्य हैं जो सामान्य स्तर से नीचे हैं और उनमें ऐसी बातें की जाती हैं जो वास्तव में अच्छा शिक्षा के बुनियादी सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं । अध्यापकों को समय पर वेतन न दिया जाना, रक्षित निधि का न खोला जाना, निश्चित योग्यताओं से कम योग्यता वाले अध्यापकों को नियुक्त किया जाना, स्कूलों के प्रबन्धकों द्वारा विद्यार्थियों की निधि में से अनाधिकृत रूप से धन निकाला जाना तथा स्कूलों के संधारण व्यय में प्रबन्धको द्वारा जुटाये जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिये अनिवार्य दान इकट्ठा किया जाना, यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है ।

यद्यपि हम इनमें से अधिकांश स्कूलों को सहायता देते हैं परन्तु इनमें अनुशासन बनाये रखने के लिये हमारे पास कोई कानूनी शक्ति नहीं है । हम अभी केवल इनको सहायता देना बन्द कर सकते हैं परन्तु ऐसा करने से स्कूलों, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को और हानि होगी जिसके फलस्वरूप कुछ सुधार होने की बजाय स्थिति और बिगड़ जायेगी । अतः इन स्कूलों में सुप्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिये यह विधेयक लाया गया है । इस विधेयक में सहायता प्राप्त तथा मान्यता-प्राप्त स्कूलों के बारे में उपबन्ध किया गया है । इस में यह उपबन्ध किया गया है कि सभी विद्यमान स्कूल मान्यता प्राप्त स्कूल समझे जायेंगे । खण्ड 9 के अन्तर्गत केवल मान्यताप्राप्त स्कूलों को ही सरकारी सहायता दी जायेगी । स्कूलों को मान्यता देने के बारे में खण्ड 3 में कुछ शर्तें दी गई हैं और वह यह हैं कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये स्कूल के पास पर्याप्त धन होना चाहिये, इस में प्रबन्ध सम्बन्धी योजना धारा 5 के अनुसार पहले ही अनुमोदित होनी चाहिये । इसके पास पर्याप्त तथा उपयुक्त स्थान होना चाहिये जिसमें सफाई का पूरा प्रबन्ध हो । इसके भवन को स्कूल की गतिविधियों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिये अथवा इसमें शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय आदि की नियत सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये । यह किसी वर्ग अथवा जाति के नाम से सम्बद्ध नहीं होना चाहिये । उप-खण्ड (3) में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि कोई स्कूल इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा तो मान्यता वापस ले ली जायेगी और इस दशा में इसे कोई सहायता नहीं दी जायेगी ।

खण्ड 5 में यह उपबन्ध किया गया है कि प्रशासक द्वारा एक आदर्श योजना तैयार की जायेगी और प्रत्येक स्कूल की योजना कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ, इस आदर्श योजना के अनुरूप होगी। इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण उपबन्ध यह होंगे कि प्रत्येक स्कूल में एक प्रबन्धक समिति बनाई जाये जिसमें स्कूल का अध्यक्ष तथा अन्य दो अध्यापक, जिनको निश्चित ढंग से बारी बारी वरिष्ठता के अनुसार चुना जायेगा, पदेन सदस्य होंगे। खण्ड 7(1) में यह व्यवस्था की गई है कि प्रबन्धक द्वारा निदेशक को लिखित रूप में पूर्वसूचना दिये बिना किसी विद्यालय अथवा उसमें किसी श्रेणी को बन्द नहीं किया जायेगा।

खण्ड 9(4) के अनुसार सरकार द्वारा दी गई सहायता में से सब से पहले अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन दिया जाया करेगा क्योंकि कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि अध्यापकों को कई महीनों तक वेतन नहीं दिया जाता है। खण्ड 12 में वेतनों का निश्चित अवधि में भुगतान करने का भी उपबन्ध किया गया है।

खण्ड 11 के अन्तर्गत सहायताप्राप्त स्कूलों में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें (भर्ती सम्बन्धी शर्तों सहित) ऐसी होंगी जो निश्चित की जायेंगी। निदेशक की लिखित रूप में मंजूरी लिये बिना किसी अध्यापक को न मुअत्तल किया जा सकेगा, न ही नौकरी से हटाया जा सकेगा, न ही उसकी पद-प्रतिष्ठा में कमी की जा सकेगी और न ही उसे विलम्बित किया जा सकेगा। इस से अध्यापकों की पद-अवधि को संरक्षण मिलेगा।

खण्ड 13 में यह उपबन्ध है कि परीक्षायें लेने के प्रयोजन के लिये सभी सहायता प्राप्त स्कूलों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध किया जायेगा। खण्ड 14 के अन्तर्गत कोई भी सहायताप्राप्त स्कूल निश्चित दर से अधिक शुल्क अथवा अन्य खर्चा नहीं ले सकेगा और शुल्क तथा अन्य खर्च के रूप में इकट्ठी की गई राशि का निर्धारित ढंग से हिसाब रखा जायेगा क्योंकि हमें ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि विद्यार्थियों की शुल्क के अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रकार का खर्चा देने के लिये भी बाध्य किया जाता है।

खण्ड 15 में विद्यार्थियों की न्यूनतम तथा अधिकतम आयु निश्चित की गई हैं जो क्रमशः 5 वर्ष और 20 वर्ष है। 20 वर्ष की आयु के पश्चात किसी विद्यार्थी को निदेशक की लिखित रूप में अनुमति लिये बिना स्कूल में नहीं रखा जा सकेगा।

खण्ड 16 के अन्तर्गत प्रत्येक सहायताप्राप्त स्कूल में एक स्कूल निधि खोली जायेगी जिसमें केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता, शुल्क के रूप में स्कूल को होने वाली आय तथा अन्य अंशदान जमा किये जाया करेंगे। स्कूल निधि तथा अन्य सभी निधियों का, जिसमें प्रशासक की अनुमति से खोली गई विद्यार्थियों की निधि भी शामिल है, हिसाब इस अधिनियम के नियमों के अनुसार रखा जायेगा।

स्कूलों का निरीक्षण करने से सम्बन्धित उपबन्ध खण्ड 17 में किया गया है। उप-खण्ड 3 के अन्तर्गत निरीक्षण के दौरान मालूम हुई त्रुटियों को दूर कराने के लिये निदेशक प्रबन्धको को निदेश दे सकेगा।

यदि किसी स्कूल में इन सभी बातों के बावजूद भी कुप्रबन्ध जारी रहेगा तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में खण्ड 18 के अन्तर्गत उस स्कूल का प्रबन्ध प्रशासक अपने हाथ में ले सकेगा। परन्तु केरल के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह खण्ड अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे उन पर लागू करना संविधान के अनुच्छेद 30 के विरुद्ध होगा। अतः हम यह खण्ड अल्प संख्यक स्कूलों पर लागू नहीं कर रहे हैं।

शिक्षा सम्बन्धी नीतियां निश्चित करने में निदेशक की सहायता करने के लिये खण्ड 20 के अन्तर्गत एक शिक्षा सलाहकार समिति बनाई जायेगी। निदेशक इस समिति से किसी मामले पर सलाह ले सकेगा और इस प्रकार इससे उसे काफी सहायता मिलेगी।

[श्री. मु. क. चागला]

खण्ड 21 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार किसी स्कूल के प्रबन्धक अथवा प्रबन्धक समिति को पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य पाठ्य सामग्री, अध्यापकों की सेवा की शर्तों, सफाई सम्बन्धी सुविधाओं और निश्चित किये गये किसी अन्य मामले पर हिदायतें दे सकेगी परन्तु यह हिदायतें इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध नहीं होंगी।

खण्ड 25 में जो व्यवस्था की गई है वह प्राय: प्रत्येक विधेयक में की जाती है। ऐसी ही व्यवस्था बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में भी की गई है जो अब सभा के समक्ष हैं। मेरे विचार में यह उपबन्ध बहुत आवश्यक है क्योंकि न्यायालयों में स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में जो इतनी मुकदमेबाज़ी होती रहती है वह कम हो जायेगी। वैसे तो प्रत्येक नागरिक को विधि न्यायालयों की सहायता लेने का अधिकार प्राप्त है परन्तु हम ऐसी मुकदमेबाज़ी को रोकना चाहते हैं जो मामले दीवानी न्यायालय अथवा ज़िला न्यायालय तथा जिनके बारे में उच्च न्यायालय में अपील की जा सके और इनको निपटाने में वर्षों लग जाये। हां यदि कोई अधिकारी बड़ा भारी उल्लंघन करता है तो पीड़ित पक्ष को न्यायालय की सहायता लेने का पूरा अधिकार होगा और उस दशा में यह खण्ड लागू नहीं होगा।

इस विधेयक के इतिहास पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। सब से पहले मंत्रालय ने इस विधेयक का मसौदा तैयार किया था जिसपर गृह-कार्य मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा डा० देशमुख के सभापतित्व में नियुक्त की गई एक समिति ने, जिसके दो संसद सदस्य अर्थात् कुमारी शांता वशिष्ट तथा शिवचरण गुप्त सदस्य थे, विचार करने के पश्चात् अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर यह विधेयक सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

मैं देखता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। सभा के सामान्य मतैक्य को ध्यान में रखते हुए मैं श्री नवल प्रभाकर द्वारा प्रस्तुत किये गये इस संशोधन को स्वीकार करता हूं कि इस विधेयक को एक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाये।

वास्तव में संसदीय सरकार के लिये विधान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मैं चाहता हूं कि यह विधेयक शीघ्रताशीघ्र पारित किया जाये क्योंकि वास्तव में इसे बहुत पहले पारित किया जाना चाहिये था। ताकि माध्यमिक शिक्षा में कुछ सुधार लाया जा सके और अध्यापकों के लिये कुछ किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय सदस्य अब अपना अपना संशोधन प्रस्तुत सकते हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैं अपना संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बैरो (नाम-निदशित-आंग्ल भारतीय) : मैं अपना संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली-करौल बाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था और विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात् :—

श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी, श्री अ० इ० था० बैरो, श्री परशोत्तम दास हरिभाई भील, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्री श० ना० चतुर्वेदी, श्री विजयसिंहराव रामराव दफले, श्री सुधांशु भुषण दास, श्री गोकरन प्रसाद, श्री शिव चरण गुप्त, श्री हेम बरुआ, श्री कृष्णन मनोहरन, श्री राम चन्द्र मलिक, श्री यमुना प्रसाद मण्डल, श्री माली मरियप्पा, श्री पी० मुथिया,

श्री पी० के० वासुदेवन नायर, श्री एस० उस्मान अली खां, श्री रणञ्जय सिंह, श्री शिवराम रंगो राने, श्री रतन लाल, श्रीमती जयाबेन शाह, श्री दीवान चन्द शर्मा, श्री तयप्पा सोनावने, डा० (श्रीमती) सौन्दरम् रामचन्द्रन्, श्री जी० जी० स्वेल, श्री कृष्ण देव त्रिपाठी, श्री तुला राम और श्रीमती विजय राजे, श्री विश्राम प्रसाद; और श्री नवल प्रभाकर

और राज्य-सभा के 15 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को 28 फरवरी, 1966 तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब संशोधनों तथा मूल प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि विधेयक एक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जा रहा है, अतः केवल मूल प्रस्ताव पर ही विचार किया जा सकता है न कि संशोधनों पर।

श्री फ्रेंक एन्थनी : अन्य संशोधनों पर चर्चा नहीं की जायगी परन्तु केवल उन संशोधनों पर चर्चा की जा सकेगी जिसमें इस विधेयक को एक प्रवर समिति अथवा एक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने की प्रस्थापना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य संशोधनों पर चर्चा नहीं की जायेगी।

श्री फ्रेंक एन्थनी : यह एक अच्छी बात है कि विधेयक एक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जा रहा है। ऐसा करने से समिति इस पर पूर्ण रूप से विचार कर सकेगी। क्योंकि इसमें कुछ एसे उपबन्ध हैं जो अवैध हैं और जो केरल के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से मेल नहीं खाते हैं। खण्ड 18 में किये गये इस उपबन्ध से उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गय निर्णय का अभिप्राय पूरा नहीं होता है कि अल्पसंख्यक समुदायों के स्कूलों को सरकार अपने हाथ में नहीं लेगी। उच्चतम न्यायालय ने मान्यताप्राप्त स्कूलों, मान्यताप्राप्त एवं सहायताप्राप्त स्कूलों तथा मान्यताप्राप्त एवं सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के बीच स्पष्ट तथा कानूनी रूप से भेद किया है। उदाहरणार्थ केरल में आंग्ल-भारतीय स्कूलों को ही लीजिये। इन स्कूलों को जो सहायता मिल रही है वह एक संवैधानिक उपबन्ध के अन्तर्गत मिल रही है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि यह सहायतासामान्य रूप से मानी जाने वाली सहायता नहीं है। अतः ये स्कूल सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों के क्षत्र में नहीं आते हैं। स्पष्ट है कि सरकार अल्पसंख्यक स्कूलों का प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं ले सकती है चाहे इन्हें शत प्रतिशत सहायता ही क्यों न मिलती हो। सरकार केवल सहायता देना बन्द कर सकती है तथा उन्हें अमान्य घोषित कर सकती है। अतः इस विधेयक में खण्ड 7 न्यायालय में आपत्ति किये जाने पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसको मान्यताप्राप्त स्कूलों पर लागू किया जा रहा है न कि सहायताप्राप्त स्कूलों पर। यदि सरकार किसी कारण से किसी स्कूल को अमान्य घोषित कर देती है तो सरकार ऐसे स्कूल के प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में ले लेने की शक्ति को अपने में निहित करना चाहती है। परन्तु ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय के किसी स्कूल के बारे में नहीं किया जा सकता है।

7—7 Lok Sabha/66

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

अतः संयुक्त समिति में इस विधेयक पर विचार करते समय यह आवश्यक होगा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्यताप्राप्त स्कलों, अल्पसंख्यक समुदायों के मान्यताप्राप्त स्कूलों तथा ऐसे मान्यताप्राप्त स्कूलों, जो अल्पसंख्यक समुदायों के नहीं हैं, और अल्पसंख्यक समुदायों के मान्यताप्राप्त तथा सहायता प्राप्त स्कूलों और ऐसे मान्यताप्राप्त तथा सहायताप्राप्त स्कूलों जो अल्पसंख्यक समुदायों के नहीं हैं, के बीच किये गये भेद को ध्यान में रखा जाये।

इस विधेयक में कुछ अन्य उपबन्ध ऐसे हैं जिनपर मैं टीका टिप्पणी करना चाहूंगा परन्तु मैंने केवल उन उपबन्धों के बारे में कुछ उदाहरण दिये है जो उच्चतम न्यायालय के मत के विरुद्ध होंगे यदि इस विधेयक को इसी रूप में पारित किया जायेगा। मुझे प्रसन्नता है कि श्री चागला ने इसे एक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने के संशोधन को स्वीकार कर लिया है।

श्री वारियर (त्रिचूर) : यदि हम देश में आधुनिक अर्थों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सभ्यता का सूत्रपात करना चाहते हैं तो हमें शिक्षा के माध्यम सम्बन्धी सभी विवाद बन्द कर देने चाहियें क्योंकि इस विवाद के कारण हम शीघ्रता से प्रगति करने में असमर्थ हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि भाषा सम्बन्धी जितनी भी विधियां हैं उनको निलम्बित कर दिया जाना चाहिये ताकि भाषा का प्राकृतिक विकास हो सके। हमें ऐसी भाषा अपनानी चाहिये जिसका विकास भारत के कारखानों में हो रहा है। जिसका उपयोग कारखानों में मजदूर लोग तथा अन्य कार्यकर्त्ता करते हैं चाहे वह भारत के हैं अथवा बाहर से आये है। हम अन्ततोगत्वा इसी भाषा से देश में एक समान तकनीकी तथा वैज्ञानिक भाषा का विकास कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में मैं सभा को यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि जब अंग्रेज़ लोग यहां आये थे तो उन्होंने यहां की आम बोल-चाल की भाषा को अपनाया था परन्तु ऐसा करते समय उन्होंने इसे अंग्रेजी का पुट दे दिया था। यहां तक कि यहां के विभिन्न स्थानों के नाम तक बदल दिये थे। वास्तव में वह जानते थ कि उन्हें अपने प्रयोजन के लिये एक नयी भाषा का कैसे विकास करना है। परन्तु खद है कि हम यही नहीं जानते हैं। विज्ञान की भाषा का विकास तो वास्तव में कारखानों में विज्ञान का उपयोग करने वाले मजदूर ही करते हैं अतः हमें उनकी भाषा को ही अपनाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें केवल विधेयक के बारे में ही चर्चा करनी चाहिये।

श्री वारियर : जब तक हम इस व्याधि का उपचार नहीं ढूंढ निकालेंगे तब तक हम देश को इससे छुटकारा नहीं दिला सकेंगे। शिक्षा के समूचे रूप को जाने बिना हम इस प्रकार के उपायों द्वारा न ही शिक्षा में कोई सुधार कर सकते और न ही विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का कोई भला कर सकेंगे। ऐसे उपाय तो हम पहले भी करते आये हैं परन्तु हमें अपने प्रयोजन में अभी तक सफलता नहीं मिली है।

शिक्षा प्राप्त करने में माध्यमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। यहां ही हमारे विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण होता है। अतः यदि हम अपने देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का वातावरण पैदा करना चाहते हैं तो हमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा में सर्वप्रथम सुधार करना होगा। इस समय की आवश्यकता यह है कि माध्यमिक स्कूलों के समूचे ढांचे में परिवर्तन किया जाय। हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे वे माध्यमिक शिक्षा के पश्चात अपनी आजीविका का उपार्जन कर सकें। यदि हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो बेरोज़गारी की समस्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जायेगी। क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली से पढ़ लिखे व्यक्तियों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ उनमें बेरोज़गारी बढ़ती जायेगी। हमें डाक्टर लक्ष्मणस्वामी मुदैलियर के प्रतिवेदन को भूल जाना चाहिये जिसमें शिक्षा का ध्येय चरित्र का निर्माण करना बताया गया है। चरित्र का निर्माण केवल शिक्षा द्वारा ही नहीं किया जाता है। इसका निर्माण तो व्यक्ति की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। क्षोभकारी प्रश्न तो यह है कि पढ़े लिखे भी डाकू बन जाते हैं तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि चरित्र निर्माण पर इतना खर्चा क्यों किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इन सभी बातों की चर्चा करना तब संगत होगा जब शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जायगा।

श्री वारियर : परन्तु दिल्ली में भी माध्यमिक शिक्षा का यही हाल है । इन सब बातों के कहने का मेरा केवल यह आशय है कि हमें माध्यमिक शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिये ताकि आगे जा कर हमें एक बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का सामाना न करना पड़े ।

विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में जिन व्याधियों का उल्लेख किया गया है वे वही हैं जो केरल में थी । परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या इसे विधेयक के उपबन्धों से इन बुराइयों को दूर किया जा सकेगा । सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल, पंडारा रोड में कई अध्यापक ऐसे हैं जिनको तीन मास अथवा इससे भी अधिक समय से वेतन नहीं दिया गया है क्योंकि शिक्षा निदेशक ने मंजूरी नहीं दी है । मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिये ।

खण्ड 9 में जो उपबन्ध किया गया है वह अपर्याप्त है । अध्यापकों को वेतन सीधे मंत्रालय द्वारा दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये और वेतन सम्बन्धी बिल तथा आकस्मिक बिलों को पृथक पृथक रखा जाना चाहिये ।

अध्यापकों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में जो उपबन्ध किया जा रहा है वह अपर्याप्त है क्योंकि हमारे देश में स्कूलों को मुनाफे के आधार पर चलाया जा रहा है । यह कहा गया है कि अध्यापक निदेशक को अपील कर सकेंगे । परन्तु यदि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा । यह बात इतनी सरल नहीं जितना कि इसे समझा जा रहा है । अतः यह उपबन्ध अपर्याप्त है । हमें इसमें आमूल परिवर्तन करना होगा और हमें अध्यापकों को यह आश्वासन देना होगा कि उन्हे दण्ड नहीं दिया जायेगा, उन्हे नियक्ति सम्बन्धी संरक्षण दिया जायेगा, किसी अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जायेगा और किसी योग्य व्यक्ति को नौकरी से वंचित नहीं रखा जायेगा । मेरे विचार में विधेयक के उपबन्धों में अभी काफी सुधार किया जा सकता है । परन्तु समय के अभाव के कारण मैं उनकी चर्चा नहीं कर सकता हूं । मुझे पूर्ण आशा है कि संयुक्त समिति इस विधेयक में संतोषजनक सुधार करेगी ।

Shri Naval Prabhakar (Delhi-Karol Bagh) : Mr Deputy Speaker, the amendment which I have moved is as under :—

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था और विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात् :—

श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी, श्री अ० इ० था० बैरो, श्री परशोत्तम दास हरिभाई भील, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्री श० ना० चतुर्वेदी, श्री विजयसिंहराव रामराव दफले, श्री सुधांशु भूषण दास, श्री गोकरन प्रसाद, श्री शिव चरण गुप्त, श्री हेम बरूआ, श्री कृष्णन मनोहरन, श्री राम चन्द्र मलिक, श्री यमुना प्रसाद मण्डल, श्री माली मरियप्पा, श्री पी० मुथिया, श्री पी० के० वासुदेवन नायर, श्री एम० उस्मान अली खां, श्री रणञ्जय सिंह, श्री शिवराम रंगो राने, श्री रतन लाल, श्रीमती जयाबेन शाह, श्री दीवान चन्द्र शर्मा, श्री तयप्पा सोनावने, डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन्, श्री जी० जी० स्वेल, श्री कृष्ण देव त्रिपाठी, श्री तुला राम, श्रीमती विजय राजे, श्री विश्राम प्रसाद; और श्री नवल प्रभाकर

और राज्य-सभा के 15 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को 28 फरवरी, 1966 तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

[Shri Nawal Prabhakar]

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

It is clear from the statement of Objects and Reasons and also from the statement made by the hon. Minister that the reason for bringing forward this measure is that the institutions and individuals running the aided and recognised Secondary Schools in Delhi are indulging in mal-practices about which a number of complaints have been received from the people of Delhi, the teachers and the parents of the students. As a sequel to these irregular practices by the managements of these schools, a demand was made that a Bill should be enacted so that this sorry state of affairs prevailing in the schools is brought to an end.

There are a number of shortcomings and loopholes in the Bill, but since the Bill is going to be referred to a Joint Committee, it is hoped that the committee would remove them.

I would however, like to point out that the financial condition of these schools is not good and that is why salaries are not paid to the teachers regularly. Even managements of these schools for the running of which 90 per cent of the funds are provided by the Government are unable to arrange for the remaining 10 per cent of the funds and this is made up through irregular practices. Both the teachers and the students have to suffer on this account.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. SPEAKER *in the Chair.*]

Since the teachers do not get their salaries regularly, they have to do tuition work which is immoral on their part. The result is that they do not do anything during the schools hours and thus the studies of the students suffer. Sir, I would like to say....

Mr. Speaker : Will he continue next time ?

Shri Naval Prabhakar : Yes sir.

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के ढाका स्थित कार्यालय पर पाकिस्तान द्वारा कब्जा किये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : SEIZURE OF THE OFFICE OF THE INDIAN AIR LINES CORPORATION AT DACCA BY PAKISTAN

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, पाकिस्तान सरकारने पाकिस्तान में स्थित भारतीय एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय सहित विभिन्न भारतीय वा कार्यालयों, अस्तियों तथा सम्पत्तियों पर कब्ज़ा कर लिया है और इन्हें पाकिस्तान में शत्रु सम्पत्ति के संरक्षक को सौंप दिया है । इस सम्बन्ध में अभी पूर्ण ब्योरा प्राप्त नहीं हुआ है । मैं तो यह कहूंगा कि पाकिस्तान द्वारा जो यह कार्यवाही की गई है वह अवैध है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है अथवा कोई अधिसूचना जारी नहीं की है चूंकि पाकिस्तान ने यह अवैध कार्यवाही की है, हम प्रतिकारात्मक उपाय करने के लिये बाध्य हो गये हैं जब तक कि पाकिस्तान सामान्य स्थिति पुनः स्थापित नहीं करता है । 10 तथा 11 सितम्बर, 1965 को भारत सरकारने राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की थी जिस के द्वारा शत्रु सम्पत्ति के संरक्षक को पाकिस्तानी राजनयिक मिशनों में

सम्पत्तियों तथा आस्तियों और इन मिशनों में कार्य कर रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की सम्पत्तियों तथा आस्तियों को छोड़कर पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की अचल तथा चल सम्पत्ति तथा उनके प्रबन्ध में अथवा उनके स्वामित्व में सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति के संरक्षक को सौंप दी गई है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या भारत सरकार का विचार प्रतिकारात्मक कार्यवाही के रूप में भारत में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर लाइन्स के कार्यालय को अपने कबज़े में लेने का है?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमनें भारत में पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयर लाइन्स की अस्तियों तथा सम्मतियों को शत्रु सम्पत्ति के संरक्षक को सौप दिया है । ऐसा हमें बाध्य हो कर करना पड़ा है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जो कुछ पाकिस्तान तथा हमने किया है इसके अतिरिक्त सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ? क्या यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ तथा प्रेक्षकों को निर्दिष्ट किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक एसा मामला नहीं है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ को निर्दिष्ट किया जाये । हमने स्थिति के अनुसार कार्यवाही की है । हमें बाध्य हो कर कुछ सम्पत्ति पर कब्ज़ा करना पड़ा हैं । जब कुछ स्थिति सुधर जायगी तो इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच बातचीत होगी । इस मामले को किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट करने का अभी हमारा कोई इरादा नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : क्या सरकार को इस बात का पता है कि पाकिस्तान ने धाकेस्वरी सूती कपड़ा मिल्ज़ को, जो कि भारत के पूर्वीय क्षेत्र तथा पाकिस्तान में एक प्रमुख मिल है, अपने कब्ज़े में ले लिया है और यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है कि भारतीय अंशधारियों को कोई हानि न हो ?

श्री स्वर्ण सिंह : उन व्यक्तियों अथवा निगमों से, जिनके औद्योगिक उपक्रमों, आस्तियों अथवा अन्य सम्पत्ति पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है, कुछ जानकारी मांगी गई है और वह जानकारी इकट्टी की जा रही है तथा किसी उपयुक्त समय पर राजनयिक स्तर पर कुछ कार्यवाही की जायगी ।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : समाचारपत्रों में छपा है कि रूसी प्रधान मंत्री के कहने पर हमारे प्रधान मंत्रीन ताशकन्द में राष्ट्रपति अय्यूब खां से मिलना स्वीकार कर लिया है, क्या सरकार पाकिस्तान सरकार द्वारा उठाये गये इन तथा अन्य कदमों से रूसी प्रधान मंत्री को अवगत कराने के लिये कुछ कार्यवाही करेगी और क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाता है कि पाकिस्तान ने अपने शत्रुता के रवैये को बदला है तब तक क्या ऐसी भेंट से कोई लाभ होगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान द्वारा की गई कार्यवाहियों में से यह एक ऐसी कार्यवाही है जो अवैध है और हम इसे पसन्द नहीं करते हैं । परन्तु हमें उस वास्तविक कार्यवाही सशस्त्र संघर्ष को नहीं भूल जाना चाहिये जो कि इन छोटे छोटे मामलों की तुलना में, हालांकि आर्थिक दृष्टि से यह भी काफी महत्वपूर्ण मामले हैं, कहीं अधिक गम्भीर तथा महत्वपूर्ण है । हमें जो चीज़ अधिक महत्वपूर्ण है उसपर सबसे पहले विचार करना चाहिये और एसे छोटे मामलों में हमें अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा रोके गये जहाज़ों में समान तथा उस के द्वारा कब्ज़े में ली गई अन्य सम्पत्तियों के बारे में कोई निर्धारण किया है और क्या उस सम्पत्ति का भी निर्धारण किया है जो अपने देश में शत्रु सम्पत्ति के संरक्षक को सौंपी गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : कुछ निर्धारण किया गया है परन्तु अभी अन्तिम रूप से आंकड़े तयार नहीं हुए हैं।

Shri Bagri (Hissar) : Mr Speaker, Sir....

Mr. Speaker : Your name is not there.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : I want to know the estimate of the amount of property which Pakistan has occupied and whether the Government propose to occupy the property of Pakistan in our country as a retaliatory action.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

चौहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री हेमराज (कांगडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो 24 नवम्बर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो 24 नवम्बर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ /*The motion was adopted.*

नियम 388 के अन्तर्गत भारत द्वारा राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने सम्बन्धी संकल्प के बारे में प्रस्ताव

MOTION UNDER RULE 388 RE: RESOLUTION ON INDIA QUITTING THE COMMONWEALTH

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री भागवत झा आज़ाद द्वारा 24 सितम्बर, 1965 को प्रस्तुत किये गये भारत द्वारा राष्ट्र-मंडल से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने सम्बन्धी संकल्प पर, जिस पर अग्रेतर वाद-विवाद 12 नवम्बर, 1965 को स्थगित किया गया था, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 30 का लागू होना निलम्बित किया जाए।"

उस दिन मुझे दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गयी थी।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई आधार नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr Speaker, Sir, during the last session, it was decided that Shri Bhagwat Jha Azad will be allowed to move his Resolution along with Shri Peter Alvares. It was postponed last time. The Prime Minister also said that he would reply to the debate on the Resolution in the next session, so my submission is that Rule 30 (1) does not apply to this Resolution. I agree that no formal motion was moved but your decision and the approval of the House mean that it was postponed. There should be debate on the resolution for the period as fixed by the Business Advisory Committee.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Previously also it happened. Shri A.K. Gopalan was allowed to move the resolution and it was treated as part-heard and there was again discussion on that. So I support the views of Shri Madhu Limaye. That day Shri Bhagwat Jha Azad moved the resolution and he also spoke on that for 20 minutes and it was reported today by B.B.C. Radio. If Govt. have any objection on its being discussed it means that they want to remain in Commonwealth. Rule 30A does not apply here. This may kindly be discussed.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यद्यपि श्री भागवत झा आजाद का यह संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है परन्तु यदि नियमों की अवहेलना की जाती है तो यह एक गलत परम्परा पड़ जायगी । 24 सीतम्बर को आपने कहा था कि इस संकल्प पर अगले सत्र में विचार किया जायगा । इसका मतलब है कि यह गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के प्रथम दिन लिया जायगा । आपके निदेशों के अनुसार ही यह विषय-सूची में रखा गया । सभा ने यह निर्णय किया था कि इस पर उस दिन विचार न किया जाय । आज श्री तिवारी नें नियम 30 के निलम्बन का प्रस्ताव रखा है । आर्डर पेपर में उप-नियम (2) बताया गया है । यदि समूचे नियम का निलम्बन किया जाना है तो फिर आर्डर पेपर पर इस प्रस्ताव का संशोधन होना चाहिये जिसके लिये नोटिस दिये जाने की आवश्यकता है ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : उप-नियम (2) के निलम्बन के लिये उन्होंने नोटिस दिया था । उप-नियम (1) के निलम्बन के लिये उन्होंने अध्यक्ष-पीठ की अनुमति से प्रस्ताव रखा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : आखिरी दिन दिया गया नोटिस, यदि इसकी फिर सूचना न दी जाय, व्यपगत हो जाता है । आज का नोटिस केवल उप-नियम (2) के बारे में है । यदि सारा नियम 30 निलम्बित किया जाता है तो किसी के लिये भी कार्य करना मुश्किल हो जायगा । जब सभा ने 12 नवम्बर को इस पर निर्णय कर लिया तो फिर इसी सत्र में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती जैसा कि नियम 186 (छः) में स्पष्ट है । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के सभा के निर्णय के बारे में पूछे जाने पर उपाध्यक्ष महोदय ने बताया था कि वाद-विवाद स्थगित (adjourned) किया जाता है । नियम 30 (2) के अनुसार, यदि इस पर दुबारा बैलट न हो, तो यह "अनिश्चित काम के लिये स्थगित" माना जाता है । उस दिन उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इस पर फिर से बैलट होगा । आज फिर इस पर चर्चा करने के लिये प्रस्ताव रखा गया है । इसका मतलब है कि इसका बैलट नहीं होगा । मेरी आपत्ति यह है उप-नियम (1) के निलम्बन के लिये सभा को पर्याप्त सूचना मिलनी चाहिये । पता नहीं कि संकल्प के प्रस्तावक के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव पेश कर सकता है । इस पर आप निर्णय करें । इन दोनों उप-नियमों में बैलट का जिक्र है । यदि उप-नियम (2) निलम्बित कर दिया जाता है तो केवल उप-नियम 30 (1) ही रह जायेगा जिसके अनुसार श्री भागवत झा आजाद के महत्वपूर्ण संकल्प को रखा जायगा । अतः आपने दो बातें तय करनी हैं । एक तो यह कि क्या नोटिस दिये बिना नियम 30 के उप-नियम (1) के निलम्बन का प्रस्ताव पेश करना उचित है । दूसरा यह कि यदि नियम 30 (2) निलम्बित कर दिया जाता है तो नियम 30 (1) चालू रहेगा या नहीं क्योंकि यदि इस प्रस्ताव के अनुसार नियम 30 (2) का निलम्बन कर दिया जाता है तो उप-नियम (1) चालू रहेगा और फिर इस पर बैलट करना होगा । अतः इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते । माननीय सदस्य का कहना है कि प्रस्ताव समूचे नियम के निलम्बन के बारे में है ।

यदि उप-नियम (1) का निलम्बन किया जाना है तो इसके लिये नोटिस चाहिये और पर्याप्त नोटिस दिये बिना इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती । इस बारे में नियम 186 (छः) और 338 भी अनुमति नहीं देते ।

Shri Bagri (Hissar) : Mr Speaker, Sir, when it came on the order paper a fortnight ago, that meant that Rule 30 was suspended. It was not suspended, now could it come on the order Paper without being balloted again. So there is no point of dispute.

श्री भागवत झा आजाद : क्यों कि आपने 24 तारीख को संकल्प पेश करने की अनुमति दे दी थी, इसका मतलब था कि यह नियम लागू नहीं है । श्री कामत की आपत्ति है कि इससे एक गलत परम्परा पड जायगी । लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता । इस सभा में बहुत कम ही विशिष्ट परिस्थितियों में नियमों का निलम्बन किया गया है और ऐसा केवल संकल्पों के मामले में ही नहीं बल्कि अन्य प्रस्तावों के मामले में भी ऐसा किया गया है । इस वर्ष मार्च के महीने में भी इस नियम को निलम्बित किया गया था । अतः यह कहना गलत है कि यह गलत परम्परा है ।

नियम 186(छः) इस पर लागू नहीं होता क्योंकि-सभा में नियम 30(1) और 30(2) के निलम्बन का कोई प्रस्ताव नहीं था । 12 नवम्बर को जब श्री तिवारी ने अपना प्रस्ताव पेश किया दूसरे सदस्य ने स्थानापन्न प्रस्ताव पेश कर दिया और वह स्वीकृत हो गया । यदि सभा ने श्री तिवारी का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया होता तो नियम 186(छः) और 338 इस पर लागू हो सकते थे । इसलिये ये दो नियम इस पर लागू नहीं होते । दूसरे क्यों कि श्री तिवारी के प्रस्ताव पर मतदान नहीं हुआ था इसलिये इस पर नियम 30(1) लागू नही होता । नियम 30(2) में 'अनिश्चित काल' दिया हुआ है । स्थानापन्न प्रस्ताव में अवधि नहीं रखी गयी थी । यदि यह मान लिया जाय कि यह अनिश्चित काल के लिये है तो नियम 30 (2) लागू होता है । अतः प्रस्ताव यह है नियम 30(2) को निलम्बित किया जाय । मैं समझता हूं कि सभा इस नियम को निलम्बित कर सकती है और इस से कोई गलत परम्परा नहीं पड़ेगी । सारी सभा, समूचे राष्ट्र और जनसाधारण की रुचि इस प्रस्ताव में है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : पिछली बार भी हमने नियम का निलम्बन किया है । यदि इस बार श्री भागवत झा आजाद के लिये नियम का निलम्बन किया जाता है तो कोई बुराई नहीं होगी । दूसरे, एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमें अपना निर्णय बदलने का अधिकार नहीं है । इस मामले में फिर पहले दिन दिये गये निर्णय को फिर क्यों देना पड़ा ? मैं नहीं समझता कि ऐसी बात क्यों कही जाती है । दूसरे यह संकल्प 24 सितम्बर से सभा के समक्ष ही नहीं बल्कि सारे देश के समक्ष है । दूसरे तब चर्चा इसलिये नहीं की जा सकी थी कि संकल्प के प्रस्ताव किसी सैर के लिये नहीं बल्कि देश की भलाई के लिये बाहर गये हुए थे । अब क्यों कि माननीय सदस्य आ गये हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें संकल्प पेश करने का पूरा अधिकार है । इस संकल्प का महत्व इसलिये भी है कि उसको अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा वाले दिन पेश करने की अनुमति दी गयी जब कि सामान्यतः किसी गैर-सरकारी सदस्य को उस दिन संकल्प पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती । हमें पहले की तरह नियम को निलम्बित कर देना चाहिये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : श्री कामत ने जिन नियमों का उल्लेख किया है उनका मूल प्रस्ताव से तो सम्बन्ध हो सकता है लेकिन उनका इस प्रकार के प्रस्ताव से, जो श्री तिवारी पेश कर रहे हैं, कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Sheo Narain (Bansi) : The prestige of the House and the country is involved in this resolution. The Hon. Member had gone abroad, not for his private work but for doing some good work for the whole country. I submit that this Resolution may kindly be taken up.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : इस प्रश्न पर निर्णय करने में यह बात ध्यान रखनी चाहिये कि यह संकल्प एक विशेष श्रेणी में आता है । मैं इस नियम के निम्बलन के इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं । इस संकल्प को गैर-सरकारी सदस्य का एक सामान्य संकल्प न समझा जाए ।

श्री बड़े (खारगोन) : मैं श्री कामत की बात से पूर्णतः सहमत हूं। इसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि इस नियम को निलम्बित किया जाय और इस महत्वपूर्ण संख्या पर चर्चा की जाए। मैं श्री भागवत झा आजाद का समर्थन करता हूं।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : कानून श्री आजाद और श्री तिवारी के पक्ष में है। नियम 388 अन्य सभी नियमों से पृथक है। इसका नियम 30 से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि आप इस संकल्प को रोकना चाहते हैं तो आप अपनी अनुमति वापस ले लें। इसका अधिकार आप को ही है यदि आप अनुमति देते हैं तो प्रस्ताव सभा के समक्ष है और सभा बहुमत से इसका निर्णय करेगी। नियम 388 के मार्ग में और कोई नियम बाधक नहीं है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिये हमें इस पर विशेष रूप से चर्चा करनी चाहिये। नियम 388 में व्यवस्था है कि प्रस्ताव सभा के समक्ष होना चाहिये। श्री भागवत झा आजाद के संकल्प के बारे में प्रस्ताव सभा के समक्ष नहीं है। हम श्री भागवत झा आजाद के संकल्प के गुण-दोषों पर नहीं बल्कि प्रक्रिया के बारे में विचार कर रहे हैं। यह नियम एक प्रस्ताव के बारे में निलम्बित किया जाना है, प्रस्ताव कोई नहीं है अतः इस नियम को निलम्बित करने का प्रस्ताव लागू नहीं होता।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): इस मामले में नियम 186(छः) और नियम 338 लागू नहीं होते। श्री तिवारी नियम 30(2) का निलम्बित किया जाना चाहते हैं। कल ही बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा स्थगित किये जाने का श्री कामत का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था जब कि पहले दिन वह अस्वीकृत कर दिया गया था। अब प्रश्न यह है कि क्या श्री आजाद का प्रस्ताव सभा के समक्ष है। इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष माना जा सकता है क्यों कि यह अस्वीकृत नहीं किया गया है, हालां कि इसे कार्य-सूची में नहीं रखा गया है। अन्य बातों का कोई महत्व नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह संकल्प तब तक नहीं लिया जा सकता है जब तक कि नियम को निलम्बित न किया जाय अथवा इसका फिर से बैलट न हो। वह इस बारे में अध्ययन करके मुझ बताएं। हम इस पर किसी सरकारी कार्य वाले दिन भी विचार कर सकते हैं।

श्री नाथ पाई : आपने अभी यह निर्णय करना है कि क्या श्री भागवत झा आजाद का संकल्प सभा के समक्ष है क्यों कि नियम को केवल मौजूदा प्रस्ताव के बारे में ही निलम्बित किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे यही बात कह रहा हूं।

श्री भागवत झा आजाद : सभा के समक्ष प्रस्ताव स्थगित किये जाने के बाद ही नियमों को निलम्बित किया जाता है। प्रक्रिया नियमों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सदस्य नियम को निलम्बित करने का प्रस्ताव कब रखें। नियमों के अनुसार मुझे बाद में कभी भी प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 30(2) के निलम्बन का प्रस्ताव नियम 388 के अन्तगत पेश किया जा रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : फिर यह आपकी अनुमति का प्रश्न है। यदि आप अपनी अनुमति वापस ले लें तो कुछ भी नहीं होगा। सभा के समक्ष प्रस्ताव नियम 30(2) के निलम्बन के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले यह बताएं कि क्या श्री द्वा० ना० तिवारी का वह प्रस्ताव नियम 388 के अन्तर्गत है ?

श्री जगन्नाथ राव : जी, हां ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : यदि नियम 388 लागू नहीं होता है क्योंकि सभा के समक्ष प्रस्ताव नहीं है तो इसका यह मतलब है कि जो प्रस्ताव सभा के समक्ष नहीं है, उसके बारे में किसी नियम को निलम्बित करने के बारे में कोई नियम नहीं है और इसलिये वह नियम 389 के अन्तर्गत आता है। इस नियम के अन्तर्गत इस पर कार्यवाही की जा सकती है ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I think the rule 30 is suspended at present.

Mr. Speaker : I do not agree with you because that day I said that this would be considered as part-heard and would be continued next time but after that the house decided that it should be adjourned.

इसको स्थगित किया जाता है । मैं सोमवार को फिर विधि मंत्री की बात सुनूंगा और तब अपना निर्णय दूंगा ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें यह निर्णय करना है कि 'सभा के समक्ष प्रस्ताव' का क्या अर्थ है । सभा को पता है कि इस पर अंशिक रूप से विचार हुआ है । प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि वह इसका बाद में उत्तर दगे ।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है, प्रधान मंत्री कहें या मैं कहूं ।

Shri Hari Vishnu Kamath : I will hear the Law Minister on Monday & then give my decision the same day (**Interruption**)· Order, Order. We will now take up the next item.

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने अपने संकल्प की सूचना दी है। क्या आप उस पर अपना निर्णय देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कैसे हो सकता है ?

श्री म० ला० द्विवदी (हमीरपुर) : मैं अपना प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह तभी पेश किया जा सकता है जब पहला प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए ।

श्री भागवत झा आजाद : पहले प्रस्ताव के स्वीकृत किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है । कुछ सदस्यों का मत है कि केवल नियम 30(2) के विलम्बन से काम चलेगा। आप इस प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दीजिए । यह आर्डर पेपर पर भी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप कौनसा प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं ?

श्री म० ला० द्विवदी : आर्डर पेपर की मद संख्या 15 मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं :

"कि श्री भागवत झा आजाद द्वारा 24 सितम्बर, 1965 को प्रस्तुत किये गये भारत द्वारा राष्ट्र-मण्डल से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने सम्बन्धी संकल्प पर, जिस पर अग्रेसर वाद-विवाद 12 नवम्बर, 1965 को स्थगित किया गया था, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 30(2) का लागू होना निलम्बित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी ने क्या प्रस्तुत किया था ?

श्री म० ला० द्विवेदी : उन्होंने नियम 30 का उल्लेख किया था। उन्होंने विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मैं आर्डर पेपर में दिये गये प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Yes. It has been moved.

भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण के बारे में संकल्प
MODERNISATION OF INDIAN NAVY

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की राय है कि भारतीय नौसेना को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से उसके विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए तुरन्त कदम उठाये जाये।"

This Resolution is important from the point of view of security. Our country has a sea coast of 3,500 miles. Defence of that coast is the responsibility of our Navy. There are two aspects of this Resolution. One is the protection of the sea coast and ports and the other is the protection of trade at the time of war.

[श्री प्र० के० देव पीठासीन हुये।
SHRI P. K. DEO *in the Chair.*]

There are about 180 ports in India, seven of which are major ports. The protection of those ports is the responsibility the Indian Navy.

It is regrettable that no officer of the Navy was given any award in our recen conflict with Pakistan. Our Navy is very weak. Had it been strong, Pakistan would not have been able to impound our cargo worth 10·5 crores of Rupees. We could also have affected a blockade of the armaments coming into Pakistan from Iran and Turkey. We should, therefore, effect fundamental changes in our policies.

Before the British period Indian Navy has been very strong. After the attainment of Independence, we endeavoured to strengthen our Navy but we have not been able to develop it. Since 1947 we have been spending only two per cent of our annual budget on the Navy. Our policy in regard to Navy should be completely changed.

We should develop and strengthen our Navy through our own efforts. We should not depend on America or Britain for that purpose. We should develop the dockyards at Mazagaon and Garden Reach. The Mazagaon dockyard is a very old and important dockyard in Asia and the ships built there during British regime are still being used by Britain. A ship built here 148 years ago is still there in the British ports.

[श्री विद्याचरण शुक्ल पीठासीन हुये।
SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA *in the Chair.*]

We should not be afraid of atomic energy. Rather we should use the atomic power to strengthen our Navy.

[श्री रघुनाथ सिंह]

Sweeden is very advanced in ship-building. Japan is also purchasing ships from Sweeden. We should take help from that country. We should make a proper and effective plan for the development of our Navy. We should take steps to manufacture marine engines in our country with the help of Kirloskars.

The combined naval strength of China, Indonesia and Pakistan is very great. The naval personnel of those countries number about one lakh and sixty-six thousand while the naval personnel of India number only 19,500. Similarly the total number of ships with those countries is 1067 units which while number in India is only 55 units. It is, therefore, necessary for us to have a strong Navy for the defence of 3,500 miles of our coast.

We should firmly oppose any move to bring any fleet in the Indian ocean. We should declare that Indian ocean falls within our sphere and the setting up of Naval bases in that region will be firmly resisted.

With these words, I move this resolution and hope that this House will accept it.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की राय है कि भारतीय नौसेना को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से उसके विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए तुरन्त कदम उठाये जायें।"

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं स्थानापन्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : मूल संकल्प तथा स्थानापन्न प्रस्ताव दोनों सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

Shri Shree Narayan Das : The Resolution moved by Shri Raghunath Singh deserves whole-hearted support of the House. Even the Government cannot oppose the Resolution moved by him. After the Chinese and Pakistani attack on our country, it has become absolutely essential that we should strengthen all the three wings of our defence so that no country could dare to cast an evil eye on our territory. We have adopted a policy of non-alignment in External Affairs. It is, therefore, all the more necessary to strengthen our defence.

The time has come when all efforts should be made to strengthen and modernise our Navy. For that it is necessary to have the advice of an expert or a specialist on the various aspects of this question. I have, therefore, moved an amendment to this Resolution. I want that the Government should appoint a Committee to suggest ways and means for developing and modernising our Navy, with instructions to report within three months. With these words, I move my amendment and hope that the hon. Minister will accept it.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय, इस बात के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि देश में नौसेना के महान् इतिहास के होते हुए हम बहुत सुसज्जित नौसेना बना सकते थे। यह आवश्यक है कि हमारी नौसेना योग्य और कार्यसाधक हो। हमारी अपनी पनडुब्बियां होनी चाहिये और वे प्रक्षेपणास्त्रों से लैस होनी चाहियें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी प्रशिक्षण आदि के प्रयोजन के लिए है परन्तु खेद की बात है कि उनका प्रयोग हमारे देश के विरुद्ध आक्रमणात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है । पाकिस्तानी समाचारपत्र यह कह रहे हैं कि केवल एक पनडुब्बी से भारत की समूची नौसेना विकलांग हो गई है । मैं उनका यह दावा नहीं मानता परन्तु इस के साथ ही हम यह चाहते है कि हमारी अपनी पनडुब्बियां हों जो शक्तिशाली प्रक्षेपणास्त्रों से लैस हों ।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि मज़गांव और गारडनरीच के पोत-निर्माण कारखानों को शक्तिशाली बनाया जाये और विशाखापटनम में पोत-निर्माण कारखाने का विस्तार किया जाये ताकि हम अपने युद्धपोत और दूसरे प्रकार के जहाज़ बना सकें । हमें अपनी नौसेना को सुदृढ़ बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करने चाहियें परन्तु हमें इस बात पर अधिक बल नहीं देना चाहिये कि हिन्द महासागर भारत सरकार के क्षेत्र के अधीन आता है । लेकिन चागोस द्वीप में ब्रिटिश सैनिक अड्डे बनाने के प्रति व्यक्त की गई विरोध की भावनाओं से मैं सहमत हूं ।

सफल नौसेना बनाने के लिए हमें अपने लोगों में सागर के प्रति प्रेम भावना जागृत करनी होगी । बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मद्रास अथवा केरल जैसे समुद्र तटीय राज्यों के स्कूलों में राष्ट्रीय छात्र सेनाओं के लिए हमें नौसेना सम्बन्धी प्रशिक्षण देना भी आरम्भ कर देना चाहिये ।

निकोबार द्वीप सुमात्रा से केवल 70 मील दूर है । भारत-पाकिस्तान युद्ध में इंडोनेशिया के व्यवहार से हमें बहुत हैरानी हुई है । हमें पाकिस्तान और इंडोनेशिया द्वारा पैदा किये खतरे से बहुत सतर्क रहना चाहिये । हमारे लिए यह आवश्यक है कि अण्डमान द्वीप समूह में पूरी तरह लैस नौसेना का अड्डा बनाया जाये ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरी) : मैं श्री रघुनाथ सिंह को यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिए बधाई देती हूं । जबकि 1947 से अन्य सेवाओं सम्बन्धी पूर्णतया पुनर्विचार किया गया है, खेद की बात है कि नौसेना की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है । आज भी, ब्रिटिश नौसेना के सहयोग से नौसैनिक अभ्यास किये जाते है। आज भी हम प्रशिक्षण, उपकरणों आदि के सम्बन्ध के उनका अनुसरण कर रहे हैं । नौसेना के अधिकारियों की वर्दी तक को नहीं बदला गया है ।

हमें नौसेना के सम्बन्ध में उसी प्रकार की योजना बनानी चाहिये जैसी कि हमने थल सेना और वायु सेना के बारे में बनाई है । हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि पोत आदि केवल ब्रिटेन से ही न लिये जायें ।

समूचे समुद्र तट के लिए केवल एक विमानवाहक पोत का अधिक लाभ नहीं हो सकता । इस के लिए विशेष प्रकार के छः विमान रखे जाते हैं । इसलिए नौसेना के पास भी वायु सेना होनी चाहिये । पिछले युद्ध में ब्रिटिश नौसेना के पास एक विमान वाहक जहाज़ था और उसमें कुछ प्रकार के विमान चालकों का प्रयोग होता था । भारतीय नौसेना भी ब्रिटिश नौसेना का अनुसरण कर रही है । इसलिए हमने सब से पहले यह बात करनी है कि ब्रिटिश नौसेना से अपना सम्पर्क तोड़ा जाये ।

इस प्रकार की कोई योजना बनाई जानी चाहिये जिससे समुद्री व्यापार और भारतीय नौसेना में कुछ सम्पर्क स्थापित हो सके ताकि ये आपात के समय मिलकर कार्य कर सकें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम) : यद्यपि श्री रघुनाथ सिंह की यह इच्छा पूरी की जा सकती कि हमारी नौसेना बड़ी और शक्तिशाली हो तो यह बहुत अच्छी बात होती परन्तु हमें कुछ वास्तविकताओं का सामना है और हमें कुछ सीमा के अन्दर कार्य करना है । सीमित संसाधनों के साथ अपनी नौसेना का विकास करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, उसमें बड़ी बाधा, जैसा कि श्रीमती शारदा मुकर्जी ने बताया है, अपने विचारों को बदलने में हमारी असमर्थता है ।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

प्रतिरक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में बड़े गर्व के साथ यह बताया गया है कि राष्ट्र-मण्डल के संयुक्त अभ्यासों में ब्रिटिश और पाकिस्तानी नौसेना के साथ हमारे सात पोतों और 2500 नौसनिकों ने भाग लिया। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सभा को आश्वासन दे कि पाकिस्तान के साथ हाल में हुये संघर्ष और उस समय ब्रिटेन के रवैय्ये के पश्चात् राष्ट्र-मण्डल के संयुक्त सनिक अभ्यासों को भविष्य में बन्द कर दिया जायेगा, चाहे वे अभ्यास नौसेना के हों या थल सेना के। यह बात राष्ट्र के लिए बहुत अपमानजनक है कि हम ऐसे अभ्यासों में शामिल हों।

हमारे देश में पोतों के लिए इस्पात प्लेटें बनाने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप विशाखापटनम पोत निर्माण कारखाने में साधारण असैनिक पोतों के निर्माण के काम में भी रुकावट पड़ रही है। हमें पूर्णतया आयातों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इन परिस्थितियों में हमें दो बातों की ओर ध्यान देना है। देश में युद्ध पोतों जैसे छोटे जहाज़ों को बनाने की जितनी क्षमता है, उसका विकास किया जाये और मित्र देशों से, जो हमें लाभकारी शर्तों पर जहाज़ देने के लिए तैयार हों, उतने जहाज़ प्राप्त करें जितने कि हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रसन्नता की बात है कि हाल ही में पनडुब्बियों के सम्भरण सम्बन्धी सोवियत सरकार के साथ समझौता हो गया है।

नौसेना के विकास के लिए जितनी भी हमारी योजनायें हैं, ये वास्तविकता पर आधारित होनी चाहियें और ऐसी होनी चाहियें जिन को पूरा करने की हम समर्थता रखते हों। हमारी पहली आवश्यकता पुराने विचारों को समाप्त करने की और राष्ट्रमण्डलीय अभ्यासों में न सम्मिलित होने की है। हमारी नौसेना के कई भेद ब्रिटेन तथा अन्य सदस्यों के माध्यम से चीनियों और पाकिस्तानियों को मिल जाते हैं। हमें युद्धपोतों आदि की अपनी क्षमता बनानी चाहिये।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : मैं इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं। कोई राष्ट्र अपनी किसी भी सीमा की—चाहे वह भूमि हो या समुद्र या वायु—भेद्यता की उपेक्षा नहीं कर सकता। हमारा समुद्री तट 3500 वर्ग मील है और इसकी कोई व्यक्ति उपेक्षा नहीं कर सकता। पहले भूमि सेनाओं पर बल दिया जाता था, हाल ही के समय में वायुसेना पर बल दिया जाने लगा है परन्तु भारत इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकता कि राजनैतिक और अन्तर्राष्ट्रीय सड़कों के कारण इसकी समुद्रीय सेनाओं की भेद्यता बढ़ती जा रही है। यदि हम अपने संसाधनों के अनुसार अपनी नौसेना का विकास करने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देंगे तो हम एक महत्वपूर्ण बात की उपेक्षा कर रहे होंगे।

श्री रघुनाथ सिंह ने कहा है कि चीन के पास 30 पनडुब्बियां हैं, इंडोनेशिया के पास छः हैं और पाकिस्तान के पास एक है। परन्तु शायद उन्हें एक और गम्भीर घटना की जानकारी नहीं है। समाचारपत्रों में छपा है कि रूस द्वारा इन्डोनेशिया को दी गई 6 पनडुब्बियों में से दो पनडुब्बियां अब पाकिस्तान के पास हैं। यह मामला गम्भीर है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सभा को आश्वासन दे कि नौसेना को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त उपाय किये जायेंगे।

मेरे से पहले माननीय सदस्यों ने स्वतंत्र विचारधारा पर बल दिया है। यह बात पहले ही सिद्ध हो गई है कि हम अपनी नौसेना को सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रिटिश सहायता पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें सभी स्त्रोतों से, रूस, युगोस्लाविया या किसी अन्य देश से, सहायता प्राप्त करने के बारे में विचार करना चाहिये। यह देश हमारी पनडुब्बियों, युद्धपोतों और अन्य प्रकार के पोतों के साथ सहायता कर सकते हैं।

देश में ऐसे काफी पोत-निर्माण कारखानों की आवश्यकता है जो युद्ध और शान्ति के समय प्रयोग में आने वाले पोत बना सकें। खेद की बात है कि कोचीन पोत-निर्माण कारखाने का प्रश्न पिछले 15 वर्षों से लटक रहा है। इस सम्बन्ध में सोच-समझ कर कार्य नहीं किया गया है और इसीलिये हम

अपनी नौसेना को समय पर मज़बूत नहीं बना सके। मुझे आशा है कि अब हम अपनी नौसेना को मज़बूत बनायेंगे ताकि हमारे समुद्रों पर आक्रमण न किया जा सके।

Shri Bade (Khargone) : The Government suffers from lack of farsightedness. Protective steps are taken only when the calamity befalls. We have seen this after the Chinese and Pakistani invasions. It seems that our Navy would also be strengthened only when the enemy launches an attack from the seas.

There was an urgent need to make the country self-sufficient in the matter of its Naval power. The Government should take steps to manufacture frigates and other ships in the country itself. There should be more allocation for the Navy in the budget.

The Chinese activities had been increasing in and around Andamans. There is Chinese infiltration there. They are making propaganda there. I would like to ask my friend Shri Raghunath Singh also to pay attention towards this aspect. The Government should be vigilant and take necessary steps in that regard.

I had been to Mazagaon Dock. I have seen that the conditions there are not satisfactory. The Government has not paid attention towards this dockyard. I would request the Government to take the necessary steps to improve the conditions there.

Shri Vishwa Nath Pandey : I support the Resolution regarding modernisation of our Navy moved by Shri Raghu Nath Singh. In the context of the dangers on our borders, the Government must take steps to strengthen all the three wings of the armed forces. The country cannot be protected until it is fully prepared militarily. The Defence Minister had said that they had come to a stage that they could not any longer neglect the development of the Indian Navy. The Government should allocate more money to achieve this end. The Government must ensure that our seas are not vulnerable. In the past the Portuguese and the French entered India through the sea routes. The Government should formulate short term and long term plans to strengthen the naval power. The Government should accept ships, submarines, frigates and destroyers from other countries. They should also take steps to instal the necessary capacity in the country to meet the naval requirements.

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे श्री रघुनाथ सिंह का भाषण सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने भारतीय नौसेना को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। इस प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं हो सकता।

उन्होंने हमारी नौसेना के अतीत गौरव के बारे में कहा। हम सीमित संसाधनों, तकनीकी जानकारी तथा जनशक्ति के साथ अपनी नौसेना के विस्तार, विकास तथा आधुनिकीकरण करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अन्य देशों की नौसेना की तुलना में हमारी नौसेना शायद छोटी तथा कमजोर है। माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि हमारे पास एक विमान वाहक जहाज़, कुछ क्रूज़र, लगभग छः विध्वंसक पोत, कुछ फ्रिगेट्स, कुछ गश्ती किश्तियां तथा जहाज़ हैं। पिछले वर्ष प्रतिरक्षा मंत्री अमरीका, ब्रिटेन तथा रूस गये थे तथा कुछ और साज़ सामान तथा पोत प्राप्त करने के उद्देश्य से उन सरकारों के साथ उन्होंने बातचीत की थी। रूस से हमारी बातचीत सफल रही है और शीघ्र ही हमें कुछ युद्धपोत मिलेंगे जो हमारे लिये बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे।

[श्री द० स० राजू]

कोचीन तथा बम्बई स्थित हमारी अनुसंधानशालायें सराहनीय काम कर रही हैं। हमारी धातुकार्मिक, रसायनिक और भौतिक अनुसंधानशालायें जहाज़ों की रक्षा करने के लिये नये नये तरीके निकाल रही हैं। इसके अलावा तकनीकी जानकारी की भी आवश्यकता है। हम अपने वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों को विदेशों में भेज रहे हैं और वहां उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परन्तु हमें आत्मनिर्भर होना चाहिये और इसीलिये हम अपने स्वदेशी संसाधन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जहाज़ों के पुर्जे भी हम अपने देश में बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

युद्ध में विजय बहुत बातों पर निर्भर करती है। केवल नौसेना पर ही नहीं। पिछले महायुद्ध से कई उदाहरण मिलते हैं कि अमरीका की नौसेना को कुछ ही दिनों में जापान ने काफी क्षति पहुंचाई थी। युद्ध में साहस और ऊंचे मनोबल की भी आवश्यकता रहती है। हम अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने तथा इसका विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु इसमें बड़ा समय लग रहा है। प्राथमिकतायें दी जानी पड़ती हैं और वायु सेना तथा स्थल सेना को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उनकी हमें तुरन्त आवश्यकता पड़ती है।

हम मज़गांव, गार्डन रीच तथा विशाखापटनम में अपने पोत निर्माण कारखानों का विकास कर रहे हैं। पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं में भी सुधार किया जा रहा है। आत्मनिर्भर होने की दिशा में भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं और मुझे आशा है कि हम कुछ समय में यह उद्देश्य पूरा कर लेंगे।

राष्ट्रमण्डल के जहाज़ों के संयुक्त अभ्यास के बारे में दिये गये सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा ने कहा कि उन्होंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि इन्डोनेशिया ने पाकिस्तान की सहायता के लिये दो पनडुब्बियां भेजी हैं। मुझे मालूम नहीं कि यह कहां तक सच है परन्तु हम इस बारे में पता लगाने का प्रयत्न करेंगे।

आजकल का युद्ध केवल समुद्रतट पर ही नहीं लड़ा जाता परन्तु बहुत से अन्य मोर्चों पर भी युद्ध लड़ा जाता है। इस प्रसंग में सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था : "हम अपने शत्रुओं से समुद्र तट पर लड़ेंगे, भूमि पर लड़ेंगे, पहाड़ों पर लड़ेंगे, घाटियों में लड़ेंगे और लन्दन की गलियों में लड़ेंगे।" इससे इंग्लैण्ड के लोगों का उत्साह काफी बढ़ा था और उन्होंने शत्रुओं का मुकाबला किया था।

मुझे श्री रघुनाथ सिंह का संकल्प स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं यदि वह इस संकल्प में से "तुरन्त" शब्द हटा दें क्योंकि हम नौसेना का विकास कर रहे हैं। हम इस परन्तुक के साथ इस संकल्प को स्वीकार करते हैं।

Shri Raghunath Singh : I am grateful to the hon. Members who took part in the debates on this Resolution and supported it. Everyone of them emphasised that the Navy should be modernised.

In so far as joint Commonwealth Exercises are concerned, we should stop participating in them in future. Where our enemy comes to know about our methods of warfare, how will it be possible for us to fight with him.

I am prepared to accept the amendment of the hon. Minister that the word "immediate" should be deleted from the text of the Resolution.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री श्रीनारायण दास को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।/*The amendment was, by leave, withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"इस सभा की यह राय है कि भारतीय नौसेना को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से उसकी विकास तथा आधुनिकीकरण के लिये कदम उठायें जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

तेल उद्योग के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE. OIL INDUSTRY

श्री वासुदेवन नायर : श्रीमन्, मैं प्रस्तुत करता हूं कि :

"इस सभा की राय है कि वर्तमान आपात की दृष्टि से तेल उद्योग को सरकारी क्षेत्र में रखा जाना चाहिये।"

हमने पहले भी इस आवश्यकता पर बल दिया है कि तेल उद्योग का विकास सरकारी क्षेत्र में किया जाये। सिद्धांत के तौर पर सत्तारूढ़ दल की भी यही राय हो सकती है।

मैंने अपने संकल्प में यह कहा है कि देश में 1962 से आपातकालीन स्थिति चल रही है और इसीलिये इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि इस उद्योग को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाये। देशों के बीच संघर्ष तथा युद्ध की स्थिति में तेल एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है। जबतक युद्धकालीन स्थिति तथा आक्रमण के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों का निरन्तर तथा बिना किसी बाधा के सम्भरण करना सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, हमारी सारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायेगी और सरकार इस देश की प्रभुसत्ता को कायम नहीं रख सकती। यह बहुत आवश्यक है कि जहां तक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगों का सम्बन्ध है उन्हें सार्वजनिक सम्पत्ति के विकास करने तथा उन्हें सरकार के नियन्त्रण में लाने के लिये कुछ कार्यवाही आरम्भ की जाये।

हमें विदेशी मुद्रा की इतनी आवश्यकता है परन्तु हम भारी मात्रा में उसका व्यय कर रहे हैं। आत्म निर्भरता की दृष्टि से तथा विदेशी मुद्रा बचाने की दृष्टि से यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। तेल तथा तेल उत्पादों के शोधन तथा वितरण का बड़ा भाग अभी तक विदेशी तेल कम्पनियों के हाथ में है। वे कम्पनीयां अमरीकी तथा ब्रिटिश कम्पनियां हैं और हम जानते हैं कि जहां तक भारत और पाकिस्तान में संघर्ष का सम्बन्ध है, उन सरकारों का रवैया क्या है। आज सुबह ही इस सभा में इस बात पर चर्चा हुई है कि ब्रिटेन की कम्पनियों ने भारत को सैनिक सामान भेजने से इनकार कर दिया है। ये कम्पनीयां हमें यह सामान भेजना चाहती थीं परन्तु उनकी सरकार ने हस्तक्षेप करके यह सप्लाई बन्द करवा दी।

वास्तव में मुझे यह बात समझ नहीं आती कि इसका क्या कारण है कि हाल ही के कटु अनुभव के बावजूद भी सरकार इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रही है और देश को एक भारी संकट में डाल रही है। मैं सरकार तथा मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो वर्तमान नीति सरकार द्वारा अपनाई जा रही है वह देश के हित में नहीं है और इस कारण सरकार को एक दिन जनता के सामने उत्तरदायी होना पड़ेगा। सरकार को तेल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होना चाहिये।

[श्री वासुदेवन नायर]

हमें ज्ञात है कि संघर्ष आरम्भ होने से पहले हम ने इन विदेशी कम्पनियों को रूस से मंगाये गये कच्चे तेल को साफ करने के लिये कहा तो हमारे देश के लोगों को कितनी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य कुछ और समय लेंगे ?

श्री वासुदेवन नायर : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर वह अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 29 नवम्बर, 1965/8 अग्रहायण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 29, 1965/*Agrahayana* 8, 1887(*Saka*).

भा०स०मु०ना-- वि० ४--7 लोक सभा/66--27-9-66--600